



अनुसूचित जाति
तथा
अनुसूचित जनजाति आयोग
की रिपोर्ट



(अप्रैल 1984 — मार्च 1985)

सातवीं रिपोर्ट

305-5606
ANU-Ph-C@

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE

National Institute of Educational
Planning and Administration,

17-B, Sri Aurobindo Marg,

New Delhi-110016

DOC, No D-8757

Date 20-7-95

Telegram : "CASTRICOM"

अ० शा० पत्र सं० 4/1/एससीटीसी/86-सौ० नैल०

भारत सरकार



सत्यमेव जयते

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

भीखा भाई
अध्यक्ष
CHAIRMAN

पांचवी मंजिल, लोकनायक भवन
नई दिल्ली-110 003
Floor V, Loknayak Bhavan,
New Delhi-110 003.

दिनांक 8 दिसम्बर, 1986

प्रिय डा० बाजपेयी,

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संकल्प के पैरा 6 के अनुसार आयोग को अपने कार्यकलाप की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रति वर्ष प्रस्तुत करनी होती है। मुझे आयोग की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट, 1984-85 इस पत्र के साथ आपको भेजने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

सादर,

आपका,

(भीखा भाई)

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी,
कल्याण राज्य मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली.

शुद्धि पत्र

पृष्ठ संख्या	पैरा संख्या	लाइन	के लिए	पढ़िये
1	1.2	ऊपर से पहली	एम० चन्द्रशेखर	एम० चन्द्रशेखर
1	1.2	ऊपर से तीसरी	लाभा लोबजंग	लाभा लोबजंग
4	शीर्षक	बायें से पांचवां	द्वीप समूह	द्वीप समूह
4	पांचवें शीर्षक के नीचे	पाँचवीं लाइन	अन्वेषक	अन्वेषक
8	2.16	नीचे से तीसरी	जनजातीय बहुत	जनजाति बहुत
8	2.20	ऊपर से नौवीं और दसवीं	महाराष्ट्र और बिहार	महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार
9	2.24	नीचे से आठवीं	दैनिक	दैनिक
12	अनुलग्नक 1 (क)	(ख) (4)	स्टेट बैंक	स्टेट बैंक
13	कालम 5	कर्नाटक के सामने क्रम संख्या 3 के आगे		जब तक उनके प्रतिनिधित्व का "बैंक लागू" पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक उसे बढ़ाकर क्रमशः 20% और 5% कर दिया है
15	3.2	ऊपर से 13वीं	बिकट	बिकट
17	3.8 (2)	नीचे से 9वीं	इस	इन
17	3.8 (2)	नीचे से 10वीं	अवधिक	आवधिक
17	3.8 (3)	ऊपर से 9वीं	परामर्श	परामर्श
17	3.8 (6)	ऊपर से दूसरी	राज्यों	राज्य
17	3.9	नीचे से तीसरी	आंतरजातीय	अन्तरजातीय
25	4.17	नीचे से पांचवीं	जुका	चुका
26	4.20, 4.21	—	सतकर्ता/	सतर्कता समितियां/यों
	4.22, 4.23		समितियां/यों	
26	4.23 (3)	नीचे से पांचवीं	जसे	जैसे
26	4.23 (3)	नीचे से चौथी	श्रोत	स्रोत
27	4.24	ऊपर से दूसरी	बनाए	बसाए
32	अनुलग्नक 4	शीर्षक का छठा कालम	अधीन अन्य अपराध	अधीन अन्य अपराध
43	5.8	नीचे से छठी	गांव	गाय
45	5.15	नीचे से पाँचवीं	परिक्षण	परीक्षण
45	5.16	नीचे से तीसरी	वित्तिय	वित्तीय
46	5.26	नीचे से दसवीं	7 राज्यों	6 राज्यों
55	अनुलग्नक -4	क्रम सं० 19 के आगे	गोवा व दमन दीव	गोवा, दमन व दीव
60	6.2	दूसरे कालम में ऊपर से चौदहवीं	भू-संखलन	भू-स्खलन

पृष्ठ संख्या	पैरा संख्या	लाइन	के लिए	पढ़िये
61	6.2	पहले कालम में ऊपर से दूसरी	जब भी	अब भी
61	6.6 (2)	नीचे से दूसरी	करने के अत्यंत	करने की अत्यंत
65	7.4	नीचे से छठी	श्रोत	स्रोत
66	7.8	ऊपर से आठवीं	अलग-अलग	अलग-थलग
67	सिफारिश सं० 1	ऊपर से दूसरी	बहुत पड़ी	बहुत बड़ी
68	सिफारिश सं० 8	नीचे से दूसरी	पर्याप्त यथाशीघ्र	यथाशीघ्र पर्याप्त
71	सिफारिश सं० 4	शीर्षक	अत्याचार पीड़ित	अत्याचार पीड़ित
73	सिफारिश संख्या 36	ऊपर से पहली- दूसरी	खाध तथा नागरी- पूर्ति	खाध तथा नागरिक आपूर्ति
74	सिफारिश संख्या 38	प्रथम	भूम खेती	भूम खेती
74	सिफारिश संख्या 41	प्रथम	जनजाति-बहुत	जनजाति-बहुल
75	सिफारिश संख्या 44	नीचे से दूसरी	करने के दृष्टि से	करने की दृष्टि से
77	सिफारिश संख्या 51	ऊपर से दूसरी	ब-शोक-टोक	बेशोक-टोक
78	सिफारिश संख्या 56	शीर्षक	वितरण	वितरण
78	सिफारिश संख्या 58	ऊपर से दूसरी व चौथी	बनाये ह/ एक ऐसे	बनाये हैं/ एक ऐसे

विषय सूची

अध्याय संख्या	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
अध्याय 1	भूमिका	1
अध्याय 2	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षणों से संबंधित मामलों का अन्वेषण	5
अध्याय 3	अस्पृश्यता का उन्मूलन और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन	15
अध्याय 4	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार	23
अध्याय 5	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक और आर्थिक विकास	42
अध्याय 6	केंद्रीय/राज्य परियोजनाओं की स्थापना के कारण आदिवासियों का विस्थापन	59
अध्याय 7	भूमि और वनों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए कानूनी सुरक्षा	64
अध्याय 8	सिफारिशें	67

अध्याय 1

भूमिका

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना गृह मंत्रालय के दिनांक 21 जुलाई, 1978 के संकल्प सं० बीसी-13013/9/77-एससीटी(1) के द्वारा 1978 में की गयी थी। आयोग में एक अध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत नियुक्त विशेष अधिकारी अर्थात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त आयोग के पदेन सदस्य हैं।

1.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्रीमती एम० चन्द्रशेखर, संसद सदस्य आयोग की अध्यक्षता थीं। श्री आर० सी० चितेन जमीर तथा श्रद्धेय लामा लोबजंग आयोग के सदस्य थे।

1.3 आयोग की सहायता के लिए नई दिल्ली में एक छोटा सचिवालय है तथा भारत सरकार के सचिव स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी इसके प्रमुख हैं। देश के विभिन्न भागों में आयोग के 17 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 12 क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख निदेशक हैं तथा 5 क्षेत्रीय कार्यालय उप निदेशकों के अधीन हैं। सचिवालय और क्षेत्रीय कार्यालयों का संगठनात्मक चार्ट अनुलग्नक-1 में दिया गया है। भारत सरकार के दिनांक 21 जुलाई, 1978 के संकल्प के अनुसार आयोग के कार्य, जो मोटे तौर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यों के अनुरूप हैं, नीचे दिये गये हैं:—

- (1) संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किये गये संरक्षणों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, उस प्रक्रिया का पुनरीक्षण भी शामिल होगा जिसके अनुसार सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आरक्षणों को व्यावहारिक रूप में कार्यान्वित किया जाता है।
- (2) अस्पृश्यता समाप्त करने और इसके कारण उत्पन्न होने वाले पक्षपात पूर्ण भेदभाव को पांच वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त करने के उद्देश्य को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन का अध्ययन करना।
- (3) लागू कानूनों के रास्ते में आने वाली बाधाओं का निराकरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित सामाजिक आर्थिक और अन्य संबंधित परिस्थितियों का पता लगाना और समुचित सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना, जिसमें अपराधों की शीघ्रता से जांच करना भी शामिल है।

- (4) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाती का सदस्य होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त संरक्षण से वंचित किये जाने के बारे में व्यक्तिगत शिकायतों की जांच करना।

1.4 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के सभी पहलुओं से आयोग पूर्णतः सम्बद्ध है। उपर्युक्त कार्यों को अपने ढंग से निभाने के लिए आयोग को अधिकार दिया गया है। अतः आयोग ने दौरे किए, क्षेत्रीय अध्ययन किए तथा केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ निरंतर सम्पर्क बनाये रखा और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से बराबर सूचना और रिपोर्ट प्राप्त करता रहा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विभिन्न लोगों से आयोग को शिकायतें, अभ्यावेदन तथा अनुरोध प्राप्त हुए। आयोग ने इन शिकायतों को जांच-पड़ताल की तथा इनमें से अधिकांश शिकायतों को दूर करने में मदद की।

1.5 गृह मंत्रालय के दिनांक 21-7-78 के संकल्प में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में आयोग द्वारा आरम्भ किए गए कार्यों का विवरण इस रिपोर्ट में दिया गया है। आयोग के बार-बार अनुरोध पर जितना सूचना राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों से प्राप्त हुई उसका समावेश इस रिपोर्ट में किया गया है। आयोग को बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि विभिन्न स्तरों पर लगातार व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद भी राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा अन्य कार्यालयों और संगठनों से आमतौर पर सूचना प्राप्त नहीं हुई।

1.6 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विशाल समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सार्वजनिक जीवन में ख्याति प्राप्त तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से युक्त एक उच्च स्तरीय आयोग बनाने की आवश्यकता महसूस की थी। लेकिन संवैधानिक दर्जा न मिलने के कारण आयोग अपना कार्य कारगर ढंग से नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि अवहेलना के मामलों में आयोग प्रायः असहायसा दर्शक बन कर रह जाता है। इस स्थिति में सुधार करने की शीघ्र आवश्यकता है। इसलिए सशक्त शब्दों में पुनः भारत सरकार से प्रार्थना की जाती है कि इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के मामले पर तुरंत विचार किया जाए।

1.7 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की घटनाओं की पृष्ठताछ और अन्वेषण करने में आयोग ने हमेशा सतर्कता और तत्परता बरतने का प्रयास किया है। परंतु आमतौर पर यह अनुभव किया गया कि इस प्रकार के प्रयास अधिक कारगर सिद्ध नहीं

हुए क्योंकि आयोग के पास जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत भी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अत्याचार की स्थिति पर निर्णायक प्रभाव डालने तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त संवैधानिक रक्षोपायों की सार्थक रूप से रक्षा करने के लिए आयोग को समर्थ बनाने के उद्देश्य से इसे 1952 के अधिनियम के तहत जांच आयोग के रूप में अधिकार प्रदान किए जाएं। फिलहाल आयोग का कार्य केवल अनुशासनात्मक है, इसलिए वह समाज के कमजोर वर्गों की कारगर रूप से मदद नहीं कर पा रहा है।

1.8 यह सब जानते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जिन सामाजिक अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें तभी दूर किया जा सकता है जबकि उनके आर्थिक स्तर में सुधार हो। इसलिए इन

समुदायों का आर्थिक विकास ही अधिक महत्वपूर्ण है। आश्चर्य है कि इस संबंध में आयोग को कोई स्पष्ट सरकारी आदेश नहीं दिये गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास से संबंधित नीतिविषयक मामलों पर आयोग की राय नहीं ली जाती। स्थिति का तकाजा है कि इन समुदायों के लिए नीति, योजना और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन संबंधी सभी मामलों में आयोग को केवल दिखावे के लिए ही शामिल न किया जाए बल्कि अन्दरूनी तौर से भी शामिल किया जाए। इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए आयोग अनुभव करता है कि राज्यों की जनजातीय उप-योजना तथा विशेष संघटक योजना को अंतिम रूप देने तथा इस संबंध में राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की राशि निर्धारित करने का कार्य आयोग को सौंपने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

अनुलग्नक 1

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग

संगठनात्मक ढांचा

(क) मुख्यालय

सचिव

संयुक्त सचिव

पुलिस उप महानिरीक्षक	उप सचिव		निदेशक अनुसंधान	उप निदेशक	उप निदेशक
(अत्याचार तथा सिविल अधिकार संरक्षण)	अवर सचिव (प्रशासन)	सहायक निदेशक (समन्वय)	पुस्तकालयाध्यक्ष (अनुसूचित जातियों का विकास)	(जनजातीय विकास)	(सेवाएं)
पुलिस अधिक्षक.....2	अनुभाग अधिकारी...2	वरिष्ठ अन्वेषक...2	अनुसंधान अधिकारी...1	अनुसंधान अधिकारी...1	अनुसंधान अधिकारी...1
सहायक निदेशक.....1	लेखाकार...1	अन्वेषक...1	वरिष्ठ-अन्वेषक...3	वरिष्ठ अन्वेषक...2	वरिष्ठ अन्वेषक...2
वरिष्ठ अन्वेषक.....2	सहायक उच्च श्रेणी लिपिक...3			अन्वेषक...1	अन्वेषक...1

अध्याय 2

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षणों से संबंधित मामलों का अन्वेषण

आयोग के चार मुख्य कार्यों में से पहला कार्य है— अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षणों से संबंधित मामलों की जांच करना। संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 335 में कमजोर वर्गों, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों इत्यादि को रोजगार तथा नियुक्ति के लिए समान अवसर प्रदान किये गये हैं। विशेषकर अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति के लिए पदों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसलिए केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए 15% पद और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7-1/2% पद आरक्षित कर रखे हैं। सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की आयोग नियमित रूप से समीक्षा करता है। इसके लिए, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा बैंकों

सहित सभी सरकारी कार्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वास्तविक प्रतिनिधित्व की स्थिति के बारे में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, सरकारी उद्यम ब्यूरो, वित्त मंत्रालय तथा विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से आयोग निरंतर विस्तृत जानकारी प्राप्त करता रहता है।

(क) भारत सरकार के अधीन मंत्रालय तथा विभाग

2.2 भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वास्तविक प्रतिनिधित्व की स्थिति के बारे में सूचना, भरसक प्रयत्न करने के बावजूद केवल 1-1-1984 तक प्राप्त हो सकी है, जो इस प्रकार है :—

पदों की श्रेणी	प्रतिनिधित्व का प्रतिशत					
	1-1-65 को		1-1-83 को		1-1-84 को	
	अनु० जाति	अनु० जन जाति	अनु० जाति	अनु० जन जाति	अनु० जाति	अनु० जन जाति
1	2	3	4	5	6	7
क	1.64	0.27	6.71	1.41	6.92	1.70
ख	2.82	0.34	10.16	1.46	10.36	1.77
ग	8.88	1.14	14.61	4.14	13.98	3.79
घ	17.75	3.39	19.58	5.51	20.20	6.04

2.3 यद्यपि 1-1-1965 से सभी श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दोनों की भर्ती में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, फिर भी श्रेणी "क" "ख" और "ग" में आरक्षण का निर्धारित कोटा पूरा नहीं हुआ है। वास्तव में, श्रेणी— "ग" में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती में 1-1-83 से कमी आयी है। इस कमी का कोई संतोषजनक कारण दिखाई नहीं देता। इसलिए आयोग इस बात पर जोर देना चाहेगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को निर्धारित प्रतिनिधित्व देने के लिए केन्द्रीय सरकार के स्तर पर सभी विभागों द्वारा विशेष कदम उठाये जाने की आवश्यकता है, ताकि राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सही दिशा मिल सके।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

2.4 1984-85 के दौरान आयोग ने अध्ययन करके, बैठकों का आयोजन करके तथा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से विस्तृत सूचना प्राप्त करके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों

में विद्यमान आरक्षण नीति की समीक्षा की। आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने निम्नलिखित आठ प्रतिष्ठानों में सेवा संबंधी संरक्षणों के कार्यान्वयन का अध्ययन किया :—

1. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० मद्रास,
2. हैवो वेहिकल्स फॅक्टरी, आवड़ी (मद्रास),
3. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, नेवेली,
4. मद्रास रिफाइनरीज लि०, मद्रास,
5. रिफक्टर रिसर्च सेंटर, कल्पक्कम,
6. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०, मद्रास,
7. फर्टिलाइजर्स एण्ड केमीकल्स ट्रावनकोर लि०, उद्योग मण्डल, कोचीन (केरल),
8. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, पिंजोर डिस्ट्रिक्ट (हरियाणा)।

2.5 इन अध्ययनों से तथा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से प्राप्त सूचना से श्रेणी "क" और "ख" पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मिले प्रतिनिधित्व

की बहुत निराशाजनक स्थिति का पता चला है। कुल कर्मचारियों की संख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम अर्थात् 1.85% से लेकर 4.57 के बीच है। हिंदुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लि०, मद्रास और रिएक्टर रिसर्च सेंटर, कलकत्ता में क्रमशः 1-4-70 और 1-1-84 की स्थिति के अनुसार श्रेणी "ख" पदों पर अनुसूचित जाति का एक भी अधिकारी नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान टेलीप्रिण्टर्स के प्रबंधकों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को श्रेणी "ख" के पदों पर पदोन्नति देकर इस स्थिति में सुधार करने को कोई कोशिश नहीं की है।

2.6 सभी श्रेणियों के पदों पर अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व भी बहुत कम देखने में आया है। रिएक्टर रिसर्च सेंटर, कलकत्ता, मद्रास रिफाइनरीज लि० तथा नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन में श्रेणी "क" और "ख" पदों पर अनुसूचित जाति का एक भी अधिकारी नहीं था। हैवी वेहिकल्स फैक्टरी के औद्योगिक संगठन में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 0.40% से लेकर गैर-औद्योगिक संगठन में 1.62% के बीच था।

2.7 इन कमियों का कारण यह बताया गया कि आरक्षित रिक्त पदों के लिए योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं। यह दलाल भी दी गयी कि आन्तरिक क्षेत्रों में तकनीकी पदों के लिए विशेष योग्यता और अनुभव की आवश्यकता होती है जिनके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के योग्य उम्मीदवार प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है। आयोग का विचार है कि इस संबंध में विशेष उपाय बरतने की आवश्यकता है, जैसे-अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को रोजगार देने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाना तथा उनके लिए भर्ती-पूर्व-प्रशिक्षण और सेवाकालीन-प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। इस संबंध में विभिन्न तकनीकी संस्थाओं के साथ सक्रिय रूप से सम्पर्क स्थापित करना महत्वपूर्ण होगा ताकि जनशक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप समुचित पाठ्यक्रम तैयार किए जा सकें और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के चुने गये उम्मीदवारों को इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से नौकरियों में खपाया जा सके। इस प्रकार का उपाय विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों के लिए आवश्यक है जिनके प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में पीछे से कमी चली आ रही है।

2.8 आयोग के ध्यान में यह बात भी आयी कि कुछ प्रतिष्ठान "सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की पुस्तिका" में निर्धारित फार्म के अनुसार रोस्टर नहीं रख रहे हैं। आमतौर पर रोस्टर रजिस्टर अपूर्ण पाये गये तथा नियुक्त करने वाले अधिकारियों के द्वारा इनकी जांच नहीं की गयी अथवा इन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। पदों पर पुष्टिकरण के मामले में कार्मिक एवं प्रशासन सुधार विभाग द्वारा अपने का०ज्ञा०सं० 36011/12/82-स्था. (एससीटी) दिनांक 25-6-82 में जारी किए गए मार्गदर्शी निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था क्योंकि पुष्टिकरण के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कोई आरक्षण नहीं दिया जा रहा था। चपरासी के पदों

पर सफाई कर्मचारियों, फराशों और चौकीदारों इत्यादि को पदोन्नत करने के लिए किसी भी प्रतिष्ठान में अवसर नहीं दिया जा रहा था। प्रबंधकों ने रिक्त पदों के विज्ञापनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या तथा इस प्रकार के उम्मीदवारों को योग्यता और अनुभव के मामले में दी गई छूट का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया था। यह भी देखने में आया है कि भर्ती नियमों में व्यावृत्ति का प्रावधान करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपने का०ज्ञा०सं० 36013/4/82-स्था(एससीटी) दिनांक 29-8-84 के माध्यम से जारी किए गए निर्देशों के बावजूद भी अभी तक यह प्रावधान नहीं किया गया। यह भी देखने में आया कि रिएक्टर रिसर्च सेंटर, यूनाइटेड इंडिया इंधोरेंस कम्पनी, हैवी वेहिकल्स फैक्टरी, फटिलाइजर्स एंड केमीकल्स ट्रावनकोर लि० तथा मद्रास रिफाइनरीज जैसे अनेक प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों द्वारा जो जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं वे उस प्रपत्र के अनुरूप नहीं होते जिसे का०ज्ञा०सं० 36012/6/76-स्था० (एससीटी) दिनांक 23-10-77 में निर्धारित किया गया है। आयोग के पास इस आशय की शिकायतें आई हैं कि गैर-अनुसूचित जाति/गैर-अनुसूचित जनजाति के लोग झूठा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के असली उम्मीदवारों द्वारा ही आरक्षण का लाभ उठाया जाए-नियुक्त करने वाले अधिकारी द्वारा इस प्रकार के प्रमाण पत्रों की पूरी जांच-पड़ताल की जाए तथा जिन मामलों में संदेह उत्पन्न हो उन्हें सत्यापन के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को भेजा जाए। आयोग यह सिफारिश करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों में प्रशासनिक स्तर पर इस प्रकार के प्रमाण पत्रों की जांच-पड़ताल करने के लिए एक विशेष तथा "फुल प्रूफ" कार्यप्रणाली लागू की जाए। चूंकि झूठे प्रमाण पत्रों के बारे में शिकायतें बहुत बढ़ रही हैं इसलिए सरकारी उद्यम ब्यूरो, बैंकिंग विभाग तथा कार्मिक विभाग और कल्याण मंत्रालय के लिए यह आवश्यक होगा कि वे इस मामले पर तुरंत ध्यान दें और आरक्षण नीति के दुरुपयोग को रोकने के लिए कारगर प्रक्रिया अपनायें।

2.9 आयोग ने यह भी नोट किया कि हिंदुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लि०, हैवी वेहिकल्स फैक्टरी, आवडी, मद्रास रिफाइनरीज लि० तथा फटिलाइजर्स एंड केमीकल्स ट्रावनकोर लि० जैसे उपक्रमों ने आवासीय मकानों का आवंटन करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया है।

2.10 सम्पर्क अधिकारियों और विशेष सैलों की नियुक्ति और उनके कार्य-कलाप के बारे में अधिकांश उपक्रमों में असंतोषजनक स्थिति बतलाई गई है। उदाहरण के तौर पर हिंदुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लि० और हिंदुस्तान मर्शन टूल्स लि०, अम्बाला में अलग से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सैल नहीं है तथा सम्पर्क अधिकारी को कारगर ढंग से और कुशलतापूर्वक काम करने के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं दिया गया है। अधिकांश उपक्रमों में निरीक्षण रिपोर्ट तैयार नहीं की जा रही हैं। यूनाइटेड इंडिया इंधोरेंस कम्पनी में सम्पर्क अधिकारी द्वारा तैयार

को गयी निरोक्षण रिपोर्टों में आरक्षण नियमों की कार्य-प्रणाली, रोस्टरों का रख-रखाव, कितनी आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित किया गया और कितनी रिक्तियों को बांगे ले जाया गया, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों तथा उनके निदान इत्यादि के बारे में जानकारी तथा देा गया है।

2.11 आयोग ने ये मामले संबंधित प्रतिष्ठानों के समक्ष उठाये जिनमें से कुछ ने रचनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ प्रतिष्ठानों ने अपना स्थिति स्पष्ट करने का कोशिश का तथा निर्धारित कोटा पूरा करने में अपनी कोठनाइयां बताई। उन्होंने आयोग को आश्वासन दिया कि आरक्षित पदों तथा पाठ से चले आ रहे रिक्त पदों को भरने के लिए भविष्य में संगठित प्रयास किए जायेंगे। प्रतिष्ठानों ने आयोग को यह आश्वासन भी दिया कि विशेष प्रकाशों के गठन व उनके कार्य संचालन तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध सेवा संबंधी संरक्षणों के कार्यान्वयन का विवरण, प्रतिष्ठानों का वार्षिक रिपोर्टों में देने के बारे में आयोग ने अपना अध्ययन रिपोर्टों में जो विचार व्यक्त किए हैं, भविष्य में उनका पालन किया जायेगा। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि सफाई कर्मचारियों को उपयुक्त पाये जाने पर उनको पदोन्नत करने के मामले पर विचार किया जायेगा। रोजगार संबंधी विज्ञापनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को संख्या वतान तथा आयु, योग्यता और अनुभव आदि के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त विशेष रियायतों का विवरण देने का और भी अपेक्षित ध्यान दिया जायेगा।

2.12 सार्वजनिक उद्यमों में इस प्रकार के स्वीकारात्मक उत्तर की आयोग सराहना करता है, फिर भी आयोग यह अनुभव करता है कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा दृढ़ कदम उठाये जाने की आवश्यकता है ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को, विशेषकर श्रेणी "क" और "ख" पदों में समुचित आरक्षण देने में सार्वजनिक क्षेत्र के सभा उपक्रमों में सरकारी निर्देशों को अधिक गम्भीरता से लागू किया जा सके।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं

2.13 1984-85 के दौरान आयोग ने 34 राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बारे में अधिकारियों, क्लर्कों और अधीनस्थ कर्मचारियों ग्रेडों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वास्तविक प्रतिनिधित्व के संबंध में विस्तृत जानकारी एकात्रित की। इनकी सूचियां अनुलग्नक I-क और I-ख में दी गयी हैं।

2.14 1-1-83 और 1-1-85 को स्थिति के अनुसार वास्तविक प्रतिनिधित्व से संबंधित सूचना के विश्लेषण से पता चलता है कि पदों का तीन श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का स्थिति में कुछ सुधार हुआ है परंतु दुःख का विशेष बात यह है कि अधिकारियों के ग्रेड में वास्तविक प्रतिनिधित्व का स्थिति अभी तक 5.72% ही बना हुई है। तानों ग्रेडों में प्रत्येक में कुल पदों के प्रतिशत के रूप में वास्तविक प्रतिनिधित्व का विवरण नाचे दिया गया है :-

पदों की श्रेणियां	वास्तविक प्रतिनिधित्व-प्रतिशत में						
	अनुसूचित जातियां			अनुसूचित जनजातियां			
	1-1-1983	1-1-1984	1-1-1985	1-1-1983	1-1-1984	1-1-1985	
	1	2	3	4	5	6	7
अधिकारी
क्लर्क
अधीनस्थ-स्टाफ
	4.64	4.05	5.72	1.07	1.34	1.47	
	12.96	13.48	13.83	2.75	2.95	3.41	
	22.35	22.95	23.79	4.33	3.96	4.32	

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट—1985-86, वित्त मंत्रालय

2.15 पटना स्थित आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय ने स्टेट बैंक आफ इंडिया के बिहार सर्किल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध सेवा संबंधी संरक्षणों के कार्यान्वयन का अध्ययन किया। इस अध्ययन से यह पता चलता है कि अधिकारियों के संवर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का वास्तविक प्रतिनिधित्व निर्धारित कोटे से कम था। अनुसूचित जाति के कुल अधिकारी संवर्ग में केवल 2.7% हैं जबकि अनुसूचित जनजाति के अधिकारी 1.1 हैं। यद्यपि, लिपिक संवर्ग में अनुसूचित जनजातियों का निर्धारित कोटा पूरा है परंतु लिपिक वर्गीय और अधीनस्थ संवर्गों में अनुसूचित

जातियों की भर्ती पहले से काफी काम चल रही है। सम्पर्क अधिकारी द्वारा न तो रोस्टरों को ठीक प्रकार से रखा जा रहा है और न ही नियमित रूप से निरोक्षण किया जा रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने के लिए सम्पर्क अधिकारी के अधीन कोई विशेष प्रकोष्ठ नहीं है।

2.16 पदों के सभी ग्रेडों में आरक्षण नियमों के उचित कार्यान्वयन और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए समुचित उपाय करने हेतु आयोग ने स्टेट बैंक आफ इंडिया के ऊपर

ओर डालने के लिए सचिव, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग), भारत सरकार से अनुरोध किया था। आयोग यह सिफारिश करता है कि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में अधिकारों और लिपिक ग्रेडों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को असतोषजनक भर्ती का स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षित रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड का विशेष भर्ती अभियान चलाने चाहिए। बोर्ड द्वारा जनजातीय-बहुत क्षेत्रों में उम्मीदवारों का साक्षात्कार लया जाना चाहिए ताकि जनजातीय उम्मीदवारों को भर्ती के अधिक से अधिक अवसर मिल सकें।

(घ) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन

2.17 जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है विभिन्न श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का मिले वास्तविक प्रतिनिधित्व के बारे में आयोग ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से सूचना प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए लेकिन उत्तर प्राप्त करने में आम तौर पर आयोग को बहुत निराशा हुई। क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से आयोग 9 राज्यों तथा चंडीगढ़ प्रशासन से सूचना प्राप्त कर सका है। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मिले वास्तविक प्रतिनिधित्व का विवरण अनुलग्नक-2 में दिया गया है। कुल मिला कर स्थिति बहुत निराशाजनक है क्योंकि किसी भी राज्य से श्रेणी "क" और "ख" के पदों में अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया है। श्रेणी "ग" पदों के मामले में पिछले वर्षों से काफी रिक्तियाँ चली आ रही हैं सिवाय केरल के जहाँ अराजपत्रित पदों (श्रेणी "घ" से भिन्न) में 8% निर्धारित कोटे का तुलना में अनुसूचित जातियों को दिया गया वास्तविक प्रतिनिधित्व 9.4% है।

2.18 सभी राज्यों में अनुसूचित जनजातियों को मिला अल्प प्रतिनिधित्व अधिक खटकता है। यहाँ तक कि श्रेणी "घ" पदों में भी आरक्षण का अपेक्षित कोटा पूरा नहीं किया गया है।

2.19 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भर्ती करने की स्थिति में सुधार करने के लिए केरल और कर्नाटक जैसी कुछ राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये विशेष कदमों की सराहना करते हुए आयोग अन्य राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी पूरजोर आग्रह करता है कि वे भी इसी प्रकार के कदम उठाये ताकि सभी श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को स्थिति में यथाशोभ पर्याप्त सुधार किया जा सके।

सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जिलवार आरक्षण

2.20 आयोग ने भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों को मिले अल्प प्रतिनिधित्व के कारणों का विश्लेषण करने की

कोशिश की है। श्रेणी "ग" और "घ" पदों में यह कमी अधिक खटकती है। इसका एक कारण यह है कि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार अपने जिले से दूर जाने के इच्छुक नहीं होते। राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक समान कोटा निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि जिन जिलों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कम है वहाँ उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित पद खाली रह जाते हैं। आयोग ने अपना दूसरी रिपोर्ट में (सिफारिश सं० 432) महाराष्ट्र और बिहार सरकारों के इस कदम का स्वागत किया है कि उन्होंने प्रत्येक जिले में अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुसार श्रेणी "ग" और "घ" पदों में आरक्षण की व्यवस्था की है। आयोग ने अन्य राज्य सरकारों से यह सिफारिश की है कि वे भी इसी प्रकार की व्यवस्था करें। पता चला है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस कार्यप्रणाली का समर्थन किया है। आयोग पुनः इस बात पर जोर देता है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उक्त सिफारिश पर विचार किया जाए ताकि अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक जिले में उनकी जनसंख्या के आधार पर श्रेणी "ग" और "घ" पदों में आरक्षण की व्यवस्था की जा सके।

योग्यता के आधार पर चयन

2.21 आयोग को पता चला है कि केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार सामान्य योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं उनकी नियुक्ति आरक्षित पदों पर नहीं की जाती, जिसके कारण आरक्षित रिक्तियों की संख्या उतनी ही बनी रहती है। आयोग के विचार से यह सही दृष्टिकोण है। आयोग यह सिफारिश करता है कि भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों को केरल और तमिलनाडु का अनुसरण करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामान्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा में योग्यता के आधार पर चुने गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों में समायोजित न किया जाए।

मेहतरों और सफाई कर्मचारियों की रहन-सहन और कार्य करने की परिस्थितियाँ

2.22 आयोग के त्रिवेन्द्रम और मद्रास स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों ने 1984-85 में कालाकट, पालघाट, कांचिन रामनाथपुरम और तन्जावुर नगर पालिकाओं/निगमों में मेहतरों और सफाई कर्मचारियों के रहन-सहन और कामकाज की परिस्थितियों का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से पता चलता है कि बहुत से मेहतरों और सफाई कर्मचारियों को रहने के लिए क्वार्टर नहीं दिए गए हैं। जिनको क्वार्टर दिए भी गये, आमतौर पर उनमें जगह बहुत कम है। इन क्वार्टरों का उचित रूप से रख-रखाव नहीं किया जाता और उनमें से बहुतों में दरारें पड़ गई हैं तथा वे बहुत ही खराब हालत में हैं। बहुत से आवंटनी भी क्वार्टरों की उपेक्षा करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सेवानिवृत्त होने पर उन्हें क्वार्टर खाली करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के जरूरतमंद व्यक्ति

सेवानिवृत्ति के बाद गृहविहीन हो जायेंगे क्योंकि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के अधीन कम लागत वाले मकान प्राप्त करने के पात्र नहीं होते। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आयोग यह सिफारिश करता है कि इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए कम लागत वाली कुछ विशेष आवास योजनाएं आरम्भ की जाएं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवा के दौरान सफाई कर्मचारियों और मेहतरों को इस प्रकार के जो आवश्यक क्वार्टर आवंटित किए जाते हैं सेवा-निवृत्ति के बाद भी वे उनके मालिक बने रहें। ऐसा करने से इस गरीब और उपेक्षित वर्ग के कर्मचारियों को अपेक्षित राहत मिलने के अलावा इस प्रकार के क्वार्टरों की अच्छी प्रकार से देखभाल भी हो सकेगी।

2.23 जहां मेहतर और सफाई कर्मचारी निवास करते हैं वहां पीने के पानी, सार्वजनिक सुविधाएं, बिजली आदि जैसी समुचित नागरिक और सफाई सुविधाओं की कमी है तथा आंगनबाड़ी, समुदाय केंद्र और क्वेच जैसी सामुदायिक सुविधाएं भी नहीं दीं गयीं हैं। आयोग का सुझाव है कि समेकित बाल विकास परियोजनाएं, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, महिला समाज, बालबाड़ी आदि खोलते समय राज्य हरिजन कल्याण विभाग द्वारा उन कालोनियों को प्राथमिकता दी जाए जहां मेहतर और सफाई कर्मचारी निवास करते हैं।

2.24 यद्यपि नगरपालिकाओं का क्षेत्र काफी फैल गया है और जनसंख्या में भी अधिक वृद्धि हुई है परंतु मेहतरों और सफाई कर्मचारियों के रोजगार में उस अनुपात से वृद्धि नहीं हुई है। इसके फलस्वरूप जो मौजूदा कर्मचारी हैं उनके ऊपर काम का बोझ बहुत बढ़ गया है। कुम्बाकोणम नगरपालिकाओं में सफाई कर्मचारियों और मेहतरों के 363 पदों में से 58 पद खाली थे। इसी प्रकार तन्जावुर नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों और मेहतरों के 421 स्वीकृत पदों में से 13 पद खाली पड़े थे। स्वीकृत पद लम्बे समय तक खाली रहने से सफाई कर्मचारियों और मेहतरों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः संबंधित राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इन सभी रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति करने के लिए आवश्यक कदम उठाये। अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत दैनिक कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए भी कदम उठाये जाएं। यह देखने में आया कि दैनिक कर्मचारी अथवा छुट्टी की एवजी पर कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों और मेहतरों को खुरचनी और गमबूट इत्यादि नहीं दिए जाते। यह बड़ी आपत्तिजनक बात है क्योंकि जो लोग इस प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं उन्हें अपना कार्य ठीक प्रकार से करने के लिए आवश्यक उपकरण दिये जाने चाहिए।

2.25 अध्ययनों पर आधारित आयोग के उपर्युक्त विचार एवं निष्कर्ष राज्य सरकारों को समुचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए भेजे गये ताकि सफाई कर्मचारियों तथा मेहतरों के रहन-सहन और काम-काज की दशा में सुधार किया जा सके। पता चला है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार तथा

स्थानीय प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग, केरल सरकार इन अध्ययन रिपोर्टों में उठाये गये मुद्दों की जांच कर रहे हैं। आयोग का मत है कि राज्य सरकारों द्वारा स्वयं ही समय-समय पर सफाई कर्मचारियों और मेहतरों की रहन-सहन व काम-काज की परिस्थितियों की जांच की जानी चाहिए तथा सभी प्रकार की कमियों को दूर करने की दिशा में उचित कदम उठाए जाने चाहिए। सभी सफाई कर्मचारियों और मेहतरों को अनिवार्य रूप से गमबूट और खुरचनी दी जानी चाहिए तथा सभी रिक्त पदों को भी प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए।

सेवा संबंधी शिकायतों/उत्पीड़न के बारे में अभ्यावेदन

2.26 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध सेवा संबंधी संरक्षण एक प्रमुख कार्य है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से प्राप्त व्यक्तिगत शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है। पीड़ित कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघों तथा अन्य संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच पड़ताल की जाती है तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संबंधित प्रशासन अधिकारियों के समक्ष मामला उठाया जाता है। आवेदनकर्त्ताओं को उनके मामलों में हुई प्रगति तथा अन्तिम परिणाम की सूचना भेजी जाती है।

2.27 1984-85 के दौरान आयोग के मुख्यालय में कुल 3165 अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें से 1112 मामले सेवाओं में तथाकथित अन्याय के संबंध में थे जिन पर उचित कार्रवाई की गयी। शिकायतों की किस्म के आधार पर 1112 अभ्यावेदनों का वर्गीकरण नीचे दिया गया है:—

शिकायत कि किस्म	मामलों की संख्या
1. सहानुभूति के आधार पर नियुक्ति/रोजगार	158
2. चयन तथा नियुक्ति आदेश देने में विलम्ब	12
3. सेवा/गुनरोजगार में नियमित करना	30
4. पवोन्नति	202
5. अधिक्रमण/वरिष्ठता का गलत निर्धारण किया जाना/पदावनति	71
6. चयन ग्रेड, वेतन इत्यादि की बकाया राशि का भुगतान न किया जाना	53
7. आरक्षण नीति को लागू न करना	98
8. नियोजक द्वारा उत्पीड़न/भेदभाव का बरताव	97
9. अनुभव तथा शैक्षिक योग्यता इत्यादि में छूट देना	8
10. स्थानान्तरण	81
11. स्थायीकरण	10
12. सेवा समाप्त करना	41
13. अनुशासनात्मक कार्रवाई/गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल प्रविष्टियां तथा निलम्बन	34
14. अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्ति	2
15. अनियमित नियुक्तियां/झूठे-जाति प्रमाण पत्र	22
16. जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन करने में कठिनाई	7
17. सरकारी आवास का आवंटन	27
18. प्रशिक्षण सुविधाएं देने से इंकार	16
19. अन्य शिकायतें	143

शिकायतों का निराकरण

2. 28 जो स्थानीय किस्म के अभ्यावेदन होते हैं उन्हें क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दिया जाता है ताकि वे संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के समक्ष मामला उठा सकें। अन्य मामलों पर मुख्यालय द्वारा ही कार्रवाई की जाती है। समीक्षाधीन वर्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 57 प्रार्थियों की शिकायतों का निराकरण करवाया गया। इन शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है :

शिकायत/निराकरण	मामलों की संख्या
1. आरक्षित प्वाइंट पर नियुक्ति के लिए चयन करना	6
2. शिक्षित मानक के आधार पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना	1
3. वरिष्ठता का निर्धारण	1
4. सेवा में पुनर्नियुक्ति	5
5. वेतन निर्धारण तथा वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य दावों की बकाया राशि का भुगतान	4
6. सेवा में स्थायीकरण	1
7. गोपनीय रिपोर्ट से प्रतिकूल प्रविष्टियां हटाना	1
8. संवर्ग का पुनर्निर्धारण	1
9. अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में दावों को स्वीकार करना	1
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संगठनों को आरक्षित रिक्त पदों की सूचना भेजने का आश्वासन	1
11. इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण आदेशों का निरस्तीकरण	13
12. पदोन्नतियां	22

2. 29 क्षेत्रीय कार्यालयों के निदेशकों और उप निदेशकों को जो शिकायतें/अभ्यावेदन सीधे प्राप्त होते हैं उनका भी निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष मामला उठाया जाता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को सलाह देना

2. 30 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पीड़ित व्यक्ति स्वयं आयोग के कार्यालय में आते हैं तथा नौकरी में उनके साथ हुए अन्याय को ठीक कराने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। उन्हें सेवा संबंधी विभिन्न संरक्षणों की जानकारी करायी जाती है। उन्हें इस बारे में भी सलाह दी जाती है कि सेवा संबंधी संरक्षणों के मामले में जारी किए गए आदेशों को ध्यान में रखते हुए वे अपना मामला किस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। 1984-85 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 258 व्यक्तियों ने इस प्रकार की सलाह लेने के लिए आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की।

2. 31 इस अध्याय में भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, सरकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा राज्य सरकारों व संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों में आरक्षण की स्थिति की समीक्षा करने का प्रयास किया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं में संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के राष्ट्रीय संकल्प को तीन दशक गुजर जाने के बाद भी कुल मिलाकर स्थिति असंतोषजनक बनी हुई है। स्पष्ट है कि हमने बराबर प्रयास नहीं किए तथा हमारा प्रशासनिक तंत्र पर्याप्त नहीं है। अब समय आ गया है कि हम गम्भीरतापूर्वक और दृढ़ निश्चय के साथ इनकी समीक्षा करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कमजोर वर्गों को संविधान में दी गयी सुरक्षा से अब और वंचित न किया जाए, कठोर कदम उठाने होंगे। जब तक पीछे से चले आ रहे आरक्षित रिक्तपदों को भर नहीं दिया जाता तब तक सामान्य भर्तियों को कम करना तथा कार्मिक प्रबंध के कार्यभारी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने जैसे सख्त कदम उठाने पर विचार करना होगा। जो अधिकारी संवैधानिक सुरक्षा की अवहेलना करते हैं उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। आयोग जोर देकर यह सिफारिश करता है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा सेवा संबंधी रक्षोपायों को व्यापक रूप से लागू किया जाए तथा उन पदाधिकारियों के लिए कारगर दण्डात्मक व्यवस्था की जाए जो जानबूझकर संविधान और राष्ट्रपति के निर्देशों की अवहेलना करते हैं।

अनुलग्नक 1 (क)

1-1-84 और 1-1-85 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक व उसके सहायक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व का तुलनात्मक विवरण

क्र. सं.	बैंक/संस्था का नाम	वास्तविक प्रतिनिधित्व का प्रतिशत					
		अधिकारी		क्लर्क		अधीनस्थ स्टाफ	
		1-1-84	1-1-85	1-1-84	1-1-85	1-1-84	1-1-85
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) राष्ट्रीयकृत बैंक							
1	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	3.70	5.05	12.00	11.85	17.30	18.47
2	बैंक आफ इंडिया	10.21	11.38	11.89	12.36	29.68	28.16
3	पंजाब नेशनल बैंक	8.43	8.68	11.39	16.90	31.31	31.85
4	बैंक आफ बड़ौदा	7.88	8.62	12.51	12.56	24.42	24.90
5	यूनाइटेड कामर्शियल बैंक	5.00	5.71	10.30	11.51	22.98	23.17
6	केनरा बैंक	6.44	7.60	13.38	13.49	17.59	18.84
7	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	2.50	2.54	15.20	15.44	18.81	23.00
8	देना बैंक	5.39	6.24	13.37	13.85	23.64	23.07
9	सिंडीकेट बैंक	7.89	8.91	13.01	13.42	27.16	27.70
10	यूनियन बैंक आफ इंडिया	4.65	6.35	15.96	16.68	30.69	31.90
11	बलाहाबाद बैंक	5.04	8.30	14.18	14.33	24.25	22.95
12	इंडियन बैंक	9.26	9.63	15.72	17.48	31.20	31.51
13	बैंक आफ महाराष्ट्र	9.38	10.35	12.71	11.99	23.96	24.46
14	इंडियन ओवरसीज बैंक	9.13	9.36	20.91	20.79	35.56	35.34
15	पंजाब एंड सिंध बैंक	1.04	1.42	2.77	3.63	6.00	7.78
16	कारपोरेशन बैंक	1.10	1.48	5.06	8.08	19.62	25.12
17	ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स	1.16	0.98	10.88	12.29	4.67	16.96
18	विजया बैंक	1.04	0.78	2.84	4.10	9.49	11.14
19	न्यू बैंक आफ इंडिया	0.27	0.73	7.14	7.76	22.08	23.65
20	आन्ध्रा बैंक	1.13	1.80	12.35	12.03	15.91	18.62
(ख) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसकी सहायक बैंक							
1	स्टेट बैंक आफ इंडिया	2.90	2.83	14.80	15.44	22.23	22.50
2	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	5.28	7.40	17.16	17.73	20.86	20.12
3	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	2.73	4.55	9.31	9.53	10.92	12.05
4	स्टेट बैंक आफ इम्बौर	2.86	6.23	15.11	13.93	19.53	20.98
5	स्टेट बैंक आफ मैसूर	3.62	5.29	10.05	9.63	12.12	16.77
6	स्टेट बैंक आफ पटियाला	5.93	9.83	17.88	17.72	36.08	37.32
7	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	6.95	10.11	12.75	12.33	11.87	16.19
8	स्टेट बैंक आफ ट्रावन्कोर	5.30	6.62	11.63	11.86	22.01	21.80
(ग) अन्य वित्तीय संस्था							
1	रिजर्व बैंक आफ इंडिया	उ० न०	5.42	उ० न०	12.04	उ० न०	22.26
2	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	5.35	5.57	13.46	12.87	26.90	28.64
3	भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	6.32	6.52	9.72	10.00	26.66	26.67
4	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	5.60	6.65	15.20	14.16	27.34	27.89
5	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	4.48	7.31	11.69	9.42	26.08	18.62
6	एक्विजम बैंक		6.00		बैंक में कोई लिपिक वर्गीय पद नहीं है।	--	--
जोड़		5.05	5.72	13.48	13.83	22.95	23.79

अनुलग्नक 1 (क)

1-1-84 और 1-1-85 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक व इसके सहायक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का तुलनात्मक विवरण

क्रम सं०	बैंक/संस्था का नाम	वास्तविक प्रतिनिधित्व का प्रतिशत					
		अधिकारी		क्लर्क		अधीनस्थ स्टाफ	
		1-1-84	1-1-85	1-1-84	1-1-85	1-1-84	1-1-85
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) राष्ट्रीयकृत बैंक							
1	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	0.70	0.96	3.60	3.93	3.59	3.49
2	बैंक आफ इंडिया	3.97	4.54	3.60	3.93	5.04	5.08
3	पंजाब नैशनल बैंक	1.54	1.52	2.65	2.95	4.94	5.11
4	बैंक आफ बड़ौदा	1.00	1.21	2.08	2.41	5.49	4.94
5	यूनाइटेड कामर्शियल बैंक	1.00	0.25	2.50	2.75	4.56	5.10
6	केनरा बैंक	2.41	2.71	3.15	3.97	2.45	2.13
7	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1.00	0.99	1.53	1.64	1.84	3.63
8	देना बैंक	1.70	2.13	4.30	5.07	9.37	9.19
9	सिंडिकेट बैंक आफ इंडिया	2.49	2.73	3.28	2.67	9.09	5.37
10	यूनिजन बैंक आफ इंडिया	1.03	1.78	1.45	1.87	3.36	3.44
11	इलाहाबाद बैंक	0.79	1.34	1.54	3.07	1.95	2.48
12	इंडियन बैंक	3.04	2.92	1.82	2.53	3.75	3.63
13	बैंक आफ महाराष्ट्र	2.20	2.97	2.29	4.05	7.32	7.16
14	इंडियन ओवरसीज बैंक	3.59	3.63	2.21	2.42	3.84	4.34
15	पंजाब एंड सिंध बैंक	0.37	0.38	0.39	2.84	2.03	0.23
16	कारपोरेशन बैंक	—	0.13	1.29	2.19	2.82	3.80
17	ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स	0.31	0.29	1.47	2.03	2.14	3.51
18	विजया बैंक	0.31	0.25	1.05	1.46	2.47	3.26
19	न्यू बैंक आफ इंडिया	0.08	0.11	1.21	1.33	1.40	3.69
20	आंध्र बैंक	0.52	0.68	1.73	2.91	6.30	6.83
(ख) स्टेट बैंक आफ इंडिया और उसके सहायक बैंक							
1	स्टेट बैंक आफ इंडिया	0.70	0.72	4.00	4.21	3.72	3.90
2	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	0.14	1.51	4.44	4.22	4.09	4.55
3	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	0.87	0.97	0.89	0.88	2.38	2.53
4	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	1.78	1.96	4.15	4.13	8.71	9.52
5	स्टेट बैंक आफ मैसूर	0.98	1.04	3.28	3.59	3.29	3.84
6	स्टेट बैंक आफ पटियाला	0.60	0.76	0.61	0.61	1.54	1.58
7	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1.11	1.07	4.63	5.40	2.68	3.31
8	स्टेट बैंक आफ द्रावनकोर	1.00	1.02	1.70	1.78	3.75	4.11
(ग) अन्य वित्तीय संस्थाएं							
1	रिजर्व बैंक आफ इंडिया	उ० न०	1.13	उ० न०	5.62	उ० न०	5.80
2	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	0.56	0.51	1.03	0.79	1.52	1.51
3	भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	1.26	2.17	—	—	4.44	2.22
4	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1.10	1.33	4.10	3.74	7.30	7.64
5	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	1.79	3.55	11.69	3.46	7.60	3.29
6	एविजम बैंक	—	2.00	कैंडर में कोई कर्मचारी नहीं	—	—	—
जोड़		1.34	1.48	2.95	3.41	3.96	4.32

अनुलग्नक 2

राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के अधीन सेवाओं और पवों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का वास्तविक प्रतिनिधित्व

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	1981 में जन-संख्या का प्रतिशत		आरक्षण का निर्धारित कोटा	सेवाओं में वास्तविक प्रतिनिधित्व का प्रतिशत								सूचना
		अनु० जाति	अनु० जनजाति		अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				
					क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ	
1	हरियाणा	19.07	--	सभी श्रेणी के पवों की सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए 20 प्रतिशत तथा केवल श्रेणी ग और घ पवों पर पवोन्नति में अनु० जनजातियों के लिए 20 प्रतिशत	3.0	5.2	8.1	42.5	--	--	--	--	30-6-85
2	जम्मू व कश्मीर	8.31	--	सभी श्रेणी पवों पर सीधी भर्ती में 8 प्रतिशत। पवोन्नति में जहाँ सीधी भर्ती का कोटा 25 प्रतिशत या कम है वहाँ आरक्षण 8 प्रतिशत है। अन्य मामलों में यह 4 प्रतिशत है।	5.26 राजपक्षित	7.17 अराजपक्षित	12.52 चतुर्थ श्रेणी	--	--	--	--	--	1-1-85
3	कर्नाटक	15.07	4.91	सीधी भर्ती में अनु० जातियों के लिए 15 प्रतिशत तथा अनु० ज० जातियों के लिए 3 प्रतिशत	12.28	7.09	10.88	17.85	1.81	1.41	1.88	2.32	31-3-84
4	केरल	10.03	1.03	केवल सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए 8 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 प्रतिशत	7.4 राजपक्षित	9.4 अराजपक्षित	12.5 अंतिम ग्रेड (श्रेणी ग)	0.5 राजपक्षित (श्रेणी क, ख)	0.4 अराजपक्षित (श्रेणी ग)	0.8 अंतिम ग्रेड (श्रेणी घ)	--	--	1-1-85
5	मध्य प्रदेश	14.10	22.97	सीधी भर्ती और पवोन्नति में श्रेणी-1 व श्रेणी-2 में अनु० जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 18 प्रतिशत। सीधी भर्ती और पवोन्नति में श्रेणी-3 व श्रेणी-4 में अनु० जातियों के लिए 16 प्रतिशत और अनु० जनजातियों के लिए 20 प्रतिशत	2.33	5.75	8.30	11.69	0.97	2.59	7.50	9.88	ज्ञात नहीं
6	उड़ीसा	14.66	22.43	सीधी भर्ती और पवोन्नति में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 23 प्रतिशत	2.82	2.33	9.13	17.39	1.35	1.25	6.06	9.97	30-7-85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	तमिलनाडु	18.35	1.07	केवल सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त आरक्षण 18 प्रतिशत	11.08 राज्य सेवाएं	12.8 अधीनस्थ सेवाएं	11.8 लिपिकीय सेवाएं	11.6 सामान्य अधीनस्थ सेवाएं	0.02 राज्य सेवाएं	0.3 अधीनस्थ सेवाएं	0.8 लिपिकीय सेवाएं	0.04 सामान्य अधीनस्थ सेवाएं	1-1-83
8	मिपुरा	15.12	28.44	सीधी भर्ती और पब्लिसि में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 29 प्रतिशत	2.36 गैरतकनीकी	4.82 4.61 तकनीकी	8.92 8.92	16.24 14.38	6.70 9.54	4.77 7.61	19.45 11.15	19.08 17.21	31-12-84
9	उत्तर प्रदेश	21.16	0.21	अनुसूचित जातियों के लिए 18 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 20 प्रतिशत	6.77	7.50	13.62	17.80	0.42	0.45	0.35	0.36	1-1-85
10	चंडीगढ़	14.09	—	सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 प्रतिशत, पब्लिसि में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत	5.7	3.4	12.0	26.8	—	—	0.3	0.53	1-1-84

अस्पृश्यता का उन्मूलन और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन

संविधान के अनुच्छेद 17 के अधीन किसी भी रूप में छुआछूत का प्रचलन समाप्त कर दिया गया है। लेकिन 35 वर्ष गुजर जाने के बाद आज भी यह सामाजिक बुराई देश के विभिन्न भागों में घट-बढ़ रूप में व्याप्त है—विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

3.2 अस्पृश्यता के अपराधी की समीक्षा : सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन 1982 से 1984 तक दर्ज किये गये मामलों का तुलनात्मक विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है। लेकिन विभिन्न राज्यों में व्याप्त वास्तविक छुआछूत की सही तस्वीर इन आंकड़ों में प्रतिबिम्बित नहीं होती। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकांश पीड़ित व्यक्ति किसी-न-किसी कारण पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करते तथा कानूनी मदद नहीं लेते। इस प्रकार छुआछूत के बहुत से मामले दर्ज नहीं हो पाते। अतः राज्य सरकारों द्वारा दिए गये मामलों के आंकड़ों से यह पता नहीं चलता कि वहाँ वास्तव में किस सीमा तक छुआछूत व्याप्त है। बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में छुआछूत की समस्या बहुत बिकट है। लेकिन ये राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक इत्यादि की तुलना में बहुत कम मामलों की सूचना भेजते रहे हैं। जिन राज्यों में सरकारी तंत्र थोड़ा सा चुस्त है और अनुसूचित जातियों द्वारा सहे जा रहे अपमान के प्रति संवेदनशाली हैं उन राज्यों की पुलिस स्वयं भी छुआछूत के अपराधियों के विरुद्ध मामले दर्ज करती है। इसलिए ऐसे राज्यों में पुलिस द्वारा दर्ज किये गये मामलों की संख्या दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक होती है। अतः राज्यों से प्राप्त आंकड़े हमेशा सही तस्वीर पेश नहीं करते। आयोग यह अनुभव करता है कि छुआछूत केवल पुलिस कार्रवाई से दूर नहीं किया जा सकता बल्कि इसके साथ-साथ सामाजिक जागरूकता और कृत-संकल्प सामाजिक कार्रवाई को भी आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित उपाय करे। इससे जहाँ एक ओर अस्पृश्यता मिटाने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जाति के लोगों में अपराधियों के विरुद्ध खड़े होने की हिम्मत आयेगी। इसके साथ-साथ यह बात भी महत्वपूर्ण है कि पुलिस द्वारा जांच कार्य तेजी से निपटारा जाए तथा न्यायालयों द्वारा भी मुकदमों का शीघ्र निपटान किया जाये।

3.3 आयोग ने वर्ष 1981 से 1984 की अवधि में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन दर्ज किये गये मामलों तथा पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटारे गये मामलों के आंकड़े एकत्र किये। 1981-1984 के दौरान पुलिस और न्यायालयों द्वारा दर्ज किये गये तथा निपटारे गये मामलों के आंकड़े अनुलग्नक-2 में दर्शाये गये हैं। पुलिस द्वारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मामलों

का राज्यवार पंजीकरण और निबटान अनुलग्नक-3 में दर्शाया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान न्यायालयों द्वारा निबटारे गये मामलों का विवरण अनुलग्नक-4 में दिया गया है। इन विवरणों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि कुल मामलों में से औसतन 25% मामले न्यायालयों तक पहुँच पाए हैं तथा इसी अवधि में इनमें से 14% मामले दोषसिद्धि में समाप्त हुए हैं। इन आंकड़ों का आगे और विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि 1984 में पुलिस द्वारा दर्ज किये गये मामलों में से केवल 10% मामलों में ही अपराधी दोषी पाये गए जबकि शेष 90% मामलों में अपराधी या तो पुलिस अन्वेषण के दौरान छूट गए या फिर पर्याप्त साक्ष के अभाव में न्यायालयों द्वारा छोड़ दिये गये। इस निराशाजनक स्थिति पर राज्य सरकारों को गंभीरता से विचार करना होगा। अधिकांश मामले पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने में ही समाप्त हो जाते हैं। इसका एक प्रमुख कारण है—उत्पीड़ित व्यक्तियों और उनके गवाहों की सागाजिक और आर्थिक स्थिति का कमजोर होना। न्यायालयों में भी बहुत सारे मामले दोषमुक्ति में समाप्त हो जाते हैं। इसके प्रमुख कारण हैं—पुलिस द्वारा की गई जांच-पड़ताल में त्रुटियाँ रह जाना, न्यायालयों में अभियोजन पक्ष के अधिकारियों द्वारा मामलों को निपटाने में अकुशलता अथवा उदासीनता दिखाना, तथा उत्पीड़ित व्यक्तियों और उनके गवाहों का दबाव, लालच अथवा धमकियों के आगे झुक जाना। बहुत से मामलों में मुकदमा लम्बा खिच जाने से उत्पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में अपने मामलों का सफलतापूर्वक संचालन नहीं कर पाते और हतोत्साहित हो जाते हैं।

3.4 अतः आयोग सिफारिश करता है कि न्यायालयों में छुआछूत के मामलों के असफल होने के कारणों की राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त स्तर पर समीक्षा कराई जाए। पुलिस अथवा अभियोजन पक्ष के कर्मचारियों को लापरवाही के कारण यदि न्यायालयों में मामला दोषमुक्ति में समाप्त हो जाता है तो सरकार द्वारा दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। दूसरी ओर जिन अधिकारियों का काम अच्छा पाया जाता है उन्हें समुचित प्रोत्साहन देकर सम्मानित किया जाना चाहिए।

3.5 जिन क्षेत्रों में रूढ़िवादी धार्मिक मान्यतायें व रीति-रिवाज प्रचलित हैं मुख्यतः वहाँ अस्पृश्यता का प्रचलन अब भी बरकरार है और उसमें कोई कमी नहीं आई है। अब समय आ गया है कि इस कुप्रथा पर चारों तरफ से प्रहार करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा स्वयंसेवी संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं, सांस्कृतिक संगठनों आदि के माध्यम से अधिक दृढ़ता के साथ प्रयास किये जाएं।

3.6 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का कार्यान्वयन : सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15-क में भारत सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा किये गये उपायों की एक रिपोर्ट प्रति वर्ष संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करे। इस उपबंध के अनुपालन में कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 1984 की रिपोर्ट (सातवीं रिपोर्ट) 21-2-1986 को राज्य सभा के पटल पर तथा 26-2-1986 को लोक सभा के पटल पर रखी थी।

3.7 कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई 1984 की रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों के चहुँमुखी विकास तथा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट में आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र सूचना कार्यालय, प्रचार प्रभाग, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, क्षेत्र प्रचार निदेशालय तथा संगीत एवं नाटक प्रभाग के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा छुआछूत का बुराड़ियों के विरुद्ध जन-चेतना जागृत करने के लिए किये गये कार्यों का भी उल्लेख किया गया है।

3.8 उक्त अधिनियम की धारा 15-क के अधीन राज्य-सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से ऐसे उपाय करने का अपेक्षा की गई है जिनके अंतर्गत समुचित सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकें—जैसे (1) कानूनी सहायता, (2) अभियोजन की कार्रवाई पर निगरानी रखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति; (3) विशेष न्यायालयों की स्थापना; (4) उपयुक्त स्तरों पर समितियों का गठन; (5) अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन का सावधिक सर्वेक्षण तथा (6) उन क्षेत्रों का पता लगाना जहाँ लोगों को छुआछूत का शिकार होना पड़ता है। राज्य सरकारों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि छुआछूत दूर करने के लिए समुचित कदम उठाये। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा किए गए उपायों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है :—

(1) **कानूनी सहायता :** बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और सिंधुपुरा की राज्य सरकारों ने अस्पृश्यता/अत्याचार के शिकार हुए अनुसूचित जाति के लोगों को कानूनी सहायता देने की योजनाएँ लागू हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए कर्नाटक सरकार ने प्रत्येक जिले में कुछ वकीलों को कानूनी सलाहकार नियुक्त कर रखा है। असम, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी ने अस्पृश्यता से उत्पीड़ित लोगों के लिए कोई कानूनी सहायता योजना नहीं बनाई है। फिर भी इन राज्यों में किसी भी नागरिक को (जिसमें अनुसूचित जाति के सदस्य भी शामिल हैं) आर्थिक अथवा अन्य प्रकार की आवश्यकता के आधार पर निःशुल्क कानूनी सहायता देने की योजना है। हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ ने कानूनी सहायता देने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की है। उत्तर प्रदेश में विधि विभाग 1982-83 से कानूनी सहायता का काम देख रहा है। पश्चिम बंगाल

में यद्यपि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कानूनी सहायता देने की कोई पृथक योजना अभी तक नहीं बनाई गई है फिर भी इस मामले पर विचार किये जाने की सूचना मिली है।

अधिकांश राज्यों ने इस सुविधा की पात्रता के लिए लाभार्थी की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा 1,000 रुपये से लेकर 7,200 रुपये के बीच निर्धारित की है। राजस्थान में जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 1000 रुपये से अधिक नहीं है वह "कानूनी सहायता बोर्ड" से निःशुल्क कानूनी सहायता लेने का पात्र है, लेकिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

आयोग सकारिण करता है कि अनुसूचित जातियों के मामले में राज्य सरकारों द्वारा आय की अधिकतम सीमा हटा दी जाए और इस योजना का व्यापक प्रचार भी किया जाए ताकि अस्पृश्यता ब अन्य प्रकार की नियोग्यताओं से पीड़ित अधिक से अधिक लोग इस योजना से फायदा उठा सकें।

(2) **अधिकारियों की नियुक्ति :** सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मामलों में मुकदमा चलाने अथवा उन पर निगरानी रखने के लिए बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली और पांडिचेरी की सरकारों ने राज्य स्तर और/अथवा अन्य स्तरों पर विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किये हैं। बिहार सरकार ने गृह (पुलिस) विभाग में पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के एक अधिकारी के अधीन एक हरिजन प्रकोष्ठ तथा गृह विभाग में राज्य स्तरीय एक हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ स्थापित किया है। इसके साथ-साथ प्रखंड, जिला, सब-डिवीजन तथा ब्लॉक स्तरों पर इसी प्रकार के प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामले दर्ज करने तथा उनका जांच करके लिए 11 हरिजन पुलिस स्टेशन स्थापित किये गये हैं। इस प्रकार के और 14 पुलिस स्टेशन स्थापित करने के मामले पर राज्य सरकार विचार कर रही है। कर्नाटक में "सिविल राइट्स इनफोर्मेशन सेल" नामक एक विशेष प्रकोष्ठ 1974 में स्थापित किया गया था। 1980 में चार क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर इस प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया गया। केरल में पुलिस मुख्यालय में पुलिस उप महानिरीक्षक के अधीन एक विशेष प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त दो पुलिस स्क्वाड भी स्थापित किये गये हैं। मध्य प्रदेश में हरिजन और जनजाति कल्याण विभाग में विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। इसके अलावा 7 जिलों के मुख्यालयों में "विशेष हरिजन कल्याण पुलिस स्टेशन" स्थापित किये गये हैं। तमिलनाडु में जिला स्तर पर एक "विशेष प्रकोष्ठ" स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के सभी 20 जिलों में पुलिस स्टेशनों के काम में मदद देने के लिए "मोबाइल पुलिस स्क्वाड" भी कार्य कर रहा है। पंजाब, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में इस उपबंध के अधीन कोई पूर्ण विकसित व्यवस्था नहीं है। तथापि

पश्चिम बंगाल ने राज्य स्तर पर एक प्रकोष्ठ स्थापित किया है और जिला, सब-डिवीजन व ब्लॉक स्तरों पर विशेष अधिकारों अपने सामान्य कार्यों के अतिरिक्त सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यों को भी देखते हैं।

आयोग के ध्यान में यह बात आई कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के मामलों में मुकदमा चलाने अथवा उस पर निगरानी रखने के लिए अनेक राज्यों ने अधिकारियों की नियुक्ति की दिशा में कदम उठाये हैं, लेकिन किसी भी राज्य ने इस अधिकारियों के कार्य का अवधिक मूल्यांकन करने के लिए कोई आंतरिक व्यवस्था तैयार नहीं की प्रतीत होती ताकि जब कभी आवश्यकता पड़े तो उपचारात्मक उपाय किये जा सकें। इस कारण इस उपबंध के अधीन उठाये गये कदमों का अस्पृश्यता के निवारण पर अपेक्षित प्रभाव पड़ा प्रतीत नहीं होता। अतः आयोग यह सिफारिश करता है कि राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के इस उपबंध के अधीन की गई व्यवस्था का आवधिक मूल्यांकन किया जाए।

(3) विशेष न्यायालय : राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा अत्याचार के मामलों के मुकदमों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं। अधिकांश न्यायालयों की बैठकें जिला मुख्यालयों में ही होती हैं तथा मुकदमों की शीघ्र सुनवाई के लिए क्षेत्र में बैठकें आयोजित नहीं की जाती। गुजरात में राज्य सरकार ने विशेष न्यायालय स्थापित करने की व्यावहारिकता के मामले पर गुजरात हाई कोर्ट से परामर्श लिया। लेकिन हाई कोर्ट ने यह विचार व्यक्त किया कि इस प्रकार के विशेष न्यायालयों के पास पर्याप्त मात्रा में काम नहीं होगा।

आयोग का मत है कि जब तक विशेष न्यायालयों को संचल नहीं बनाया जाता, तब तक वे उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते जिसके लिये उनकी स्थापना की गई है। अतः आयोग अपनी पिछली सिफारिश पर पुनः जोर देता है कि जिन 6 राज्यों में विशेष न्यायालय स्थापित किये गये हैं उन्हें संचल बनाया जाए ताकि वे कारगर और उद्देश्यपूर्ण साबित हो सकें। आयोग यह सिफारिश भी करता है कि शेष राज्यों—विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जहां अस्पृश्यता और अत्याचार के मामलों की संख्या बहुत अधिक है, में स्थिति की समीक्षा की जाए और यथाशीघ्र संचल न्यायालय स्थापित किये जाएं।

(4) समितियों का गठन : असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में अस्पृश्यता निवारण के लिए उपाय करने अथवा इनके कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की मदद करने के लिए राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में अभी तक इस प्रकार की कोई समिति नहीं बनाई गई है। यद्यपि दिल्ली में अस्पृश्यता की समस्याओं से निबटने के लिए किसी विशेष समिति का गठन नहीं

किया गया है, फिर भी “अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण बोर्ड” अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति निदेशालय के लिए सलाहकार का काम कर रहा है।

यद्यपि बहुत से राज्यों ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंध के अनुपालन में समितियों का गठन कर दिया गया है लेकिन उनकी बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही हैं। इससे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती जिसके लिए वे समितियां बनाई जाती हैं। आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकारों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि इन समितियों की बैठकें नियमित रूप से हों।

(5) आवधिक सर्वेक्षण : अधिनियम को बेहतर ढंग से लागू करने के उपाय मुझने के लिए आवधिक सर्वेक्षण करने की आवश्यकता होती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के राज्यों ने इस प्रकार के सर्वेक्षण करवाए हैं। बिहार में ए० एन० सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना ने आधा दर्जन अध्ययन किये जिनमें से दो अध्ययन 1984 में किये गये। गुजरात में 123 गांवों का सर्वेक्षण किया गया। मध्य प्रदेश में सागर जिले के 11 गांवों में सर्वेक्षण किया गया। तमिलनाडु में अस्पृश्यता की दृष्टि से संवेदनशील 564 गांवों में सर्वेक्षण किया गया। उत्तर प्रदेश में भी इलाहाबाद जिले में कुछ सर्वेक्षण किये गये। पश्चिम बंगाल के सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान ने 1984-85 में 17 गांवों का सर्वेक्षण किया। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इस प्रकार के सर्वेक्षणों की कोई सूचना नहीं मिली है। आयोग का विचार है कि विशेषकर आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन का आवधिक सर्वेक्षण करने तथा अस्पृश्यता निवारण के लिए कारगर उपायों का पता लगाने की दिशा में अभी बहुत काम करना है।

(6) अस्पृश्यता उन्मुख क्षेत्रों का पता लगाना : बिहार और तमिलनाडु को छोड़कर किसी भी अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र ने अस्पृश्यता उन्मुख जिलों या क्षेत्रों की शिनाख्त नहीं की है। बिहार में “ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान”, पटना ने अस्पृश्यता उन्मुख 7 जिलों का पता लगाया है। तमिलनाडु में 564 गांवों/टोलों का पता लगाया जा चुका है। जिनमें से 64 गांवों/टोलों की शिनाख्त 1984 में की गई।

विशेषकर जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में छुआछूत की समस्या अधिक प्रबल है उनसे आयोग अनुरोध करता है कि आगे और विलम्ब किये बिना अस्पृश्यता उन्मुख क्षेत्रों का पता लगाया जाए ताकि इन क्षेत्रों में अस्पृश्यता दूर करने की ओर वे अपना ध्यान केन्द्रित कर सकें।

3.9 अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा किये गये उपाय : असम, बिहार, केरल, हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा जैसे कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आंतरजातीय विवाह को जिसमें वर अथवा वधू अनुसूचित जाति का हो, प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना चलाई है। बिहार में

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों का प्रचार करने का कार्य बिहार राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम, पटना द्वारा किया जा रहा है। गुजरात में अस्पृश्यता के विरुद्ध सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए फिल्मों के प्रदर्शन से जन-संचार कार्यक्रम शुरू किये गये तथा अस्पृश्यता निवारण अभियान चलाने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 1984 से गांधी सप्ताह मनाया गया। कर्नाटक में सूचना एवं प्रचार विभाग द्वारा आयोजित प्रचार कार्यक्रम में "सिविल अधिकार संरक्षण कार्यान्वयन प्रकोष्ठ" ने सक्रिय भाग लिया। केरल में हरिजन कल्याण विभाग ने अस्पृश्यता की बुराइयों पर सेमिनारों, सामूहिक भोजों, फिल्मों के प्रदर्शन का आयोजन किया तथा 2 से 16 अक्टूबर, 1984 तक "सामाजिक एकता पखवाड़ा" मनाया गया। मध्य प्रदेश में 26 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 1984 के दौरान "सिविल अधिकार संरक्षण सप्ताह" मनाया गया और अस्पृश्यता निवारण के संबंध में सराहनीय कार्य के लिए पंचायतों को नगद पुरस्कार दिये गये। तमिलनाडु में पिछले वर्षों की तरह 24 जनवरी, से 30 जनवरी

1984 तक "आदिद्विड़ कल्याण सप्ताह" मनाया गया। इसके अंतर्गत बठकों का आयोजन करके अस्पृश्यता की बुराइयों और इन्हें दूर करने की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया। सिनेमाघरों में प्रदर्शन के लिए फिल्म बनाने तथा पोस्टर छापने के लिए एक "प्रचार यूनिट" को मंजूरी दी गई। अस्पृश्यता निवारण पर "तीथयात्रा" नामक एक वृत्तचित्र भी तैयार किया गया, जिसको सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने के लिए नवम्बर 1984 में रिलीज किया गया था। उत्तर प्रदेश में पोस्टरों तथा पत्रिकाओं आदि के माध्यम से प्रचार करने के लिए राज्य स्तर पर एक "प्रचार एवं प्रसार यूनिट" स्थापित की गई है। पश्चिम बंगाल में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मामलों में ब्लाक स्तर के इन्सपेक्टरों को प्रशिक्षण देने के लिए 1984-85 में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया। चंडीगढ़ प्रशासन ने वाल कलैन्डरों और डायरियों पर "अस्पृश्यता ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध है" जैसे नारे छपवाये तथा चंडीगढ़ प्रशासन की बसों पर भी यह नारा लिख कर इसका प्रचार किया गया।

अनुलग्नक 1

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1982 से 1984 तक की अवधि में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन पंजीकृत मामलों का तुलनात्मक विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुलिस में दर्ज किये गये मामलों की संख्या		
	1982	1983	1984
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	263	385	269
बिहार	28	16	11
गुजरात	347	306	271
हरियाणा	5	5	शून्य
हिमाचल प्रदेश	6	6	4
जम्मू व कश्मीर	4	5	2
कर्नाटक	674	567	532
केरल	29	37	37
मध्य प्रदेश	337	390	370
महाराष्ट्र	769	558	510
उड़ीसा	125	90	उ० न०
राजस्थान	186	193	168
तमिलनाडू	1,105	1,205	1,402
उत्तर प्रदेश	186	173	203
दिल्ली	3	11	7
गोवा दमन व दीव	3	2	शून्य
पांडिचेरी	12	16	15
जोड़	4,082	3,965	3,806

नागालैंड, लक्षद्वीप और अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जातियाँ नहीं हैं। मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, जhरणाचल प्रदेश, दादरा व नगर हवेली और मिजोरम के बारे में सूचना शून्य है जबकि शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

अनुलग्नक 2

1981 से 1984 तक के दौरान पुलिस और न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथा निबटाए गए मामलों की संख्या को दशनिधाल विवरण

वर्ष	आगे लाये गये मामलों		पुलिस में दर्ज किए गए मामलों की संख्या	पुलिस द्वारा निबटाये गये मामलों की संख्या			न्यायालयों द्वारा निबटाये गये मामलों की संख्या			लम्बित मामलों की संख्या	पड़े		
	पुलिस में	न्यायालय में	मामलों की संख्या	अन्तिम रिपोर्ट में	चालान में	कुल	बोषसिद्ध में	बोष मुक्ति में	कुल	जांच के लिए	ट्राइल के लिए		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1981	.	.	698	4995	4085	982	2865	3847	441	2085	2526	936	5334
1982	.	.	690	4547	4087	897	2665	3562	199	1633	1832	1215	5380
1983	.	.	864	6347	3965	791	2902	3693	243	1707	1950	1136	7299
1984	.	.	455	5706	3806	1053	2708	3761	325	1781	2106	500	6308

अनुलग्नक 3

1984 के दौरान पुलिस द्वारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन मामलों का पंजीकरण और निबटान दशनिवाला विवरण

राज्य/सं० रा० क्षेत्र	पुलिस में दर्ज मामलों की संख्या			पुलिस द्वारा निबटारे गये मामलों की संख्या			निबटान के लिए पुलिस के पास संबन्धित पड़े मामलों की संख्या
	पीछे से आगे लाया गया	नये मामले	कुल	अंतिम रिपोर्ट में	चार्जशीट में	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	--	269	269	118	151	269	--
बिहार	11	11	22	1	9	10	12
गुजरात	3	271	274	25	240	265	9
हिमाचल प्रदेश	--	4	4	1	3	4	शून्य
जम्मू व कश्मीर	1	2	3	2	1	3	--
कर्नाटक	139	532	671	78	371	449	222
केरल	--	37	37	11	26	37	--
मध्य प्रदेश	15	370	385	16	334	350	35
महाराष्ट्र	129	510	639	268	317	585	54
राजस्थान	5	168	173	78	86	164	9
तमिलनाडु	99	1402	1501	368	1020	1388	113
उत्तर प्रदेश	41	208	249	80	136	216	33
दिल्ली	7	7	14	1	9	10	4
पांडिचेरी	5	15	20	6	5	11	9
जोड़	455	3806	4261	1053	2708	3761	500

अनुलग्नक 4

1984 के दौरान न्यायालय द्वारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम से संबंधित मामलों के पंजीकरण और निबटान को दर्शानेवाला विवरण

राज्य/सं. रा. क्षेत्र	न्यायालय में दर्ज मामलों की संख्या			न्यायालय द्वारा निबटारे गये मामलों की संख्या			द्रोहल के लिए लम्बित पड़े मामलों की संख्या
	पीछे से आगे लाया गया	नये मामले	कुल	बोधसिद्धि में	बोधमुक्ति में	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	उ०न०	151	151	6	1	7	144
बिहार	156	9	165	--	--	--	165
गुजरात	107	240	347	5	148	153	194
हिमाचल प्रदेश	3	3	6	--	--	--	6
जम्मू व कश्मीर	शून्य	1	1	--	--	--	1
कर्नाटक	789	371	1160	--	23	23	1137
केरल	43	26	69	--	8	8	61
मध्य प्रदेश	1117	334	1451	103	72	175	1276
महाराष्ट्र	1575	317	1892	96	445	541	1351
राजस्थान	337	86	423	31	54	85	338
तमिलनाडु	1083	1020	2103	54	937	991	1112
उत्तर प्रदेश	476	138	612	27	85	112	500
दिल्ली	18	9	27	--	5	5	22
पांडिचेरी	2	5	7	3	3	6	1
जोड़	5706	2708	8414	325	1781	2106	6308

अध्याय 4

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर लगातार अत्याचार होना आयोग के लिए चिन्ता का विषय है। यह स्थिति हमारे संविधान में सब को दी गई स्वतंत्रता और समानता के मानदंडों को नकारती है और इस कटु वास्तविकता को ओर इंगित करती है कि संविधान में सुरक्षात्मक उपबंधों के बावजूद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकांश लोगों को उनकी विषम सामाजिक और आर्थिक दशा के कारण आज भी दबाया जा रहा है।

अनुसूचित जातियों पर व्यापक अत्याचार की समीक्षा

4.2 वर्ष 1982 से 1984 के दौरान अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की घटनाओं के आंकड़े अनुलग्नक 1 में दिये गये हैं। वर्ष 1982 से 1984 तक के उपलब्ध अत्याचार के आंकड़ों की समीक्षा करने से किंचित चिन्ताजनक रूख का पता चलता है। कुल मिलाकर, अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के मामलों की संख्या 1982 में 15051 थी जो 1983 में घटकर 14847 रह गयी थी, परंतु यही संख्या बढ़कर 1984 में 16586 हो गयी। 1984 में अत्याचार के सबसे अधिक मामले मध्य प्रदेश (6128) में हुए, इसके बाद उत्तर प्रदेश (4200), बिहार (1845) और राजस्थान (1648) का नम्बर आता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दर्ज किए गए अत्याचार के कुल मामलों में से लगभग 95% मामले तमिलनाडु (489), गुजरात (690) और महाराष्ट्र (579) सहित उक्त राज्यों में ही घटित हुए।

4.3 वर्ष 1982 से 1984 तक की अवधि में मध्य प्रदेश (4749, 5292 और 6128 मामले), गुजरात (455, 476 और 690) और तमिलनाडु (153, 300 और 689 मामले) में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के मामलों की राज्यवार तुलनात्मक समीक्षा से निरंतर बढ़ रही प्रवृत्ति दिखाई देती है। तमिलनाडु के मामले में यह वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक है। दूसरी ओर, इसी अवधि के दौरान कर्नाटक (363, 194 और 169), जम्मू कश्मीर (45, 23 और 11), पांडिचेरी (7, 3 और 1) तथा गोआ, दमन व दीव (2, 1 और 0) में कम मामले दर्ज हुए। 1982 के मुकाबले 1983 में जहां अत्याचार के मामलों की संख्या कम हुई वहां 1984 में आंध्र प्रदेश (213, 181 और 190), बिहार (2073, 1809 और 1845), हिमाचल प्रदेश (73, 47 और 56), हरियाणा (144, 113 और 120), पंजाब (73, 36 और 46), राजस्थान (1731, 1604 और 1648) और उत्तर प्रदेश (3977, 3851 और 4200) में ये मामले अलग-अलग मात्रा में बढ़े हैं। महाराष्ट्र में 1982

में 680 मामले दर्ज हुए जो 1983 में बढ़कर 704 हो गए थे। परंतु 1984 में ये मामले घट कर 579 तक हो गये। अपराधिक आंकड़ों में हो रही वृद्धि की ओर आयोग समय-समय पर संबंधित राज्यों का ध्यान आकर्षित करता आ रहा है तथा इन्हें रोकने के लिए समुचित निरोधात्मक उपाय करने के बारे में उनसे अनुरोध करता रहा है।

4.4 अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की घटनाओं की अपराधवार समीक्षा (अनुलग्नक-2) से ज्ञात होता है कि अपराधों के दो प्रमुख शीर्षों अर्थात् हत्या और बलात्कार के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हत्या के मामलों की संख्या 1982 में 514 थी जो 1983 में बढ़कर 525 हो गयी तथा 1984 में और बढ़कर 551 हो गयी। इन्हीं वर्षों में बलात्कार के मामलों की संख्या क्रमशः 635 से बढ़कर 641 और 641 से बढ़कर 696 हो गयी। 1984 के दौरान बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हत्या के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1982 से 1984 तक मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में बलात्कार के मामलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। तथापि, कुल मिलाकर आगजनी के मामलों की संख्या जो 1982 में 1035 थी 1983 में घटकर 994 रह गई तथा 1984 में पुनः घटकर 988 रह गयी। इस शीर्ष के अधीन मामलों की संख्या में कमी इसलिए आई कि आंध्र प्रदेश, बिहार और गुजरात में कम मामले दर्ज किए गए। परंतु उत्तर प्रदेश में उसी अवधि के दौरान आगजनी के मामलों में प्रतिकूल प्रवृत्ति (327, 344 और 377) रही। हिंसा और भारतीय दंड संहिता के अन्य मामलों के अधीन कुल मिलाकर 1982 की अपेक्षा 1983 में थोड़े मामले दर्ज हुए परंतु 1984 में इनमें पुनः वृद्धि हुई है।

अनुसूचित जन जातियों पर हुए अत्याचारों की समीक्षा

4.5 वर्ष 1982 से 1984 तक के दौरान अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचार के मामलों का विवरण अनुलग्नक-3 में दिया गया है। कुल मिलाकर अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों की संख्या 1982 की अपेक्षा 1983 में बढ़ी। लेकिन 1984 में इसमें कमी आई। इसी अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश (31 33 और 55), बिहार (85, 115 और 203), केरल (10, 17 और 83) और उड़ीसा (उपलब्ध नहीं, 11 और 28) में अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचार के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। यद्यपि गुजरात में 1982 के मुकाबले 1983 में इन मामलों की संख्या कम हुई, परंतु 1984 में पुनः इनमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्ष 1982 से 1984 तक की अवधि में राजस्थान में

धीरे-धीरे इन मामलों में कमी हुई। पूरे देश में हुए कुल मामलों की संख्या में दो-तिहाई मामले अकेले मध्य प्रदेश में हुए। महाराष्ट्र में 1982 की अपेक्षा 1983 में मामलों की संख्या बढ़ी परंतु 1984 में इनमें कमी आयी। अन्य राज्यों में मामूली घट-बढ़ हुई।

4.6 अनुलग्नक-4 की सारणी (जिसमें अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचार के मामलों का अपराध-वार विवरण दिखाया गया है) से देखा जा सकता है कि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों में वृद्धि हुई है जबकि हिंसा और भारतीय दंड संहिता के अन्य अपराधों की संख्या 1982 से 1984 तक के दौरान लगातार कम होती गई है। 1982 की तुलना में 1983 के दौरान हत्या और आगजनी के अपराधों की संख्या बढ़ी है परंतु 1984 में इसमें कमी हुई है।

आयोग ने अपनी पांचवीं रिपोर्ट में यह विचार व्यक्त किया था कि "आंकड़ों की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित और "सुस्पष्ट कार्य पद्धति तैयार की जानी चाहिए आवश्यक है" तब से स्थिति में कोई सुधार हुआ मालूम नहीं पड़ता। इसलिए आयोग की यह धारणा बनी हुई है कि कुछ राज्यों द्वारा भेजे जा रहे आंकड़े पूर्ण न होने के कारण वास्तविक स्थिति प्रस्तुत नहीं करते हैं। अतः आयोग पुनः सिफारिश करता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित आंकड़ों का ठीकठीक संकलन करने के लिए राज्यों को गम्भीरता से विचार करना चाहिए और एक सुस्पष्ट कार्य पद्धति विकसित करने चाहिए ताकि उनके द्वारा भारत सरकार और इस आयोग को सही आवधिक विवरणियाँ/रिपोर्टों को भेजा जाना सुनिश्चित किया जा सके।

पुलिस द्वारा निबटाये गये अत्याचार के मामले

4.7 वर्ष 1984 के दौरान अनुसूचित जाति के पीड़ित व्यक्तियों के विरुद्ध अत्याचार के मामलों का पुलिस द्वारा निबटान अनुलग्नक-5 में प्रस्तुत विवरण में दिखाया गया है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में जांच के लिए लंबित पड़े मामलों की संख्या बढ़ी है जबकि केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल में इसमें अलग-अलग मात्रा में कमी आयी है। बिहार, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, उड़ीसा और पंजाब ने अपेक्षित सूचना नहीं भेजी। जतिम रिपोर्ट में समाप्त हुए मामलों की संख्या विशेषकर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक है और संबंधित राज्य सरकारों का ध्यान अपनी ओर खींचती है।

4.8 अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार के मामलों का पुलिस द्वारा निबटान करने के बारे में स्थिति अनुलग्नक-6 में दी गयी है। यह देखा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अन्वेषण के लिए लंबित पड़े मामलों की संख्या बढ़ी है जबकि केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में निबटान की स्थिति बेहतर दिखाई देती है। बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मणिपुर, उड़ीसा, असम और अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह ने कोई सूचना नहीं भेजी।

न्यायालयों द्वारा अत्याचार के मामलों का निपटान

4.9 वर्ष 1984 के दौरान न्यायालयों में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचार के मामलों का निपटान (अनुलग्नक-7) अपेक्षाकृत निराशाजनक रहा क्योंकि ट्राइल के लिए लंबित पड़े ऐसे मामलों की संख्या सभी राज्यों में पुनः बढ़ गयी है। न्यायालयों द्वारा निपटाये गये कुल मामलों में से जिन मामलों में दोष सिद्ध हुआ उनका प्रतिशत आंध्र प्रदेश में 53, मध्य प्रदेश में 82, महाराष्ट्र में 32, राजस्थान में 44, तमिलनाडु में 10 और उत्तर प्रदेश में 50 था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में 100 प्रतिशत मामले दोषमुक्ति में समाप्त हुए।

4.10 वर्ष 1984 के अंत में न्यायालयों में ट्राइल के लिए लंबित पड़े अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों की संख्या (अनुलग्नक-8) आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बढ़ी है। आंध्र प्रदेश में सभी मामले दोषमुक्ति में समाप्त हुए जबकि केरल में दोषसिद्धि का प्रतिशत 20, मध्य प्रदेश में 51, महाराष्ट्र में 45 और राजस्थान में 37 था। बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मणिपुर और उड़ीसा ने इस संबंध में सूचना नहीं भेजी।

4.11 न्यायालयों में मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए आयोग यह सिफारिश करता है कि न्यायालयों में उपस्थित होने वाले अभियोजन पक्ष के साक्षी को सुनवाई की तारीखों को एक दिन की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा बस/रेल किराया दिया जाना चाहिए, चाहे उस दिन साक्ष्य रिकार्ड हुआ हो अथवा नहीं। इससे निश्चित तारीखों पर न्यायालय में आने के लिए साक्षी उत्साहित होंगे तथा इस प्रकार ट्राइल के मामलों को शीघ्र समाप्त करने में मदद मिलेगी।

4.12 आयोग यह भी सिफारिश करता है कि राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार के मामलों को निपटाने के लिए प्राथमिकता देने के वास्ते जिला और निचली अदालतों को उपयुक्त हिदायतें दी जाएं। इस प्रकार के मामलों का अलग से रिकार्ड रखने के लिए न्यायालयों को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। यदि इस प्रकार के मामलों के निबटान पर जिला जजों द्वारा प्रति माह निगरानी रखी जाए तो इससे स्थिति में और सुधार होगा। इस प्रकार के मामलों के निबटान की समीक्षा करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में जिला स्तर पर पुनरीक्षण समितियों का गठन किया जाए जिनमें जिला पुलिस अधीक्षक तथा जिला लोक अभियोजक को सदस्य बनाया जाए। इन समितियों की बैठक महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए तथा अत्याचार के मामलों को तेजी से निबटाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

अत्याचार प्रवृत्त क्षेत्र

4.13 प्राप्त सूचना के अनुसार सात राज्यों के 48 जिलों की अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध करने की दृष्टि से अत्याचार प्रवृत्त क्षेत्र के रूप में शिनाख्त की गयी

है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों की दृष्टि से दो राज्यों के 19 जिलों को संवेदनशील माना गया है। यह सुझाव दिया जाता है कि बाकी राज्य भी विशेष कर उत्तर प्रदेश और राजस्थान को अनुसूचित जातियों के संबंध में इस प्रकार के क्षेत्रों/जिलों की शिनाख्त करनी चाहिए तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्य द्वारा इस प्रकार के क्षेत्रों/जिलों का पता लगाना चाहिए।

अत्याचार के पीछे कारण

4.14 अत्याचार के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण इस प्रकार हैं—भूमिहीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरकारी जमीन के आवंटन अथवा अधिशेष भूमि के वितरण के कारण उत्पन्न भूमि विवाद, राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने अथवा कम भुगतान किए जाने के कारण उत्पन्न होने वाला तनाव और कटुता, संविधान में प्रदत्त अपने अधिकारों और विशेष सुविधाओं के बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में जागरूकता आ जाना। जिन राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर और आर्थिक विकास अपेक्षाकृत अधिक है वहां अत्याचार का विस्तार-क्षेत्र कम है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का अभाव और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण साहूकार, ठकेदार और ऊंची जाति के भूस्वामी इनका शोषण करते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर ऊंची जाति के प्रभावशाली भूस्वामियों का सदियों से जो दबदबा और आधिपत्य चला आ रहा है उसमें वे कोई झील नहीं देना चाहते। आयोग यह सिफारिश करता है कि जिन कारणों से अत्याचार को घटनाएं घटती हैं उन कारणों को दूर करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को सख्त कदम उठाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि अधिकारियों को पहले से खबर मिल जाए तो वे समय पर निरोधात्मक कारवाई कर सकते हैं जिससे अनेक मामलों में अत्याचार की घटनाओं को रोका जा सकता है। अतः आयोग का मत है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जातीय तनावों की अग्रिम सूचना एकत्रित करने की विशेष जिम्मेदारी केंद्रीय/राज्य सरकारों के आसूचना संघटनों को सौंपी जाती चाहिए ताकि जिला अधिकारी पहले से ही सावधानी बरत सकें।

अत्याचार पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

4.15 सितम्बर, 1981 में इस आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अत्याचार पीड़ित व्यक्तियों को समान रूप से आर्थिक सहायता देने की सिफारिश की थी। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा दादरा व नगर हवेली, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम, दिल्ली और पांडिचेरी ने इस स्कीम को लागू कर दिया है। सिक्किम और चंडीगढ़ में अत्याचार की समस्या नहीं है परंतु उन्होंने सूचित किया है कि आयोग ने जितनी सहायता देने की सिफारिश की है उसे लागू करने के लिए कारवाई की जा रही है। असम ने यह योजना स्वीकार

कर ली है और इसे भारत सरकार से मंजूरी की प्रतीक्षा है। हाल ही में पंजाब सरकार ने धन की कमी के कारण आयोग द्वारा सुझाये गये मानदंड को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। तमिलनाडु और जम्मू व कश्मीर सरकारें अभी इस मामले पर विचार कर रही हैं। मणिपुर सरकार के पास अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को किसी प्रकार की सहायता देने की कोई स्कीम नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आयोग द्वारा सुझाये गये मानदंड को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की है बशर्ते कि इस पर होने वाला व्यय केंद्र सरकार बहन करे। अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मेघालय, गोवा, दमन व दीव, त्रिपुरा और नागा लैंड में अत्याचार की समस्या नहीं है और इसलिए वहां इस प्रकार की कोई स्कीम नहीं है।

4.16 आयोग अपनी पिछली सिफारिश को पुनः दोहराता है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, विशेषकर, असम, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जिन्होंने अभी तक आयोग की वित्तीय सहायता देने की योजना स्वीकार नहीं की है, उसे शीघ्र स्वीकार कर लें।

बंधुआ मजदूर

4.17 अपनी पिछली रिपोर्टों में आयोग ने बंधुआ मजदूर प्रथा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा इसे समाप्त करने के लिए संवैधानिक और कानूनी उपबंधों का विस्तार से उल्लेख किया है। बंधुआ मजदूरों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास के लिए राज्यों द्वारा उठाये गये कदमों तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध की गयी सहायता की भी बारीकी से समीक्षा की गयी थी। किस सीमा तक बंधुआ मजदूरों की शिनाख्त, मुक्ति और उनका पुनर्वास किया जा चुका है इस पहलू पर विशेष ध्यान देते हुए बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की कारगरता तथा इस अधिनियम के अनिवार्य उपबंधों के क्रियान्वयन के प्रभावों का मूल्यांकन करने का इस रिपोर्ट में प्रयास किया गया है।

4.18 11 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से किसी न किसी रूप में बंधुआ मजदूरी प्रथा के अस्तित्व की सूचना मिली है। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के एक अनुमान के अनुसार कुल बंधुआ मजदूरों में 83.2% अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में कुल बंधुआ मजदूरों में 91.7% मजदूर अनुसूचित जाति के हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक (दोनों में 80.5%) तथा बिहार (70.8%) का नम्बर आता है। इसी प्रकार राजस्थान में कुल बंधुआ मजदूरों में से 86.7% मजदूर अनुसूचित जाति के हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश (71%), उड़ीसा (65.8%) और तमिलनाडु (45%) का नम्बर आता है।

4.19 बंधुआ मजदूरी प्रथा का लम्बा इतिहास होने के कारण इस रोग की जड़ें समाज में काफी गहरी हैं तक पहुंच गयी हैं। निहित स्वार्थों से इस प्रथा के अस्तित्व को छिपाने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार के निहित स्वार्थों के प्रभाव में आकर कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्य में बंधुआ मजदूरी के अस्तित्व को नकारा है। इस

पृष्ठभूमि में आयोग यह सिफारिश करना चाहेगा कि अपने प्रशासनिक तंत्र पर पूर्णतः निर्भर रहने की बजाय राज्य सरकारों को बंधुआ मजदूरों की शिनाख्त करने के कार्य में स्वयं सेवी एजेंसियों और सामाजिक संगठनों को भी शामिल करना चाहिए ताकि ये संस्थायें बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने और बसाने के लिए सही कदम उठा सकें।

4.20 बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 13 में यह व्यवस्था की गयी है कि इस अधिनियम के उपबंधों, विशेषकर मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों की शिनाख्त और उनके पुनर्वास से संबंधित उपबंधों का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिला और सब-डिवीजन स्तरों पर सतकर्ता समितियां गठित की जायेंगी। इस अधिनियम के अनुसार सतकर्ता समितियों के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :

- (क) अधिनियम के उपबंधों का ठीक-ठीक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देना;
- (ख) मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था करना;
- (ग) मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के लिए पर्याप्त ऋण जुटाने के लिए ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों के कार्यों में तालमेल स्थापित करना;
- (घ) उन अपराधों की संख्या पर नजर रखना जिनका इस अधिनियम के अधीन संज्ञान लिया गया;
- (ङ) इस बात का सर्वेक्षण करना कि क्या कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसे इस अधिनियम के अधीन संज्ञेय होना चाहिए था; और
- (च) मुक्त किए गए बंधुआ मजदूर के विरुद्ध बंधित ऋण की बसूली के लिए दायर किए गए किसी भी मुकदमें की परवी करना।

4.21 श्रम मंत्रालय ने 21-1-1985 की संसद को बताया कि अब तक गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और दिल्ली में जिला और सब-डिवीजन स्तरों पर सतकर्ता समितियों का गठन कर दिया है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी ने भी इस प्रकार की समितियों का गठन तो कर दिया है लेकिन प्रत्येक जिले और सब-डिवीजन में नहीं किया है। कर्नाटक, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, सिक्किम, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली तथा मिजोरम इस प्रकार की समितियां गठित करने अथवा निष्क्रिय समितियों को सक्रिय बनाने की कारवाई कर रहे हैं।

4.22 आयोग अपनी सिफारिश को दोहराना चाहता है कि अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक राज्य द्वारा जिला और सब-डिवीजन स्तरों पर सतकर्ता समितियों का गठन किया जाए। निष्क्रिय सतकर्ता समितियों को भी सक्रिय बनाना इतना ही आवश्यक है।

आयोग द्वारा बंधुआ मजदूरी के बारे में किये गये अध्ययन

4.23 आयोग ने अपने नौक्षेत्रीय कार्यालयों से बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए अपने-अपने क्षत्राधिकार में आने वाले राज्यों में अध्ययन करने के लिए कहा। इन अध्ययनों से जो स्थिति उभर कर आई वह इस प्रकार है:—

(1) बिहार में, पश्चिम चम्पारण जिले में जिला और सब-डिवीजन दोनों स्तरों पर सतकर्ता समितियां गठित की गई हैं और नियमित अंतराल से उनकी बैठक भी हो रही है लेकिन मुंगेर जिले में जिला स्तर पर कोई सतकर्ता समिति कार्य नहीं कर रही है।

(2) बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन बंधुआ मजदूर को उसकी मुक्ति के बाद जीवन निर्वाह के लिए तत्काल 500 रु० की सहायता दी जानी अपेक्षित है। राजस्थान के चित्तोड़गढ़ जिले के मुक्त किए गए 50 बंधुआ मजदूरों में से केवल 37 को तत्काल सहायता दी गयी। यह बात अध्ययन के दौरान उन से बातचीत करने पर पता चली। कोटा जिले में, मुक्त किए गए सभी लाभभोगियों से बातचीत करने पर पता चला कि उन्हें निर्धारित 500 रु० की धनराशि के स्थान पर केवल 300 रु० क सहायता दी गयी। कर्नाटक और तमिलनाडु में लाभभोगियों को कोई निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार सरकार ने एक नई कार्यप्रणाली तैयार की है जिसके अधीन बंधुआ मजदूर की मुक्ति के तुरंत बाद बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा नियम, 1981 के उपबंधों के अधीन प्रति माह 30 रु० की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है जब तक कि उसका पूरी तरह से पुनर्वास नहीं हो जाता है।

(3) एक बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए 4000 रु० की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है। कर्नाटक में इस राशि को विशेष कर पशुपालन योजनाओं के माध्यम से पुनर्वास के लिए अपर्याप्त बताया गया है। अपर्याप्त धनराशि के कारण घटिया किस्म के पशु खरीदे जाते हैं, जो या तो मर जाते हैं या बोझ बन जाते हैं। इसके अलावा, कर्नाटक में मुक्त किए गए किसी भी बंधुआ मजदूर को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इत्यादि जैसे किसी अन्य श्रोत से आर्थिक उत्थान के लिए सहायता प्राप्त नहीं हुई। राजस्थान के दो जिलों में मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को किसी सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी एजेंसी द्वारा कोई संस्थागत सहायता नहीं दी गयी।

(4) राजस्थान के चित्तोड़गढ़ जिले में पांच मामलों में बंधुआ मजदूरों को उनके द्वारा दिये गये विकल्प को अनुसार सहायता नहीं दी गयी। कोटा जिले में भी अधिकांश मामलों में उपयुक्तता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कर्नाटक में लाभभोगियों के ससाधन जुटाने की स्थिति अथवा उनके हुनर पर ध्यान दिए बिना ही सहायता दी गयी। बिहार के दो जिलों में से एक में दुधार पशु योजना को अधिक लोकप्रियता मिली। चुने गए 88 लाभभोगियों में से 80 लाभभोगियों की इस योजना के तहत मदद की गयी परंतु दुर्भाग्यवश बंधन से मुक्त कराया गया एक भी आदमी अपनी स्थिति नहीं सुधार सका। इस स्थिति

के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों में से एक कारण है—दिये गये पशुओं में उच्च मृत्यु-दर का होना। तमिलनाडु में, थलावड़ी में बंधुआ मजदूरों को दिए गए सभी दुधारु पशु और मुर्गे-मुर्गियां मर गए थे।

(5) बिहार और कर्नाटक में लाभभोगियों के लिए बीमा योजना अधिक सहायक नहीं पायी गयी।

राज्यों में शिनाख्त किए गए, मुक्त किए गए और बसाए गए बंधुआ मजदूर

4.24 31-12-1984 की स्थिति के अनुसार राज्यों में शिनाख्त किए गये, मुक्त किए गए तथा बसाए गए बंधुआ मजदूरों की संख्या के बारे में उपलब्ध आंकड़े अनुलग्नक-10 में दिये गये हैं। गुजरात, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु में शिनाख्त किए गए और मुक्त किए गए मजदूरों के पुनर्वास की प्रगति संतोषजनक है क्योंकि इन राज्यों में मुक्त किए गए 90% से भी अधिक बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की सूचना मिली है। महाराष्ट्र (54.07%), उड़ीसा (67.99%), कर्नाटक (64.96%) और उत्तर प्रदेश (79.35%), को अपने पुनर्वास कार्यक्रम में तेजी लाने की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आयोग द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए प्रयास हर हालत में माधुरण और अकाल्पनिक रहे जिनके फलस्वरूप परिणाम असंतोषजनक रहे। बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास एक संवेदनशील कार्य है जिसमें निपुणता और अत्यन्त समर्पण की भावना एवं अनुवर्ती कारवाई की आवश्यकता है।

4.25 यह प्रसन्नता की बात है कि 14 फरवरी, 1986 से बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए निर्धारित राशि की उच्च सीमा बढ़ाकर 6250 रु० कर दी गयी है। तथापि, देश में बढ़ रही महंगाई को देखते हुए यह राशि भी एक बंधुआ मजदूर को पूरी तरह से बसाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए आयोग अपनी पहली सिफारिश को पुनः दोहराना चाहेगा कि बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास कार्यक्रम को एन०आर०ई०पी०, आर०एल०ई०जी०पी० और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे गरीबी उन्मुलक अन्य विकास कार्यक्रमों से जोड़ दिया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए भी आयोग राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहेगा कि मुक्त किए गए मजदूर को शीघ्र ही निरपवाद रूप से निर्वाह भत्ता दिया जाए ताकि उसे पुनः गुलामी में जाने से रोका जा सके। इसके अतिरिक्त शिनाख्त किए गए बहुत से बंधुआ मजदूर अनपढ़ होते हैं और उनमें किसी दस्तकारी का हुनर और ज्ञान नहीं होता। इसलिए आयोग सिफारिश करता है कि इनके लिए हुनर पर आधारित दस्तकारी कार्यक्रम चलाने के लिए नजदीक के प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में विशेष प्रबंध किए जाएं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन

4.26 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 15-3-1948 से लागू हुआ। कृषि कार्य जिसमें बहुत बड़ी तादाद में मजदूरों को काम मिलता है, के अलावा कुछ रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की गयी हैं। भूमिहीन

खेतिहर मजदूरों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है और इस प्रकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम उनके लिए विशेष महत्व रखता है।

4.27 मिजोरम, सिक्किम और लक्षद्वीप को छोड़कर लगभग सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनो ने खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी है। जहां तक सिक्किम का संबंध है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का अभी तक इस राज्य में विस्तार नहीं किया गया है। फिर भी, राज्य सरकार ने एक प्रशासनिक आदेश द्वारा एक अकुशल मजदूर के लिए 1-4-1985 से 11 रु० प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की है। मिजोरम और लक्षद्वीप में खेतिहर मजदूर नहीं हैं और इसलिए इन संघ राज्य क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने का प्रश्न नहीं उठा है। फिर भी, मिजोरम में एक अकुशल मजदूर के लिए मजदूरी की दर 10 रु० प्रतिदिन के हिसाब से है।

न्यूनतम मजदूरी की दरें

4.28 केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा अकुशल खेतिहर मजदूर के लिए निश्चित की गयी न्यूनतम मजदूरी की दरें अनुलग्नक-11 में बताई गई हैं। केंद्रीय सरकार ने क्षेत्र के अनुसार 8.50 रु० से 12.75 रु० तक न्यूनतम मजदूरी निश्चित की है। पंजाब, हरियाणा, केरल, असम राज्यों और चंडीगढ़ व दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी की दरें 12 रु० प्रतिदिन हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह में 10 रु० और 12 रु० के बीच है और बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दादरा व नगर हवेली, गोवा, दमन व दीव और पांडिचेरी में 10 रु० प्रतिदिन से कम है। शेष दो राज्यों में आंध्र प्रदेश ने न्यूनतम मजदूरी 7 रु० से 18 रु० तक निर्धारित की है तथा कर्नाटक में क्षेत्र और कार्य के स्वरूप के अनुसार प्रतिदिन 9.50 रु० 14.00 रुपये के बीच है।

न्यूनतम मजदूरी लागू करना

4.29 सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को कारगर ढंग से लागू करने की दृष्टि से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी है कि विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए। अधिकांश राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन राजस्व, कृषि सहकारिता और अन्य विभागों के अधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक भी नियुक्त करके उनकी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। कुछ राज्य स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। तथा निरीक्षकों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। कुछ राज्यों ने विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन समितियों का भी गठन किया है जबकि कुछ अन्य राज्यों ने रेडियो, समाचार-पत्रों पोस्टरों/पुस्तिकाओं के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रचार करने की कारवाई की है। तथापि, आयोग ने क्षेत्रों का दौरा करके तथा अध्ययनों के आधार पर यह राय कायम की है कि देश

के अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है। निरीक्षण करने वाला संगठन पूर्णतः अपर्याप्त और प्रभावहीन है। खेतिहर मजदूरों का व्यापक रूप से शोषण हो रहा है जो प्रशासन की इच्छा और दृढ़ निश्चय पर एक दुःखद टिप्पणी है।

4.30 20-सूत्री कार्यक्रम में न्यूनतम मजदूरी का विषय शामिल करने के बाद इसे लागू करने के लिए निगरानी तंत्र को कुछ हद तक सुदृढ़ किया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के क्रियान्वयन में हुई प्रगति के बारे में केंद्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय को त्रैमासिक रिपोर्टें प्राप्त होती हैं जिनके आधार पर जिन विषयों की त्रैमासिक समीक्षा की जाती है वे हैं—कितने निरीक्षण किए गए, कितनी अनियमितताओं का पता लगाया गया तथा कितनों को ठीक किया गया, कितने मुकदमें चलाये गये तथा कितने तय किए गए आदि। 1984 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए कितने निरीक्षण किए गए, कितनी अनियमितताओं पकड़ी गईं और कितनों पर कानूनी कार्रवाई की गयी इत्यादि का विवरण अनुलग्नक-12 में दिया गया है।

4.31 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 11(1) में यह व्यवस्था की गयी है कि इस अधिनियम के अधीन देय न्यूनतम मजदूरी नकद दी जायेगी। फिर भी यह उपबंध भी किया गया है कि जहां मजदूरों को वस्तुओं के रूप में देने की प्रथा है वहां सरकार न्यूनतम मजदूरी को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से वस्तु के रूप में भुगतान करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए बिहार सरकार ने 8.50 रु० नकद देने को बदले एक समय का नाशता और 5 कि०ग्रा० धान अथवा इतनी ही कीमत का कोई अन्य अनाज देने की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था से शोषण को बढ़ावा मिलता है क्योंकि इससे नियोजक

मजदूरों को घटिया किस्म का अनाज देने के लिए लालायित हो जाता है। जब नियोजक मजदूर को अनाज देता है तब उसे कम तोलने का अवसर भी मिलता है अर्थात् कम अनाज देता है। इसलिए आयोग यह सिफारिश करना चाहेगा कि न्यूनतम मजदूरी पूर्णतः नकद दी जाए न कि किसी वस्तु के रूप में। इससे मजदूर खुले बाजार से वस्तुएं खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा।

4.32 मजदूरी का भुगतान न किये जाने अथवा कम भुगतान किये जाने के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जिन्होंने जमींदार (रों) और खेतिहर मजदूरों के बीच हिंसक घटनाओं को जन्म दिया है। इसके परिणामस्वरूप मजदूर को जमींदार की दमनात्मक कार्रवाई का शिकार होना पड़ता है। इसलिए आयोग यह सिफारिश करना चाहेगा कि खेतिहर मजदूरों, जिनमें अधिकांश लोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं, को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार कोई कोर-कसर न छोड़े। इस विषय में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निरीक्षक तंत्र को पर्याप्त रूप से सुदृढ़, प्रशिक्षित तथा प्रेरित किया जाए ताकि निरीक्षण कार्य लगातार और अधिक कारगर ढंग से किए जा सकें।

4.33 आयोग को यह भी ज्ञात हुआ है कि कुछ राज्य/सं०रा० क्षेत्र के प्रशासन न्यूनतम मजदूरी में अपेक्षित संशोधन नहीं कर रहे हैं। वर्तमान मुद्रास्फिति की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आयोग सभी राज्यों/सं०रा० क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध करना चाहेगा कि न्यूनतम मजदूरी की दर ठीक समय पर संशोधित की जाए। जिन राज्यों ने केंद्रीय सरकार की तुलना में न्यूनतम मजदूरी कम निर्धारित की है, उन्हें कम से कम केंद्रीय सरकार के बराबर न्यूनतम मजदूरी तय करनी चाहिए।

अनुलग्नक 1

अनुसूचित जातियों पर अत्याचार

राज्य	अनु० जाति की जनसंख्या (1981 की जनसंख्या)	निम्नलिखित वर्षों में दर्ज किए गए मामले		
		1982	1983	1984
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	7,961,730	213	181	190
बिहार	10,142,368	2073	1809	1845
गुजरात	2,438,297	455	476	590
हिमाचल प्रदेश	1,053,958	73	47	56
हरियाणा	2,464,012	144	113	120
जम्मू व कश्मीर	497,363	45	23	11
कर्नाटक	5,595,353	363	194	169
केरल	2,549,382	145	149	148
मध्य प्रदेश	7,358,333	4749	5292	6128
महाराष्ट्र	4,479,763	680	704	579
उड़ीसा	3,865,543	150	46	46
पंजाब	4,511,703	73	36	47
राजस्थान	5,838,879	1731	1604	1648
तमिलनाडु	8,881,295	153	300	689
उत्तर प्रदेश	23,453,339	3977	3851	4200
प० बंगाल	12,000,768	17	17	18
दिल्ली	1,121,643	01	01	01
गोआ, दमन व दीव	23,432	02	01	शून्य
पांडिचेरी	96,636	07	03	01
जोड़	--	15051	14847	16586

अन्य राज्यों के बारे में आंकड़े शून्य हैं।

अनुलग्नक 2

अत्याचार के जिन मामलों में अनु० जातियां शिकार हुई हैं उन मामलों का अपराधकार तुलनात्मक विवरण

राज्य	1982 से 1984 तक की अवधि में दर्ज किए गए अपराधों की किस्म और मामलों की संख्या														
	हत्या			हिंसा			बलात्कार			आगजनी			भा० द० सं० के अधीन अन्य अपराध		
	1982	1983	1984	1982	1983	1984	1982	1983	1984	1982	1983	1984	1982	1983	1984
आन्ध्र प्रदेश	16	11	17	08	26	08	17	25	21	13	05	04	159	114	140
बिहार	72	71	95	205	152	179	97	87	83	321	267	201	1378	1232	1287
गुजरात	13	20	13	66	47	62	06	08	11	25	22	16	345	381	588
हरियाणा	01	01	03	21	16	17	59	23	26	07	04	06	56	68	68
हिमाचल प्रदेश	01	02	00	02	04	07	02	03	04	03	02	02	65	34	34
जम्मू व कश्मीर	02	01	00	02	01	00	05	02	00	00	00	02	36	19	09
कर्नाटक	19	15	16	05	05	02	06	09	13	46	10	14	287	155	124
केरल	04	07	08	05	01	05	07	18	11	07	09	06	122	114	118
मध्य प्रदेश	88	108	132	366	323	351	148	183	212	173	211	211	3974	4467	5222
महाराष्ट्र	19	17	10	85	73	31	48	35	39	28	36	33	500	543	466
उड़ीसा	10	09	08	16	16	13	11	07	09	13	10	12	100	04	04
पंजाब	13	08	06	08	09	03	08	07	10	03	00	00	41	12	28
राजस्थान	37	35	24	174	174	192	58	75	61	63	69	94	1399	1251	1277
तमिलनाडु	05	14	06	05	06	14	02	09	16	05	03	08	136	263	645
उत्तर प्रदेश	208	202	213	457	507	580	152	148	176	327	344	377	2833	2650	2854
प० बंगाल	06	04	00	02	02	04	04	01	04	01	02	02	04	08	08
दिल्ली	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00	00	00	00	01	01
गोवा, दमन व दीव	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00	00	00	01	01	01
पांडिचेरी	00	00	00	00	00	00	02	01	00	00	00	00	05	02	00
जोड़	514	525	551	1429	1362	1468	635	641	696	1035	994	988	11441	11324	12883

अनुलग्नक 3

अनुसूचित जन जातियों पर अत्याचार

राज्य	अनु. जनजातीय जनसंख्या (1981 की जनगणना)	वर्ज किए गए मामलों की संख्या		
		1982	1983	1984
आंध्र प्रदेश	3,176,001	31	33	55
बिहार	5,810,867	85	115	203
गुजरात	4,848,586	104	93	114
कर्नाटक	1,825,203	04	02	शून्य
केरल	261,475	10	17	83
मध्य प्रदेश	11,987,031	3110	3119	2717
महाराष्ट्र	5,772,038	213	240	159
उड़ीसा	5,915,067	उ. न.	11	28
राजस्थान	4,183,124	472	439	400
तमिलनाडु	520,226	उ. न.	शून्य	04
प० बंगाल	3,070,672	उ. न.	20	15
दादरा व नगर हवेली	81,714	01	शून्य	शून्य
अरुणाचल प्रदेश	441,167	उ. न.	36	30
जम्हमान व निकोबार द्वीप समूह	22,361	उ. न.	02	03
जोड़	--	4030	4127	3811

अनुलग्नक 4

अत्याचार के जिन मामलों में अनुसूचित जन-जातियां शिकार हुई हैं उन मामलों का अपराधवार तुलनात्मक विवरण

राज्य	1982 से 1984 तक की अवधि में दर्ज किए गए अपराधों की किस्म और मामलों की संख्या														
	हत्या			हिंसा			बलात्कार			आगजनी			भा० द० सं० के अधिन अन्य अपराध		
	1982	1983	1984	1982	1983	1984	1982	1983	1984	1982	1983	1984	1982	1983	1984
आन्ध्र प्रदेश	01	01	02	01	08	06	12	09	21	00	01	00	17	14	26
बिहार	05	09	10	06	10	16	21	12	37	01	14	08	52	70	132
गुजरात	07	08	08	18	30	28	02	07	09	04	05	01	73	43	68
कर्नाटक	01	02	00	00	00	00	01	00	00	00	00	00	02	00	00
केरल	00	00	00	02	00	01	02	04	08	00	00	02	06	13	72
मध्य प्रदेश	94	116	98	196	175	163	164	177	149	85	188	89	2571	2463	2218
महाराष्ट्र	06	13	09	28	29	17	20	20	24	09	07	04	150	171	105
उड़ीसा	00	00	03	00	02	05	00	05	15	00	02	02	00	02	03
राजस्थान	14	09	14	69	53	60	14	19	11	27	19	16	348	339	299
तमिलनाडु	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00	00	00	03
उत्तर प्रदेश	00	60	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
प० बंगाल	00	00	00	00	00	00	00	07	08	00	01	00	00	12	07
अंडमान तथा निको- बार द्वीप समूह	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	02	03
अरुणाचल प्रदेश	00	04	00	00	01	00	00	01	00	00	04	01	00	26	29
दादरा के नगर द्वेदी	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00
जोड़	128	162	144	320	308	296	236	261	283	126	241	123	3220	3155	2965

अनुलग्नक 5

1984 के दौरान अत्याचार के जिन मामलों में अनु० जातियां शिकार हुई, पुलिस द्वारा उनके पंजीकरण और निबटान का विवरण

राज्य	पुलिस के पास दर्ज मामलों की संख्या			निपटायें गए मामलों की संख्या			अन्वेषण पूरा होने के लिए लंबित पड़े मामलों की संख्या
	पीछे से आगे लाया गया	नये दर्ज मामले	कुल	अंतिम रिपोर्ट में समाप्त	चालान में समाप्त	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	35	197	232	11	122	133	99
असम	--	--	--	--	--	--	--
बिहार	--	--	--	--	--	--	--
गुजरात	63	690	753	66	591	657	96
हरियाणा	--	--	--	--	--	--	--
हिमाचल प्रदेश	10	56	66	7	42	49	17
जम्मू व कश्मीर	--	--	--	--	--	--	--
कर्नाटक	--	--	--	--	--	--	--
केरल	24	148	172	--	151	151	21
मध्य प्रदेश	3171	6128	9299	663	5411	6074	3225
महाराष्ट्र	53	579	632	75	503	578	54
मणिपुर	----- अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नगण्य -----						
मेघालय	----- अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नगण्य -----						
नागालैंड	----- अनुसूचित जाति जनसंख्या बिल्कुल नहीं -----						
उड़ीसा	--	--	--	--	--	--	--
पंजाब	--	--	--	--	--	--	--
राजस्थान	109	1648	1757	505	1178	1683	74
सिक्किम	--	--	--	--	--	--	--
तमिलनाडु	49	689	738	119	512	631	107
त्रिपुरा	--	--	--	--	--	--	--
उत्तर प्रदेश	750	4200	4950	1106	3153	4259	691
प० बंगाल	39	18	57	6	20	26	31
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	----- अनु० जाति की जनसंख्या बिल्कुल नहीं -----						
अरुणाचल प्रदेश	----- अनु० जाति की जनसंख्या नगण्य -----						
चण्डीगढ़	--	--	--	--	--	--	--
दादरा व नगर हवेली	--	--	--	--	--	--	--
दिल्ली	--	1	1	--	--	--	1
गोआ दमन व दीव	--	--	--	--	--	--	--
लक्षद्वीप	----- अनु० जाति की जनसंख्या बिल्कुल नहीं -----						
मिजोरम	----- अनु० जाति की जनसंख्या नगण्य -----						
पांडिचेरी	--	1	1	--	1	1	--

अनुलग्नक 6

1984 के दौरान अत्याचार के जिन मामलों में अनु० जनजातियां शिकार हुईं, पुलिस द्वारा उनके पंजीकरण और निबटान का विवरण

राज्य/सं० रा० क्षेत्र	पुलिस के पास मामलों की संख्या			निपटाए गए मामलों की संख्या			अन्वेषण पूरा होने के लिए लंबित पड़े मामलों की संख्या
	पिछले मामले	नये दर्ज मामले	कुल	अंतिम रिपोर्ट में समाप्त	चालान में समाप्त	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	4	50	54	4	27	31	23
असम	--	--	--	--	--	--	--
बिहार	--	--	--	--	--	--	--
गुजरात	--	--	--	--	--	--	--
हरियाणा	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
हिमाचल प्रदेश	--	--	--	--	--	--	--
जम्मू व कश्मीर	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
कर्नाटक	--	--	--	--	--	--	--
केरल	--	83	83	--	76	76	17
मध्य प्रदेश	2497	2717	5214	470	2160	2630	2584
महाराष्ट्र	14	159	173	17	139	156	17
मणिपुर	--	--	--	--	--	--	--
मेघालय	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
नागालैण्ड	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
उड़ीसा	--	--	--	--	--	--	--
पंजाब	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
राजस्थान	40	400	440	130	291	421	19
सिक्किम	--	--	--	--	--	--	--
तमिलनाडु	--	4	4	--	2	2	2
त्रिपुरा	--	--	--	--	--	--	--
उत्तर प्रदेश	--	--	--	--	--	--	--
प० बंगाल	36	15	51	4	16	20	31
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	--	--	--	--	--	--	--
अरुणाचल प्रदेश	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
चण्डीगढ़	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
दादरा व नगर हवेली	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
दिल्ली	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
गोआ, दमन व दीव	--	--	--	--	--	--	--
लक्षद्वीप	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
मिजोरम	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
पांडिचेरी	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

अनुलग्नक 7

1984 के दौरान अत्याचार के अिन मामलों में अनु० जातिके लोग शिकार हुए, न्यायालयों में उनके पंजीकरण और निबटान का विवरण

राज्य/सं. रा. क्षेत्र	न्यायालय में मामलों की संख्या			निबटाये गये मामलों की संख्या			ट्राइल के लिए लंबित पड़े मामलों की संख्या
	पिछले -मामले	नये मामले	कुल	दोष सिद्धि में	दोष मुक्ति में	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	106	122	228	10	9	19	209
असम	--	--	--	--	--	--	--
बिहार	--	--	--	--	--	--	--
गुजरात	208	591	799	52	199	251	548
हरियाणा	--	--	--	--	--	--	--
हिमाचल प्रदेश	107	42	149	6	29	35	114
जम्मू व कश्मीर	--	--	--	--	--	--	--
कर्नाटक	--	--	--	--	--	--	--
केरल	49	151	200	7	31	38	162
मध्य प्रदेश	उ०न०	5411	5411	580	127	707	4704
महाराष्ट्र	852	503	1355	92	193	285	1070
मणिपुर	----- अनु० जाति जनसंख्या			नगण्य	-----		
मेघालय	----- अनु० जाति जनसंख्या			नगण्य	-----		
नागालैण्ड	----- अनु० जाति जनसंख्या			बिल्कुल नहीं	-----		
उड़ीसा	--	--	--	--	--	--	--
पंजाब	--	--	--	--	--	--	--
राजस्थान	4021	1178	5199	77	243	320	4879
सिक्किम	--	--	--	--	--	--	--
तमिलनाडु	184	522	696	27	245	272	424
त्रिपुरा	--	--	--	--	--	--	--
उत्तर प्रदेश	14754	3153	17907	603	605	1208	16699
प० बंगाल	45	20	65	--	10	10	55
अंडमान व निकोबार	----- अनु० जाति जनसंख्या			बिल्कुल नहीं	-----		
द्वीप समूह	--	--	--	--	--	--	--
अरुणाचल प्रदेश	----- अनु० जाति जनसंख्या			नगण्य	-----		
चण्डीगढ़	--	--	--	--	--	--	--
दादरा व नगर हवेली	--	--	--	--	--	--	--
दिल्ली	8	--	8	--	1	1	7
गोआ, दमन व दीव	--	--	--	--	--	--	--
लक्षद्वीप	----- अनु० जाति जनसंख्या			बिल्कुल नहीं	-----		
मिजोरम	----- अनु० जाति जनसंख्या			नगण्य	-----		
पांडीचेरी	2	1	3	1	--	1	2

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No..... 0-8757
Date..... 20-7-85

अनुलग्नक 8

1984 के दौरान अत्याचार के जिन मामलों में अनु० जनजातियों के लोग शिकार हुए, न्यायालयों में उनके पंजीकरण और निबटान का विवरण

राज्य/सं० रा० क्षेत्र	न्यायालय में मामलों की संख्या			निबटाये गये मामलों की संख्या			ट्राइल के लिए लंबित पड़े मामलों की संख्या
	पिछले मामले	नये मामले	कुल	बोष सिद्धि में	बोष मुक्ति में	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	16	27	43	—	3	3	40
हरियाणा	अनु० जनजाति की जनसंख्या बिल्कुल नहीं						
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—
जम्मू व कश्मीर	अनु० जनजाति जनसंख्या बिल्कुल नहीं						
केरल	5	76	81	1	5	6	75
मध्य प्रदेश	उ० न०	2160	2160	279	270	549	1611
महाराष्ट्र	354	139	493	27	33	60	433
मेघालय	अनु० जनजाति जनसंख्या 81% — कोई अत्याचार नहीं						
नागालैंड	अनु० जनजाति जनसंख्या 84% — कोई अत्याचार नहीं						
पंजाब	अनु० जनजाति जनसंख्या बिल्कुल नहीं						
राजस्थान	1287	291	1578	19	32	51	1527
सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	1	2	3	—	—	—	3
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—
पश्चिम बंगाल	24	16	40	—	1	1	39
अरुणाचल प्रदेश	अनु० जनजाति जनसंख्या 70% — कोई अत्याचार नहीं						
चण्डीगढ़	पंजाब राज्य क्षेत्र में कोई अत्याचार नहीं						
दादरा व नगर हवेली	अनु० जनजाति जनसंख्या 70% — कोई अत्याचार नहीं						
दिल्ली	अनु० जनजाति जनसंख्या बिल्कुल नहीं						
गोआ, दमन व दीव	—	—	—	—	—	—	—
लक्षद्वीप	अनु० जनजाति जनसंख्या 94% — कोई अत्याचार नहीं						
मिजोरम	अनु० जनजाति जनसंख्या 94% — कोई अत्याचार नहीं						
पांडिचेरी	अनु० जनजाति जनसंख्या बिल्कुल नहीं						

अनुलग्नक 9

अत्याचार प्रवृत्त क्षेत्र

(1) अनुसूचित जातियाँ

क्र० सं०	राज्य का नाम	अनु० जातियों पर अपराधों की वृष्टि से संवेदनशील जिलों के नाम
1	बिहार	पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, गया, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, रांची ।
2	गुजरात	अहमदाबाद (ग्रामीण), मेहसाणा, सुरेन्द्रनगर, जूनागढ़, खंडा, अमरेली, राजकोट (ग्रामीण), बनासकांठा, वडोदरा (ग्रामीण), भड़ौच, कच्छ ।
3	हरियाणा	अम्बाला, करनाल, सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद
4	कर्नाटक	बंगलौर बीजापुर, कोलार, मैसूर, तुमकुर, गुलबर्गा.
5	मध्य प्रदेश	मुरैना, बिलासपुर, पन्ना, रायपुर, जबलपुर, उज्जैन तथा भोपाल.
6	महाराष्ट्र	औरंगाबाद, बीड, ओस्मानाबाद, नन्देड़, परभाना, बुलढाना ।
7	पंजाब	फिरोजपुर जिले में दो गांव, संगरूर जिले में तीन गांव तथा पटियाला जिले में तीन गांव ।
कुल 7 राज्य		48 जिले

(2) अनुसूचित जनजातियाँ

क्र० सं०	राज्य का नाम	अनु० जनजातियों पर अपराधों की वृष्टि से संवेदनशील जिलों के नाम
1	बिहार	1. सिंहभूमि 2. लोहारदागा 3. पालामऊ 4. रांची 5. दुमका 6. साहिबगंज 7. धनबाद 8. हजारीबाग 9. गिरडीह 10. गोदा
2	महाराष्ट्र	1. धुले 2. नासिक 3. जलगांव 4. ओस्मानाबाद 5. परभनी 6. चन्द्रपुर 7. गडचिरोली 8. चंद्रपूर 9. अमरावती
कुल दो राज्य		19 जिले

अनुलग्नक 10

राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 31-12-1984 की स्थिति के मुताबिक पहचाने गए, मुक्त किए गए और पुनः बसाए गए बन्धुआ मजदूरों की संख्या का विवरण

क्र० सं.	राज्य का नाम	बन्धुआ मजदूरों की संख्या	
		पहचाने गए और मुक्त किए गए	जिनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की गई (%)
1	आन्ध्र प्रदेश	13,936	11,755 (84.35)
2	बिहार	8,834	7,781 (88.08)
3	गुजरात	63	63 (100.00)
4	कर्नाटक	62,699	40,733 (64.96)
5	केरल	829	820 (98.91)
6	मध्य प्रदेश	2,852	2,329 (81.66)
7	महाराष्ट्र	540	292 (54.07)
8	उड़ीसा	33,238	22,559 (67.99)
9	राजस्थान	6,629	6,266 (94.52)
10	तमिलनाडु	32,128	29,934 (93.17)
11	उत्तर प्रदेश	12,066	9,575 (79.35)
	जोड़	1,73,814	1,31,407 (75.60)

शेष = 42,407

अनुलग्नक 11

कृषि कार्य (अकुशल श्रमिक) के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का विवरण

राज्य का नाम	लागू होने की तारीख	मजदूरी की दरें	टिप्पणी
1	2	3	4
केन्द्रीय सरकार	12-2-85	क्षेत्रों के अनुसार 8.50 रुपये से 12.75 रुपये तक	
आन्ध्र प्रदेश	7-9-83	क्षेत्रों और कार्य के स्वरूप के अनुसार प्रतिदिन 7.00 रुपये से 18.00 रुपये तक	राज्य सरकार ने संशोधन के लिए 19-9-85 को प्रारम्भिक अधिसूचना जारी की है।
असम	22-2-85	12.50 रुपये प्रतिदिन	
बिहार	12-4-82	एक-समय का नाश्ता और 5 कि० ग्रा० धान अथवा इतनी ही कीमत का कोई अन्य अनाज या प्रतिदिन 8.50 रुपये नगद।	मजदूरी में संशोधन करने के लिए 13-4-85 को अधिसूचना का मसौदा जारी किया गया।
गुजरात	2-10-82	9.00 रुपये प्रतिदिन अथवा 3,200 रुपये प्रतिवर्ष।	न्यूनतम मजदूरी को संशोधन करने की कार्रवाई की जा रही है।
हरियाणा	01-5-82	1-5-82 को संशोधित मजदूरी की दरें इस प्रकार हैं—भोजन सहित 10.०० या बिना भोजन के 14.00 ०० परन्तु न्यूनतम मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ देने के कारण 1-7-85 से न्यूनतम मजदूरी की दरें भोजन सहित 12.71 ०० या बिना भोजन के 16.71 रुपये हैं।	
हिमाचल प्रदेश	16-8-84	10.00 रुपये प्रति दिन	कुछ क्षेत्रों में कामगार 12½% से 25% तक उच्चतर मजदूरी पाने के हकदार हैं।
जम्मू व कश्मीर	7-7-84	10.50 रुपये प्रति दिन।	
कर्नाटक	30-1-85	कार्य की किस्म और भूमि की किस्म के अनुसार प्रतिदिन 9.50 रुपये से 14.00 रुपये तक।	
केरल	24-5-84	हल्के कार्य के लिए 12.00 रुपये प्रतिदिन और कठोर कार्य के लिए 15.00 रुपये प्रतिदिन।	
मध्य प्रदेश	1-1-82	प्रतिदिन 7.00 रुपये विशेष भत्ता जो छमाही के आधार पर संकलित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा हुआ है। 1-7-85 से 9.19 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी में वृद्धि की गयी है।	औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 447 (1960-100) से ऊपर प्रत्येक अंक की वृद्धि के लिए प्रति माह 45 पैसे की दर से विशेष भत्ता दिया जाता है।
महाराष्ट्र	1-2-83	क्षेत्रों के अनुसार 6.00 रुपये से 10.00 रुपये प्रतिदिन	संशोधन विचाराधीन है।
मणिपुर	9-3-83	क्षेत्रों के अनुसार 10.00 ०० से 10.50 ०० प्रतिदिन	
मेघालय	1-10-83	11.00 रुपये प्रतिदिन	
नागालैण्ड	1-2-84	10.00 रुपये प्रतिदिन	
उड़ीसा	5-11-84	7.50 रुपये प्रतिदिन	
पंजाब	1-1-82	1-1-82 की स्थिति के अनुसार न्यूनतम मजदूरी भोजन सहित 11.00 ०० प्रतिदिन या बिना भोजन के 14.00 ०० प्रतिदिन थी। चूंकि 1-7-85 से मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया गया है इसलिए अब मजदूरी की दर भोजन सहित 13.68 ०० प्रतिदिन अथवा बिना भोजन के 16.68 ०० प्रतिदिन है।	
राजस्थान	16-1-85	11.00 रुपये प्रतिदिन	
सिक्किम		राज्य में अभी तक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 लागू नहीं किया गया है। फिर भी राज्य सरकार ने 1-4-1985 से एक अकुशल मजदूर के लिए शासकीय आदेश द्वारा 11.00 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है।	
तमिल नाडु	8-4-83	बूआई, पीथे उखाड़ने या निराई कार्य में लगे श्रमिकों की 8.00 रुपये प्रतिदिन तथा अन्य कार्यों के लिए 10.00 रुपये से 11.00 रुपये तक।	

अनुसूचक 11—जारी

1	2	3	4
बिपुरा . . .	12-3-84	10.00 रुपये प्रतिदिन	
उत्तर प्रदेश . . .	13-7-83	क्षेत्रों के अनुसार 8.00 से 9.50 रुपये प्रतिदिन	
पश्चिम बंगाल . . .	13-8-82	10.15 रुपये प्रतिदिन (वयस्क), 7.29 रु० प्रतिदिन (बच्चे)	
अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	19-8-84	10.60 रुपये प्रतिदिन	
अरुणाचल प्रदेश . . .	1-1-84	क्षेत्रों के अनुसार (प्रशासकीय आदेश द्वारा) 11.00 से 12.00 रुपये प्रतिदिन	
चंडीगढ़ . . .	12-4-82	बिना भोजन के 14.00 रुपये प्रतिदिन या भोजन सहित 11.00 रुपये प्रतिदिन	
दादरा व नगर हवेली	3-9-83	9.00 रुपये प्रतिदिन	
दिल्ली प्रशासन . . .	15-10-85	15.00 रुपये प्रतिदिन	
गोआ, दमन व दीव	2-10-83	6.75 रुपये प्रतिदिन	
मिजोरम . . .		यहां पर कोई संगठित खेतिहर मजदूर नहीं है। विद्यमान मजदूरी की दर 10.00 रुपये रोज या इससे अधिक है।	
पांडिचेरी			
(i) माहे क्षेत्र . . .	4-8-83	कार्य के स्वरूप के अनुसार 7.45 रुपये से 9.20 रुपये प्रतिदिन	
(ii)	5-4-84	(क) फसल की कटाई को छोड़कर सभी प्रकार के कृषि कार्यों के लिए	
		वयस्क	अवयस्क
		-----	-----
		10.00 रु० प्रतिदिन	6.30 रु० प्रतिदिन
		(ख) फसल की कटाई के लिए	
		वयस्क	अवयस्क
		-----	-----
		9 कि० ग्राम धान	4-1/2 कि० ग्राम धान प्रतिदिन
(iii) पांडिचेरी . . .	28-11-83	वयस्क	अवयस्क
		-----	-----
		7.00 रु० प्रतिदिन	4.20 रु० प्रतिदिन
(iv) कराइकल . . .	5-8-82	7 कि० ग्राम धान + 2.80 रु० प्रतिदिन या 9.00 रु० प्रतिदिन	
लक्षद्वीप . . .		इस संघ राज्य क्षेत्र में कोई खेतिहर मजदूर नहीं है।	

अनुलग्नक 12

कृषि कार्यों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने के लिए 1984 के दौरान कार्यान्वयन तंत्र द्वारा किए गए निरीक्षण, पकड़ी गई अनियमितताएं तथा की गई कानूनी कार्रवाई आदि का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	किए गए निरीक्षणों की संख्या	अनियमितताओं की संख्या		चलाये गये मुकदमों की संख्या	जुर्माने की वसूली की गई राशि (रु०)	दावे के मामलों की संख्या		मूआवजे की राशि (रुपये)	वसूली की गयी राशि (रुपये)
		पता लगाया	ठीक किए			दर्ज किए गये	निपटाए गए		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंध्र प्रदेश	14,108	667	76	शून्य	शून्य	198	39	शून्य	14,851
असम	1,042	855	84	2	344	12	4	शून्य	शून्य
बिहार	2,43,975	53,801	59,905	189	5,674	8,276	6,257	4,72,638.86 और 680 क्विंटल अनाज	27,31,220 और 1336 क्विंटल, 48 कि० ग्राम०, 50 गा०
गुजरात	98,924	60,692	47,338	5369	2,73,434	177	1,086	12,90,0836.50	14,59,253
हरियाणा (सित० 84 तक)	1	1	1	शून्य	1,000	7	7	शून्य	शून्य
हिमाचल प्रदेश	389	--	--	--	--	--	--	--	शून्य
कर्नाटक	9,189	339	80	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
केरल	4,486	1846	1250	2	शून्य	59	48	2,902	शून्य
मध्य प्रदेश	86,264	9926	5071	शून्य	शून्य	93	88	3,36,718	94,630
महाराष्ट्र	1,92,223	2,40,824	1,76,109	283	12,194	2	2	4,346	1,164
उड़ीसा	12,652	10,237	823	5	शून्य	7	4	शून्य	441.00
पंजाब	22,756(पी)	1,461	1,000	शून्य	शून्य	3	3	7,14	शून्य
राजस्थान	4,801	15	40	शून्य	शून्य	29	119	18,313	1,71,290
(पिछले वर्ष सहित)									
सिक्किम	256	86	86	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तमिलनाडु	11,655	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1,470	1,466	शून्य	शून्य
उत्तर प्रदेश	64,302	3,164	1,146	14	शून्य	2,774	1,050	12,090	2,072,47
पश्चिम बंगाल	1,809	661	410	29	1,170	शून्य	शून्य	शून्य	685
दादरा व नगर हवेली	55	7	शून्य	शून्य	शून्य	2	2	20,011	शून्य
दिल्ली	1246	699	540	84	200	3	2	शून्य	10,363

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक और आर्थिक विकास

(क) अनुसूचित जातियाँ

देश की कुल आबादी में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 15.75 प्रतिशत है। इनमें से 48.22 प्रतिशत खेतिहर मजदूर तथा 28.17 प्रतिशत कृषक हैं। अनुसूचित जाति के अधिकांश कृषक छोटे अथवा सीमान्त किसान हैं। अतः सीमान्त किसानों या खेतिहर मजदूरों में अधिकांश लोग गरीबी की रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं।

5.2 छठी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए एक नीति तैयार की गई थी। इस नीति के अंतर्गत विशेष संघटक योजना, विशेष केंद्रीय सहायता और राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम जैसे तीन महत्वपूर्ण साधनों को एक साथ सहयोजित किया गया। जिन 20 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की पर्याप्त जनसंख्या है उन्होंने विशेष संघटक योजनाएं तैयार कीं और उन्हें लागू किया। राज्यों की योजनाओं से विशेष संघटक योजनाओं के लिए उपलब्ध की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	विशेष संघटक योजना	व्यय	व्यय में कमी
1	2	3	4
1980-81	547.84	394.71	153.13
1981-82	664.23	536.42	127.81
1982-83	675.76	559.28	116.48
1983-84	754.86	692.89	81.97
1984-85	974.12	785.05	189.07
1980-85	3616.81	2968.35	648.46

स्रोत : एससी एंड बीसी-2 अनुभाग, कल्याण मंत्रालय

5.3 आयोग के ध्यान से यह बात आई कि विशेष संघटक योजना के अंतर्गत परिव्यय और व्यय की राशि में लगातार वृद्धि होती रही लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना के सभी 5 वर्षों में स्वीकृत धनराशि की तुलना में वास्तविक खर्च कम हुआ है। कुल 648.46 करोड़ रुपये की राशि खर्च नहीं हुई जो कि 600.00 करोड़ रुपये की कुल विशेष केंद्रीय सहायता से भी अधिक है। उपलब्ध की गई राशि और खर्च की गई राशि के बीच इतना बड़ा अंतर आने का एक प्रमुख कारण यह प्रतीत होता है

कि न तो विभिन्न क्षेत्रों के अधीन वित्तीय लक्ष्यों का विभाजन किया गया और न ही उन्हें इसकी सूचना दी गई। आयोग के ध्यान में यह बात भी आई कि विभिन्न विभागों के बीच परस्पर तालमेल नहीं है। क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है तथा कार्यक्रमों के ऊपर ठीक प्रकार से निगरानी नहीं रखी जा रही है। आयोग इस बात पर बार-बार जोर देता आ रहा है कि राज्य योजनाओं से विशेष संघटक योजनाओं को उपलब्ध की जाने वाली धनराशि कम-से-कम उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया जा रहा है। राज्यों का कहना है कि बिजली, सिंचाई, संचार इत्यादि जैसे क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। इस प्रकार उनके विकास पर खर्च होने वाली राशि वास्तव में उस राशि से अधिक होती है जो विशेष संघटक योजना के अंतर्गत उपलब्ध की जाती है। इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अनुसूचित जातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के वर्तमान स्तर की देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि बुनियादी सुविधाओं के विकास का प्रत्यक्ष फायदा अभी भी उन तक पहुंचाया जाना है। आयोग का मत है कि धनराशि का सार्थक निर्धारण करने से पहले अनुसूचित जातियों की समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। बुनियादी सुविधाओं के विकास की आवश्यकता पर जोर देते हुए किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर योजनागत व्यय निर्धारित करने के महत्व पर आयोग जोर देना चाहेगा।

5.4 विशेष संघटक योजना का मूल उद्देश्य है— अनुसूचित जाति के परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाना। इसके लिए पर्याप्त आय अर्जित करने वाली परिसम्पत्तियों का सृजन करने में सक्षम आर्थिक योजनाओं का एक मिला-जुला पैकेज उन्हें देने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ उनके शैक्षिक और सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों तथा “हरिजन बस्तियों” में सुधार योजनाओं को क्षेत्रीय कार्यक्रमों के आधार पर चलाना होगा। शिनाख्त की गई व्यावसायिक श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करके अनुसूचित जातियों के विकास के लिए छठी योजना में अपनाई गई नीति एक सही दृष्टिकोण प्रतीत होता है। “सामूहिक एवं—संतृप्ति दृष्टिकोण” (“क्लस्टर-कम-सेचुरेशन एप्रोच”) के आधार पर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है जसा कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में देखा गया।

5.5 राज्यों द्वारा अब तक किये गये भूमि सुधार के उपायों से अनुसूचित जातियों को नाममात्र का फायदा हुआ है। अनुसूचित जाति के कुल कामगारों की तुलना

में अनुसूचित जाति के किसानों की संख्या 1971 में 27.87% से बढ़कर 1981 में 28.17% तक ही पहुंच पाई है। इस प्रकार अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भू-परिसम्पत्ति अभी भी दुर्लभ है। अनुसूचित जातियों को "मिनी किटों" और अन्य साज-सामान पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया गया। अनुसूचित जाति के छोटे और सीमान्त किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है ताकि (1) सबको सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध की जा सकें तथा (2) नए आवंटियों को भूमि का विकास करने के लिए साज-सामान और धन उपलब्ध किया जा सके। केरल और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ ही राज्यों ने जमीन खरीद कर अनुसूचित जातियों में बांटी है। यह एक अच्छा कार्यक्रम है और आयोग सभी राज्यों को यह कार्यक्रम अपनाने की सिफारिश करता है। आयोग यह भी सिफारिश करता है कि राज्य सरकारों को कृषि-जोत भूमि की अधिकतम सीमा के सम्पूर्ण प्रश्न की समीक्षा करनी चाहिए तथा राष्ट्रीय मार्गदर्शी निर्देशों के अनुरूप अधिकतम भूमि सीमा कानून बनाए जाने चाहिए। भू-अभिलेखों को तत्काल अद्यतन करने की आवश्यकता है ताकि अनुसूचित जातियों को काश्तकारी और स्वामित्व के अधिकार मिल सकें तथा उनके लिए चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों का लाभ पर्याप्त मात्रा में उन तक पहुंच सके।

5.6 उपर्युक्त पृष्ठभूमि के आधार पर आयोग ने इस वर्ष अनुसूचित जातियों के विकास के लिए एक नीति-पत्र तैयार किया। इस नीति-पत्र को तैयार करने का उद्देश्य है—सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण और नीति तय करने तथा समूचित प्राथमिकताओं का निर्धारण करने में योजना आयोग और नोडल मंत्रालय की सहायता करना।

5.7 योजना आयोग के अनुरोध पर 1984-85 के दौरान अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, कलकत्ता, जयपुर, लखनऊ, मद्रास, पटना और शिमला स्थित आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में बांटी गई अतिरिक्त भूमि के बारे में सैम्पल अध्ययन किये। इन अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य था अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर उक्त योजना से पड़े प्रभाव का मूल्यांकन करना। इन अध्ययनों से पता चला कि बांटी गई भूमि की मात्रा और क्वालिटी के बारे में लाभभोगी असंतुष्ट थे। इनमें से अधिकांश लोगों को भूमि की सिंचाई करने के लिए काफी कठिनाइयां उठानी पड़ीं जिसके परिणामस्वरूप पैदावार कम हुई। गुजरात के अमरेली जिले में देखा गया कि उक्त भूमि का विकास करने के लिए किसी भी लाभभोगी को कोई सहायता नहीं दी गई। बिहार में लाभभोगियों को जो सहायता दी गई उसका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में अतिरिक्त भूमि का आवंटन करने के साथ कोई सहायता योजना नहीं चलाई गई। राजस्थान में साज-सामान की पूर्ति संतोषजनक नहीं थी, जबकि पश्चिम बंगाल में साज-सामान की पूर्ति समय पर नहीं की गई और ऋण सुविधाएं भी आसानी से उपलब्ध नहीं थीं। यह अनुभव किया गया कि यह कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जबकि आरम्भ में गहरी जोताई की जाए, सिंचाई सुविधा उपलब्ध की जाए, समय पर अच्छी किस्म के बीज और उर्वरकों की

पूर्ति की जाए। विस्तार कर्मचारियों को विशेषरूप से यह जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए कि वे लाभभोगियों का तकनीकी मार्गदर्शन करके उनकी सहायता करें। संभव है कि आवंटित छोटे भूखंडों पर खेती की आय से ही लाभभोगी गरीबी की रेखा पार न कर सकें। अतः इसके लिए गरीबी निरोधक अन्य कार्यक्रमों के जंतर्गत दूसरे व्यवसायों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

5.8 भूमिहीन अनुसूचित जाति के सभी परिवारों को पर्याप्त भूमि आवंटित नहीं की जा सकती क्योंकि भूमि दुर्लभ होती जा रही है। इसलिए अन्य आर्थिक विकास कार्यक्रमों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गरीब भूमिहीनों की दरिद्रता मिटाने के लिए इसी दृष्टि से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम नामक एक बड़ा कार्यक्रम चलाया गया है। मार्गदर्शी निर्देशों में यह परिकल्पना की गई है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 30 प्रतिशत जनसंख्या को शामिल किया जाए। छठीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम में शामिल किये गये अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। 1984-85 (दिसंबर 1984 तक) में इस कार्यक्रम से 24 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाया गया जिसमें 31.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति के और 10.9 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लाभभोगी शामिल हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि समन्वित विकास कार्यक्रम को ठीक प्रकार से लागू किया जाए तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गरीबी को कारगर ढंग से दूर किया जा सकता है। तथापि कार्यक्रम में शामिल कर देने मात्र से अनुसूचित जाति के उन लाभभोगियों की वास्तविक संख्या का कोई सुराग नहीं मिलता जो गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाते हैं अथवा ऊपर उठने वाले हैं। राज्यों का दौरा करते समय आयोग ने इस कार्यक्रम में कई कमजोर नुक्ते देखे। सर्वप्रथम लाभभोगियों का चयन ठीक प्रकार से नहीं किया जाता। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियों में सबसे गरीब लोगों को शामिल किया जाना चाहिए लेकिन देखा यह गया कि जो लोग अपेक्षाकृत कम गरीब थे वे लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त करने में सफल रहे। दूसरी कमी यह देखने में आई कि अनुवर्ती कार्रवाई का पूर्णतः अभाव है जिसके फलस्वरूप न तो परिसम्पत्तियों का ही सर्जन हो पा रहा है और न ही दी गई सहायता का अधिकतम उपयोग हो रहा है। बहुत सारे मामलों में यह देखा गया कि योजना को सक्षम बनाने के लिये प्रति यूनिट जितनी पूंजी लगाने की आवश्यकता थी उससे भी कम पूंजी लगाई गई। यही कारण है कि पशुपालन योजनाएं वहां असफल रहीं जहां एक लाभभोगी को केवल एक गांव अथवा भैंस दी गई जबकि उसे सक्षम बनाने के लिए कमसे-कम दो या तीन गांव/भैंस दी जानी चाहिए थीं। पशुओं की क्वालिटी भी बहुत असंतोष-जनक देखी गई। पशुओं को न तो पोषण और चारा उपलब्ध करने की ओर ध्यान दिया गया और न ही उनके स्वास्थ्य रक्षा की ओर।

5.9 आयोग का दृढ़ मत है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर जिस मात्रा में पूंजी-निवेश किया गया है उसके अनुरूप प्रगति नहीं हुई है। अनुवर्ती कार्रवाई, निगरानी

और मूल्यांकन करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। यही कारण है कि अनुसूचित जातियों की आर्थिक दशा में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ प्रतीत नहीं होता। आयोग जोरदार शब्दों में सिफारिश करता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में आमूल परिवर्तन किया जाए क्योंकि अब तक किये गए मामूली परिवर्तनों से कोई बात नहीं बनी।

5.10 विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हुए आयोग ने देखा कि अनुसूचित जाति के लोग गांवों और शहरों में दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। गांवों में वे प्रायः कुछ दूर अलग-अलग बस्तियों में रहते हैं। उन्हें पेय-जल, बिजली, स्वास्थ्य इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इनकी अधिकांश बस्तियां मुख्य सड़कों से नहीं जुड़ी हैं। अतः आयोग अनुभव करता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की बस्तियों में रहन-सहन की दशा में सुधार करने के लिये कारगर प्रयास करने की आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों के विकास के मूल दृष्टिकोण में उनके आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लेकिन उनकी बस्तियों में शैक्षिक और सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों में आमतौर पर तथा उनकी महिलाओं में विशेष तौर पर साक्षरता का स्तर उठाने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

5.11 विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विशेष संघटक योजना के तहत बहुत सारे आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसके कारण क्षेत्र स्तरों पर अनेक भ्रम उत्पन्न हो गए हैं। यह भी अनुभव किया गया कि किसी स्पष्ट परिप्रेक्ष्य के बिना अधिकारियों द्वारा योजनाओं को रोजमर्रा कार्य के रूप में लागू किया जा रहा है। विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप-योजना के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। राज्य स्तर पर निगरानी और मूल्यांकन ढांचे को कारगर और सरल बनाने की आवश्यकता है।

5.12 विशेष केंद्रीय सहायता : अनुसूचित जातियों के विकास को तेज गति देने की दृष्टि से राज्यों की विशेष संघटक योजनाओं के लिए भारत सरकार विशेष केंद्रीय सहायता देती है। अनुसूचित जातियों के विकास कार्यक्रमों को सम्पूर्ण बनाने के लिए केंद्रीय सहायता एक पूरक का काम करती है। इससे अनुसूचित जातियों के विकास कार्यक्रमों को अधिक सार्थक, व्यापक और आवश्यकता पर आधारित बनाने में मदद मिलती है। यह सहायता उन अंतरालों को भी पूरा करने में मदद करती है जिनमें अकेले केन्द्रीय या राज्य योजनाएं पूरा करने की स्थिति में नहीं होती। इसके अतिरिक्त विशेष केंद्रीय सहायता का उद्देश्य है— अनुसूचित जातियों के विकास के लिए प्रासंगिक कार्यक्रमों को आवश्यक बल प्रदान करना। इस सहायता का उपयोग करने के लिए केवल यही शर्त है कि इसे आर्थिक विकास कार्यक्रमों पर ही खर्च किया जाए। यह शर्त इसलिए रखी गई कि आर्थिक विकास को अनुसूचित जातियों के सामाजिक व आर्थिक उद्धार की कुंजी माना गया है।

5.13 छठी योजना के दौरान राज्यों की विशेष संघटक योजनाओं के लिए 600 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध की गई थी जिसमें से 513.13 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 1980-84 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 114.72 करोड़ रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता खर्च की जबकि इसी अवधि के दौरान 140 करोड़ रुपये विधे गये थे। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खर्च की गई विशेष केंद्रीय सहायता का विवरण अनुलग्नक-2 में देखा जा सकता है।

5.14 यह देखने में आया कि अधिकांश राज्य सरकारों ने ठीक प्रकार से योजना तैयार किए बिना विशेष केंद्रीय सहायता खर्च करने की प्रवृत्ति बना ली है जबकि पहले उन क्षेत्रों और कार्यक्रमों की शिनाख्त की जानी चाहिए जिन पर यह सहायता खर्च की जानी है। इसका परिणाम यह निकला कि क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया गया और जितने कार्यक्रमों पर विशेष केंद्रीय सहायता खर्च की गई उनमें से अधिकांश कार्यक्रम अनुसूचित जाति के अधिक परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में असफल रहे। कई मामलों में यह भी देखने में आया कि राज्य सरकारों ने उन स्कीमों पर विशेष केंद्रीय सहायता खर्च की जिनसे लाभभोगियों के आर्थिक जीवन पर न तो कोई प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा और न ही अप्रत्यक्ष। सहायता राशि के उपयोग पर भारत सरकार का नियंत्रण अपेक्षा कृत ढील है और आयोग यह अनुरोध करना चाहेगा कि विशेष केंद्रीय सहायता के उपयोग पर केंद्र द्वारा कड़ी नजर रखी जाए। आयोग इस बात का भी उल्लेख करना चाहेगा कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने खास-खास कार्यक्रमों पर विशेष केंद्रीय सहायता का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया और अच्छे परिणाम प्राप्त किये। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत सहायता राशि में वृद्धि करने के उद्देश्य से अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष केंद्रीय सहायता का पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया। आयोग के विचार से यह सही दृष्टिकोण नहीं है। अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास कार्यक्रमों को मिश्रित और समन्वित स्वरूप प्रदान करने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता नाजुक अंतरालों को भरने में राज्य सरकारों की मदद करती है। अलग-अलग परिवारों की आर्थिक लाभ पहुंचाने के परिप्रेक्ष्य में ही आर्थिक विकास को नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभभोगियों को उपलब्ध परिसम्पत्तियों से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रासंगिक प्रशिक्षण एवं सहायता सेवाओं को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

5.15 आयोग यह अनुभव करता है कि विशेष केंद्रीय सहायता का उचित और सार्थक उपयोग करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों पर भारत सरकार द्वारा न केवल जोर डाला जाना चाहिए बल्कि इस धनराशि को मुक्त करने और उसका उपयोग करने के संबंध में अधिक प्रभावी नियंत्रण व निगरानी भी रखी जानी चाहिए। यह आवश्यक है कि राज्यों के विशेष संघटक योजनाओं को अंतिम रूप देते समय भारत सरकार द्वारा उन क्षेत्रों की विस्तृत जांच पड़ताल की जाए जिन क्षेत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ने विशेष केंद्रीय

सहायता का उपयोग करना है। यदि आवश्यक हुआ तो भारत सरकार अपने विवेक और अनुभव से परिक्षण के तौर पर नाजुक अंतरालों का पता लगा सकती है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह निर्देश दे सकती है कि उन अंतरालों को भरने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता का उपयोग करें।

5.16 अनुसूचित जाति विकास निगम : विशेष संघटक योजनाओं को लागू करने के लिए 17 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति विकास निगम स्थापित किए जा चुके हैं। ये निगम अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तथा अनुसूचित जाति के लाभभोगियों को कमाऊ परिसम्पत्तियां दिलवाने के लिए पूंजी लगाने में योगदान करते हैं। इन निगमों से यह आशा की जाती है कि वे वित्तीय और गैर-वित्तीय निवेशों में नाजुक अंतरालों को भरे ताकि कार्यक्रम और योजना को सक्षम व सफल बनाया जा सके।

5.17 अनुसूचित जाति विकास निगमों को केंद्रीय सहायता योजना के तहत 49:51 के अनुपात से पूंजी लगाने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है। जुलाई 1981 में इस योजना में विस्तार किया गया और सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण जैसे प्रोत्साहनात्मक कार्य तथा कर्मचारियों/प्रशासनिक खर्चों, विशेष कर पर्यवेक्षण, निगड रानी और मूल्यांकन के लिए सहायता दी जाने लगी है।

5.18 छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने निगमों में पूंजी लगाने के लिए 68.83 करोड़ रुपये राज्य सरकारों को दिये। राज्यों का अंशदान तथा

भारत सरकार द्वारा दी गयी राशि का वर्षवार विवरण इस प्रकार है :

(लाख रुपये)

क्रम सं०	वर्ष	राज्य सरकारों का अंशदान	भारत सरकार द्वारा दी गयी राशि
1	2	3	4
1.	1980-81	. . . 1403.00	1300.97
2.	1981-82	. . . 1367.56	1332.37
3.	1982-83	. . . 1364.40	1350.00
4.	1983-84	. . . 1866.02	1400.00
	1984-85	. . . 1454.21	1500.00
जोड़	1980-85	. . . 7455.19	6883.34

5.19 छठी योजना में इन निगमों ने अनुसूचित जाति के 28.68 लाख परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनकी सहायता की। इन निगमों ने कुल 577.93 करोड़ रुपये की धनराशि उत्पन्न की। लगभग 106.59 करोड़ रुपये के सीमान्त धन ऋण से 370.84 करोड़ रुपये का बैंक ऋण प्राप्त करने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त इसी अवधि में निगमों ने 100.50 करोड़ रुपये की सहायता भी बांटी।

5.20 छठी योजना के पांच वर्षों में सभी अनुसूचित जाति विकास निगमों की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धि इस प्रकार है :

(लाख रुपये)

क्र० सं०	वर्ष	सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या	वितरित सीमान्त धन की राशि	वितरित बैंक ऋण की राशि	वितरित सहायता की राशि
1	2	3	4	5	6
1.	1980-81	. . . 180,143	908,71,000	3355,87,000	489,94,000
2.	1981-82	. . . 476,407	2184,42,000	6322,56,000	2301,99,000
3.	1982-83	. . . 742,476	2055,65,431	5457,59,295	1161,03,859
4.	1983-84	. . . 793,146	2490,78,018	8928,92,041	2849,71,387
5.	1984-85	. . . 676,601	3019,22,889	13019,46,025	3247,16,882
	1980-85	2868,773	10658,84,338	37084,40,361	10049,98,128

(1984-85 के दौरान विभिन्न राज्यों में निगमों द्वारा चलाया जा रहा सहायता कार्यक्रम अनुलग्नक-3 में देखा जाए।)

5.21 यद्यपि सीमान्त धन ऋण योजना और सहायता राशि के वितरण में वृद्धि हुई है, फिर भी 1983-84 के मुकाबले 1984-85 में कम परिवारों को सहायता पहुंचायी गयी। आयोग के ध्यान में यह बात आई कि निगमों और बैंकों के बीच पारस्परिक सम्पर्क का अभाव है। यही कारण है कि मूलतः एक ही उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील इन दोनों संस्थाओं के मन में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना घर कर गयी है। जहाँ एक तरफ बैंकों को लाभाधिकारों के चयन, योजनाओं की सक्षमता और उपयोगिता को लेकर निगम के कर्मचारियों की कार्य-कुशलता पर शक है वहीं दूसरी ओर निगमों के मन में यह धारणा बन गयी है कि अनुसूचित जाति के लोगों से ऋण वसूल न होने के भय से बैंक अनुसूचित जातियों को ऋण देने में कतराते हैं। आयोग का विचार है कि बैंकों को अपने कार्यान्वयन तंत्र को चुस्त बनाना होगा तथा अपने क्षेत्रीय स्तर के कर्मचारियों को, ग्रामीणों को ऋण देने की दिशा में प्रेरित करना होगा। साथ ही निगमों को अपनी कार्यप्रणाली सरल और कारगर बनाने तथा अपने कार्यकलापों को अधिक व्यावसायिक ढंग से संचालित करने की आवश्यकता है।

5.22 निगमों के कार्यकलापों में एक अन्य प्रवृत्ति यह देखने में आई है कि वे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत अपने कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित रखते हैं जबकि उन्हें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्षेत्राधिकार से बाहर के कार्यक्रमों पर भी समुचित ध्यान देना चाहिए। यह तभी सम्भव हो सकता है जब निगमों द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, खादी और ग्रामोद्योग आयोग आदि जैसी संस्थाओं के साथ निकट सम्पर्क स्थापित किया जाए। ऐसा करने से न केवल इन निगमों की गतिविधियों का क्षेत्र ही बढ़ेगा बल्कि वे विभिन्न संगठनों से अधिक वित्तीय संसाधन भी जुटा सकेंगे।

5.23 आयोग के ध्यान में यह बात आई कि सामान्यतः इन निगमों में क्षेत्रीय स्तर पर सीमित कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। ये कर्मचारी पर्याप्त रूप से गतिशील भी नहीं हैं जिसके कारण सहायता प्राप्त परिवारों की निगरानी रखने तथा ऋण की वसूली का काम संतोषजनक नहीं है। इन कर्मचारियों के कामकाज को असरदार बनाने के लिए निगमों को पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी उपलब्ध किए जाने चाहिए ताकि कार्यकुशलता बढ़ सके। कामकाज में कारगर समन्वय, नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए किसी सक्षम एवं दक्ष वरिष्ठ अधिकारी को निगम का प्रमुख बनाया जाना चाहिए। निगम द्वारा शुरु किए गये कार्यक्रमों की शिनाख्त, निर्धारण, मूल्यांकन एवं निगरानी संबंधी विषयों पर अपने कर्मचारियों के लिए निगमों द्वारा आवश्यक उन्नयन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाना चाहिए।

5.24 आयोग आगे यह अनुभव करता है कि सभी वित्तीय तथा अन्य संस्थाओं/संगठनों का एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना चाहिए और अनुसूचित जातियों के लिए बनाए गये आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को एक समन्वित स्वरूप प्रदान करने के लिए मिल जुल कर जिला स्तर

पर ऋण योजनाएं/कार्य योजनाएं तैयार करनी चाहिए। इक्के-दुक्के जिलों को छोड़ कर देश में कहीं भी ऐसा नहीं किया जा रहा है।

5.25 निगमों को मिलने वाली सफलता मुख्यतया इस बात पर निर्भर करेगी कि वे विभिन्न ऋण एवं विपणन संस्थाओं तथा तकनीकी विभागों जैसे चमड़ा विकास निगम, हथकरघा एवं हस्तशिल्प बोर्ड, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के साथ किस सीमा तक सम्पर्क स्थापित कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त यह सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि विशेष संघटक योजना के तहत क्षेत्रक कार्यक्रमों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित हो पाया है। आयोग को इस बात का अत्यन्त दुःख है कि अकेले काम करने की परिपाटी अभी भी जारी है। यदि कमजोर वर्गों के विकास कार्यक्रमों को अधिक गतिशील बनाना है और सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन के लिए सामूहिक संगठनों को प्रभावी बनाना है तो सरकारी विभागों और संस्थाओं को मेल-मिलाप से काम करने का मूल मंत्र सीखना होगा।

(ख) अनुसूचित जनजातियां

5.26 अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 7.5% है और वे आर्थिक रूप से समाज में सबसे कमजोर हैं। अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक योजना की तरह जनजातीय उप योजना का उद्देश्य है—अनुसूचित जनजातियों के रहन-सहन का स्तर ऊपर उठाना। 17 राज्यों तथा अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह और गोवा, दमन व दीव के दो संघ राज्य क्षेत्रों में 181 समन्वित जनजाति विकास परियोजनाओं, 245 “माडा” क्षेत्रों तथा 72 आदिम जनजाति परियोजनाओं में जनजातीय उप-योजना चलाई जा रही है। जनजातीय बहुल 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप तथा दादरा व नगर हवेली की सम्पूर्ण योजना केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए है। छठी योजना के अंत तक जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत 5.101 लाख वर्ग कि०मी० में रहने वाली 3.72 करोड़ की आदिवासी जनसंख्या को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। यह जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी का 75% है जबकि पांचवी योजना में 65% आदिवासी जनसंख्या को सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया था।

5.27 जनजातीय उप-योजना के लिए धनराशि निर्धारित करने से संबंधित केंद्रीय सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत आने वाले भू-भाग, अन्य क्षेत्रों की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों के विकास का स्तर तथा राज्य की कुल जनसंख्या में आदिवासी जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में जनजातीय क्षेत्रों के लिए धनराशि नियत करनी है। जनजातीय विकास के प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य योजना के पूरक के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष वित्तीय सहायता भी दी जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य परिषद, जनजातीय उप योजना के लिए

उपलब्ध की गयी धनराशि तथा 1980-85 और 1984-85 में दी गयी विशेष केंद्रीय सहायता का विवरण अनुलग्नक-4 में दिया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना और 1984-85 में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा जनजातीय उप योजना क्षेत्रों के लिए धनराशि के निर्धारण की स्थिति अनुलग्नक-5 में दी गई है।

5.28 अनुलग्नक-5 में दिये गये विवरण से ज्ञात होता है कि बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, उड़ीसा तथा संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह ने राज्य योजना से जनजातीय उप योजना के लिए अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात से भी अधिक राशि निर्धारित की है। लेकिन आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों ने अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के 85 प्रतिशत से लेकर 99 प्रतिशत के बीच धनराशि निर्धारित की है। शेष राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तामिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र गोवा, वमन व दीव ने 26 प्रतिशत से लेकर 78 प्रतिशत की बीच बहुत कम धनराशि निर्धारित की है। आयोग यह सिफारिश करता है कि तीसरी श्रेणी में आने वाले उपर्युक्त राज्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के विभाज्य साधनों से अधिक धनराशि जुटाने के लिए संगठित प्रयास किए जाए तथा केंद्रीय सरकार के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुरूप जनजातीय उप योजना के लिए धनराशि बढ़ायी जाए।

5.29 अनुलग्नक-5 में दिये गये आंकड़ों से मालूम होता है कि छठी योजना के अलग-अलग वर्षों में 15 मंत्रालयों/विभागों ने जनजातीय उप योजना क्षेत्रों के लिए धन की मात्रा निश्चित की है जबकि केवल 11 मंत्रालयों/विभागों ने 1984-85 में जनजातीय उप योजना के लिए वास्तव में धनराशि अलग निर्धारित कर रखी है। कृषि और सहकारिता, शिक्षा और संस्कृति, संचार, खाद्य तथा नागरिक पूर्ति (खाद्य विभाग) मंत्रालयों ने 1984-85 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातों की जनसंख्या के प्रतिशत की तुलना में बहुत कम धनराशि निर्धारित की है। अतः आयोग यह सिफारिश करता है कि इन मंत्रालयों तथा अन्य सभी मंत्रालयों जिन्होंने अभी तक देश में अनुसूचित जनजातों की जनसंख्या के अनुपात की तुलना में धनराशि निर्धारित नहीं की है, को इस संबंध में मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए।

5.30 सातवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए 1984 में आयोग ने एक नीति-पत्र तैयार किया। यह नीति-पत्र योजना आयोग और नोडल मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। देश की आदिवासी जनसंख्या को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए इस नीति-पत्र में आगामी योजना में अपनायी जाने वाली नीति और दृष्टिकोण के बारे में कई सिफारिशों की गयी हैं। इस नीति-पत्र में की गई सिफारिशों का सारांश अनुलग्नक-6 में दिया गया है।

5.31 आयोग ने 1984-85 में भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, (जनवरी 1982 में यथा संशोधित) के नियम 16(ग) (ग) के क्रियान्वयन का अध्ययन

किया। इस नियम में यह व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की नीति, नियोजन तथा समन्वय के लिए गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में काम करेगा, जबकि संबंधित मंत्रालय/विभाग तथा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन क्षेत्रक कार्यक्रमों और विकास योजनाओं के लिए उत्तरदायी होंगे। यह जानने के लिए कि ये मंत्रालय/विभाग इन नियमों का कार्यान्वयन किस सीमा तक कर रहे हैं, आयोग ने 18 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की वर्ष 1984-85 की वार्षिक रिपोर्टों का अध्ययन किया। कृषि और सहकारिता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग ने अपनी रिपोर्टों के पृथक अध्यायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर विचार किया है जबकि शेष मंत्रालयों ने अपनी रिपोर्टों में सरसरी या आकस्मिक तौर पर इसका उल्लेख किया है। अतः इसी यह प्रतीत होता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु क्षेत्रक कार्यक्रमों पर निगरानी रखने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों ने गम्भीरता से प्रयास नहीं किए हैं। अतः आयोग इस संबंध में यह सिफारिश करता है कि सभी मंत्रालय अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्टों में एक पृथक अध्याय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व विकास के लिए चलाये गये कार्यक्रमों का स्पष्ट उल्लेख करें।

व्यवस्थित खेती

5.32 अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है—आदिवासियों द्वारा अपनायी जाने वाली खेती की पद्धति। यह सर्वविधित है कि देश में अधिकांश आदिवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में परम्परागत झूम खेती की जाती है। इस प्रकार की खेती करने के फलस्वरूप वनों को बहुत हानि हुई है। अब इस गम्भीर समस्या के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है तथा कृषि मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में झूम खेती करने वालों को एक स्थान पर बसाने के लिए शतप्रतिशत सहायता देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत एक झूमियां को एक हेक्टेयर भूमि पर बाग लगाने के लिए पेंड-पौधे दिये जाते हैं। छठी योजना में इन दो संघ राज्य क्षेत्रों के 700 परिवारों को सहायता दी गयी थी। 1984-85 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में दो-दो सौ परिवारों को बसाने के लिए क्रमशः 8.96 लाख तथा 11.24 लाख रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है। उड़ीसा में वन विभाग ने संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अधीन केंद्रीय सरकार से 150 लाख रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त किया। यह अनुदान 1984-85 में झूम खेती को रोकने के लिए तथा झूम खेती करने वालों को बसाने के लिए दिया गया था। बहु-विषयी सूक्ष्म-स्तरीय संगठनों के माध्यम से इस योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक झूम खेती बोर्ड स्थापित किया गया।

5.33 झूम खेती की समस्या बहुत जटिल है और इस प्रथा को केवल एक बार नीति घोषित कर देने से समाप्त नहीं किया जा सकता। पारिस्थितिक और पर्यावरण के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस समस्या से कुशलता

पूर्वक निबटने की आवश्यकता है। आदिवासियों को मूल्यवान वन सम्पत्ति नष्ट करने से धीरे-धीरे रोका जा सकता है तथा इसके साथ-साथ उन्हें विकास संगठनों के मार्गदर्शन में स्थायी जोत भूमि पर खेती करने के लिए बसाया जा सकता है। आयोग का मत है कि झूम खेती को व्यवस्थित खेती में बदलने की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए सूक्ष्म-स्तरीय संगठनों को सुनियोजित विस्तार कार्यों पर लगाना होगा। इस क्षत्र में इस समय किए जा रहे पूजा निवेश से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं क्योंकि परिवर्तन के लिए वातावरण तयार करने हेतु कोई विस्तार कार्य नहीं किया जा रहा है।

सामाजिक वानिकी

5.34 अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण योजना है— सामाजिक वानिकी। इस योजना में भूमिहीन ग्रामीण गराबां, विशेष कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आमदना का स्थायी स्रोत उपलब्ध कराने का परिकल्पना की गयी है। इस योजना में "प्रत्येक बच्चे के लिए एक वृक्ष" लगान का कार्यक्रम भी शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम का लागू करने के लिए केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों का मदद देती है। एक हेक्टेयर पर वृक्ष लगान के लिए अधिक से अधिक 1,000 रु० तथा वितरण करने के लिए उगाय गये प्रत्येक एक हजार पौधों के लिए 250 रु० का उपदान दिया जाता है।

5.35 आयोग ने कुछ राज्यों में भूमिहीन आदिवासियों को सामाजिक सुरक्षा, वृक्षारोपण योजनाओं के कार्यान्वयन का अध्ययन किया। राजस्थान में प्रत्येक आदिवासी परिवार को दो हेक्टेयर भूमि और 800 पौधे दिये जाते हैं। इस संबंध में आदिवासी को 20 प्रतिशत भोगाधिकार तथा राज्य सरकार को शेष 80 प्रतिशत भोगाधिकार प्राप्त है। आदिवासी को पड़ों पर फल पकने तक प्रतिमाह 250 रु० दिये जाते हैं लेकिन जमान पर उसे कोई अन्य अधिकार प्राप्त नहीं है।

5.36 कर्नाटक में प्रत्येक आदिवासी लाभभोगी को सात वर्ष तक प्रतिमाह 250 रु० तथा 50 प्रतिशत भोगाधिकार दिया जाता है। आदिवासी को उस भूमि पर कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है जिस पर वृक्ष उगाये जाते हैं।

5.37 गुजरात में एक आदिवासी परिवार का वन विभाग को दख-रेख और मार्गदर्शन में उपयुक्त जंगली वनस्पतियां उगाने के लिए 2-1/2 हेक्टेयर भूमि दी जाती है। पौधे और अन्य साज-सामान निःशुल्क दिया जाता है। आदिवासियों को गड्डों की खुदाई, भू-संरक्षण, पाध रोपण, निराई, घेराबंदी करके पौधे उगाने पड़ते हैं। श्रम के बदले प्रत्येक परिवार को 15 वर्ष तक प्रतिमाह 250 रु० वेतन के रूप में दिये जाते हैं। पौध रोपण स्थल के पास झोपड़ियां बनाने के लिए उक्त परिवार को वन विभाग द्वारा लकड़ी और बांस आदि भी दिये जाते हैं। 15 वर्ष पुरे होने पर अर्थात् जब पेड़ फल देने लग जाते हैं, उन्हें फलों/सामग्री की बिक्री पर 20 प्रतिशत का भोगाधिकार दिया जाता है।

5.38 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गयी, बस्तर विकास योजना में अन्य बातों के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा, वृक्षा रोपण योजना की व्यवस्था है। इस योजना के तहत जिले के 32 विकास खंडों में पांच-पांच लाभार्थियों को शामिल किया जाता है। प्रत्येक लाभभोगी को 2-1/2 हेक्टेयर भूमि दी जाती है और उससे 10 वर्ष तक प्रति वर्ष 0.25 हेक्टेयर भूमि पर वृक्ष उगाने को कहा जाता है। प्रति हेक्टेयर 5,000 रु० वृक्षारोपण की अनुमानित लागत वन विभाग द्वारा वहन की जाती है। इसके लिए आदिवासियों को ऋण तथा अनुदान दिया जाता है, वृक्षों के रख-रखाव के लिए आदिवासियों को वार्षिक भत्ता भी दिया जाता है। वन विभाग द्वारा दी गयी जमीन और जानकारी के आधार पर ग्रामवासियों को पालिथीन के थैलों में पौधे उगाने पड़ती है। जब पौध एक साल के हो जाते हैं तब वन विभाग द्वारा लाभप्रद मूल्य देकर इन्हें खरीव लिया जाता है। इस प्रकार के वृक्ष उगाने के लिए आदिवासियों को भोगाधिकार का लाभ भी देने का प्रस्ताव है।

5.39 आयोग सिफारिश करता है कि आदिवासी जनसंख्या वाले सभी राज्यों द्वारा यह योजना लागू की जाए क्योंकि इससे उन आदिवासियों का आर्थिक स्तर ऊपर उठाने में मदद मिलेगी जिन्हें वृक्ष उगाने और उनकी देखभाल करने का बहुत अच्छा ज्ञान है। इस संबंध में गुजरात में अपनायी जा रही प्रक्रिया अपनायी चाहिए जहाँ लाभभोगियों को वृक्षारोपण स्थल के पास झोपड़ियां बनाने के लिए लकड़ी भी दी जाती है। लाभभोगियों को दिया जाने वाला भोगाधिकार का हिस्सा अधिक उदार बनाया जाना चाहिए ताकि उन्हें अधिक आय प्राप्त हो सके और दूसरे भूमिहीन आदिवासी भी इस योजना का लाभ उठा सकें। सामाजिक सुरक्षा, वृक्षारोपण जैसी योजनाओं से भी आदिवासी वास्तव्यों के वातावरण की सुरक्षा करने में मदद मिलेगी। आदिवासियों को वृक्षों पर फल लगने की अवधि तक जो मजदूरी दी जाती है वह कम से कम राज्यों में खेतिहर मजदूरों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी के बराबर होनी चाहिए ताकि आदिवासी परिवार ठीक प्रकार से अपनी आजीविका चला सके। मजदूरी का भुगतान कुछ नगद और कुछ वस्तुओं के रूप में किया जाना चाहिए।

शुष्क भूमि/वर्षा आधारित खेती

5.40 देश में लगभग 1428 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। इसमें से 73 प्रतिशत भूमि वर्षा पर आधारित है और कुल उत्पादन में इसका योगदान 40 प्रतिशत के बराबर है। देश में वर्षा आधारित भूमि पर तिलहन और दलहन को पैदावार लगभग 75 प्रतिशत होती है। अधिकांश शुष्क भूमि छोटे और सीमान्त किसानों के पास है जिनमें अधिकतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं। विशेष कर तिलहन, मोट अनाज और कपास इत्यादि के मामले में वर्षा आधारित और शुष्क भूमि की कृषि क्षमता को देखते हुए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि देश के कृषि क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण हिस्से को उपजाऊ बनाने और विकसित करने के लिए कृषि कार्य में लगे कमजोर वर्ग ठीक प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकें।

5.41 प्रतिकूल प्राकृतिक कारणों जैसे मानसून की अनिश्चितता के अतिरिक्त छोटे और सीमान्त किसानों के पास बहुत कम भूमि है। इसलिए वे सही कार्यविधि और संस्थागत ऋण का लाभ नहीं उठा पाते। इस संबंध में आयोग निम्नलिखित सिफारिशें करता है।

1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छोटे और सीमान्त किसानों को वर्षा आधारित और शुष्क भूमि की पैदावार बढ़ाने के लिए सही कार्यविधि की जानकारी का होना जरूरी है। वर्तमान विस्तार कार्यक्रम अपर्याप्त हैं। उन्हें पर्याप्त रूपा से बढ़ाने और सक्रिय बनाने की आवश्यकता है ताकि वे कृषि समुदाय के सभी सदस्यों तक पहुंच सकें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अधिक प्रदर्शन-आत्मक प्रभाव वाले नाजूक क्षेत्रों में प्रचालन अनुसंधान एवं प्रयोगशाला से खेत तक जैसे कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाये जाने चाहिए।
2. संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यप्रणाली को सरल बनाया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थानीय विकास एजेंसियों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विशेष सामग्री की जरूरतें पर्याप्त रूप से पूरी की जाएं। लाभभोगियों को साज-सामान और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बार-बार ब्लाक कार्यालय और बैंकों के चक्कर नहीं लगाने देने चाहिए। ग्रामीण बैंकों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छोटे और सीमान्त किसानों को ऋण मंजूर करने के अधिकार प्रदान किये जाने चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर दूर-दराज के क्षेत्रों की जरूरतें पूरी करने के लिए इन बैंकों की अधिक शाखाएं खोली जानी चाहिए।
3. उपयुक्त विस्तार सेवाएं उपलब्ध कराने में कृषि विज्ञान केंद्रों को विशेष भूमिका निभानी पड़ती है। यह जरूरी है कि इन सेवाओं को उद्देश्यपूर्ण और व्यापक बनाया जाए।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

5.42 पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय जनजातीय उप योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और पिछड़ा वर्ग कल्याण क्षेत्र इत्यादि के अधीन अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का मूल्यांकन करते रहे। 1984-85 में इस प्रकार के 15 अध्ययन पूरे किए गए।

जनजातीय उप योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

5.43 निम्नलिखित विषयों पर 6 अध्ययन किए गए :

1. राजस्थान में सहारिया आदिम जनजाति के विकास के लिए सूक्ष्म-परियोजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन अध्ययन।
2. उड़ीसा के फुलबनी जिले में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विशेष संघटक योजना और जनजातीय

उप योजना के अंतर्गत स्कीमों के कार्यान्वयन का अध्ययन।

3. बिहार में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप योजना के अंतर्गत स्कीमों के कार्यान्वयन के प्रभाव का अध्ययन।
4. माइलीम विकास खंड मेघालय में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अध्ययन।
5. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए केरल राज्य विकास निगम द्वारा चलाई गई स्कीमों के कार्यान्वयन का अध्ययन।
6. पश्चिम बंगाल के 24-परगना जिले में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजनाओं का अध्ययन।

इन अध्ययनों के आधार निम्नलिखित विचार प्रमुख रूप से सामने आये :

1. यद्यपि गरीबों में भी सबसे गरीब को लाभ पहुंचाने के लिए योजनाएं तैयार की गयी हैं, लेकिन आमतौर पर इनका फायदा अधिक साधन सम्पन्न लोगों अथवा उन लोगों द्वारा जो गरीबी की रेखा से ऊपर हैं, उठाया जाता है। अधिकांश गरीब वर्गों को न तो इन योजनाओं और न ही अपेक्षित कार्यप्रणाली की कोई जानकारी है। गरीब वर्गों में जो थोड़े से लोग लाभ प्राप्त करने के लिए चुन लिए जाते हैं उन्हें प्रायः ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया जाता है जिसका अर्थ व पूरी तरह नहीं समझते हैं तथा अभीष्ट लाभ का मात्र एक छोटा-सा हिस्सा उन्हें मिल पाता है। परिणामस्वरूप इनके द्वारा शुरू की गयी परियोजनाएं सक्षम नहीं हो पातीं तथा दीर्घकालीन लाभ कभी मूर्त रूप धारण नहीं करते।
2. कार्यान्वयन तंत्र द्वारा लाभभोगी विशेष के लिए स्कीमों की उपयुक्तता अथवा स्थानीय परिस्थितियों में इनकी सक्षमता सुनिश्चित किए बिना रोजमर्रा के कार्य की तरह योजनाएं लागू की जाती हैं। परिणामस्वरूप लाभार्थी प्रायः बैंकों के कर्ज में दब जाते हैं जो स्थानीय साहूकारों के परम्परागत कर्ज के बोझ से कम भयकर नहीं है।
3. आय उत्पन्न करने के लिए धिसी-पिटी योजनाओं में दुर्लभ संसाधनों को लगाने तथा इन्हें बेमन और यहां तक कि कठोरता से लागू करने के कारण शिक्षा, स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था, कुपोषण का उपचार, भूमि सुधार, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान और दलित आदिवासी क्षेत्रों का विकास जैसे नाजूक क्षेत्रों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में कई दशकों से कोई वास्तविक सुधार हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
4. सामान्यतः लक्ष्य प्राप्त करने में तत्परीन रहने के कारण लाभभोगियों के हितों को अनदेखा कर दिया जाता है। संबंधित एजेंसियों में परस्पर

तालमेल न होने के कारण योजनाएं असफल हो जाती हैं तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम मात्र आंकड़ों का खेल बन कर रह गया है।

5. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के बावजूद भी बैंक बोलिबल और अधिक समय लेने वाली कार्यप्रणाली अपना रहे हैं जिसके कारण अनावश्यक विलम्ब होता है और कई परियोजनाएं असफल हो जाती हैं। वास्तव में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सबसे बड़ी रुकावट है रुक-रुक कर और अनिच्छा से संस्थागत धन का मिलना।

5.44 आयोग यह सिफारिश करता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम लागू करने के लिए समुचित उपाय किए जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थी उन स्कीमों के बारे में सही सूचना प्राप्त कर सकें जो उन्हें गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने के लिए बनायी गयी हैं। ब्लाक और क्षेत्रीय स्तरों पर विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच सही तालमेल सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कार्यपद्धति को सरल और कारगर बनाया जाए तथा वित्तीय संस्थाओं के नियमों को भी सरल बनाया जाए। आमतौर पर यह देखने में आया कि विभिन्न ब्याज दर स्कीमों के अंतर्गत ऋण देने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को जो निर्देश जारी किए गए हैं उनका ठीक प्रकार से पालन नहीं किया जाता क्योंकि बैंक के विभिन्न अधिकारी 500 रु० से लेकर 2,000 रु० तक की राशि का ऋण मंजूर करने से पहले जमानत प्रस्तुत करने के लिए जोर देते हैं। इस बात पर आश्चर्य होता है कि भूमिहीनों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं में कुछ बैंक "समर्थक ऋण आधार" के लिए जोर देते हुए पाये गये हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों को वास्तविक लाभ पहुंचे। अतः एक ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिसके माध्यम से उन लाभार्थियों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले जिनके पास कोई स्थायी परिसम्पत्ति नहीं है और जिनकी आमदनी सबसे कम है। वर्तमान चयन प्रणाली से वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुआ अतः इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार योजनाओं की चयन प्रक्रिया को कल्पनाशील बनाना होगा ताकि यह सम्भावित लाभार्थियों की पृष्ठभूमि और उनकी क्षमता के अनुकूल बन सके। इसके अलावा जब तक पूंजी निवेश प्रयोजन के सक्षम नहीं बन जाता तब तक उन मामलों में सुव्यवस्थित अनुवर्ती कारवाई करते रहना होगा।

प्रशिक्षण

5.45 आयोग ने परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों पर तीन अध्ययन किए तथा स्वयंसेवी संगठनों की सार्थकता पर एक अध्ययन किया। प्रशिक्षण केंद्रों का दृष्टिकोण आमतौर पर ठीक नहीं पाया गया क्योंकि एक संस्थान में पत्राचार के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा था जबकि दूसरे में अंग्रेजी, हिंदी और सामान्य ज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों को पाठ्य सामग्री में शामिल नहीं किया गया था। इन संस्थानों में न तो पर्याप्त मात्रा में पाठ्य सामग्री थी और न ही प्रशिक्षण के लिए समुचित सुविधाएं। यह भी देखने में आया कि अफसरशाही से होने वाले विलम्ब और पहले प्राप्त धनराशि का उपयोग करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता के कारण स्वयंसेवी संगठन कारगर भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। आयोग यह सिफारिश करता है कि केवल उन्हीं परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता दी जाए जो प्रशिक्षण का वांछित स्तर बनाए रखते हैं। यदि प्राथमिक शिक्षा स्तर से ही शिक्षा और प्रशिक्षण की समस्या पर ध्यान दिया जाए तो अधिक लाभप्रद होगा। आयोग पुरजोर सिफारिश करता है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर आवासीय स्कूल खोले जाएं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में विज्ञान, गणित इत्यादि जैसे विषयों को लोकप्रिय बनाया जाए। तकनीकी संस्थानों में रोजगार उन्मुख अवसर शुरू किए जाएं। इस संबंध में तकनीकी शिक्षा और रोजगार अवसरों के स्वरूप की एक अन्तः मंत्रालयीय दल द्वारा समीक्षा की जाए।

5.46 1984-85 के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में समन्वित बाल-विकास सेवा कार्यक्रम से पड़े प्रभाव के बारे में दो अध्ययन तथा आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के विषयों पर तीन अध्ययन किए गए। यह पाया गया कि आदिवासी क्षेत्रों में समन्वित बाल-विकास सेवाएं बहुत ही कम हैं। कई केंद्रों में कर्मचारियों की व्यवस्था, भवनों की दशा और उपकरण अपेक्षित स्तर के नहीं पाये गये। अतः आयोग सिफारिश करता है कि समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रशिक्षित तथा प्रेरक कर्मचारियों को तैनात करने तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषाहार के लिए अच्छी किस्म की सामग्री उपलब्ध करने की ओर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। सेवाओं की क्वालिटी की कीमत पर इस कार्यक्रम में विस्तार करने के लिए अधिक उत्साह दिखाना अलाभकारी होगा।

अनुलग्नक 1

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों की विकास नीति पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज की प्रमुख सिफारिशें

- (1) अधिकांश केंद्रीय मंत्रालय अपने-अपने क्षेत्रक कार्यक्रमों के अंतर्गत विशेष संघटक योजना के लिए धनराशि निर्धारित करने में असफल रहे तथा उन्होंने हिसाब-किताब रखने के लिए अलग से कोई बजट उप-शीर्ष नहीं बनाया है। सातवीं योजना के लिए गृह सचिव (तत्कालीन नोडल मंत्रालय) की अध्यक्षता में एक अन्तःमंत्रालयीय कार्यकारी दल का गठन किया जाए ताकि सभी संबंधित मंत्रालयों द्वारा धनराशि का ठीक-ठीक निर्धारण सुनिश्चित किया जा सके।
- (2) गृह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह निर्देश जारी करे कि विशेष केंद्रीय सहायता की 50% राशि खेतिहर मजदूरों की स्कीमों, 10% राशि किसानों, 10% राशि कारीगरों, 20% राशि निर्बल समूहों तथा 10% राशि अनुसूचित जाति के अन्य वर्गों की योजनाओं पर खर्च की जाए। किसी भी योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता तभी दी जाएगी जबकि उक्त योजना के कार्यक्रमों के लिए राज्य योजना से पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध किया जाए।
- (3) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विशेष संघटक योजना के लिए पृथक उप-शीर्ष बनाने के बावजूद भी बजट को अन्य कार्यों पर खर्च करने के लिए कोई रोक नहीं लगायी जाती। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही नोडल विभाग की स्वीकृति से विशेष संघटक योजना की राशियों के अन्य कार्यों पर खर्च करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- (4) सरकारी विभागों द्वारा विशेष संघटक योजना के तहत धनराशि का काल्पनिक निर्धारण बिल्कुल न किया जाए। अनुसूचित जातियों की जरूरतों, उनके हुनर और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विभाग को योजनाएं तैयार करनी चाहिए। मूल आवश्यकताओं को स्वतः ही उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- (5) विशेष संघटक योजना का मुख्य उद्देश्य या छठी योजना के दौरान अनुसूचित जाति के कम से कम 50% परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में उनकी मदद करना। इन परिवारों को कितनी मात्रा में आर्थिक सहायता दी गयी तथा इस प्रकार की सहायता से उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा इसका आकलन केवल सैम्पल मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर किया जा सकता है। ये मूल्यांकन अध्ययन प्रतिष्ठित संगठनों जिनमें स्वायत्तधासी और स्वयंसेवी अनुसंधान संस्थाएं शामिल हैं, के माध्यम से कराये जा सकते हैं।
- (6) बैंच मार्क सर्वेक्षण का कार्य 1984-85 में ही पूरा कर देना चाहिए ताकि सातवीं योजना के दौरान अनुसूचित जाति के जिन परिवारों की मदद की जानी है उनकी पहचान से शिनाख्त हो सके और उनके लिए सुनियोजित व समन्वित रूप से आय अर्जित करने वाली उपयुक्त और सक्षम योजनाएं तैयार की जा सकें।
- (7) विशेष संघटक योजना के अंतर्गत कमजोर वर्गों में शामिल है—मेहतर, सफाई कर्मचारी, अनुसूचित जाति के बंधुआ मजदूर, खानाबदोश/अर्द्ध खानाबदोश तथा अनुसूचित जातियों में विमुक्त समुदायों के लोग। कमजोर वर्गों में एक और श्रेणी अर्थात् अनुसूचित जाति के सबसे गरीब वर्ग को शामिल किया जा सकता है तथा इस वर्ग के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की राशि 10% से बढ़ाकर 20% कर दी जाए।
- (8) मेहतरों और सफाई कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं दी जानी चाहिए। इन व्यवसायों में लगे लोगों की संख्या तथा उन्हें दूसरे किन-किन आजीविका-सक्षम कार्यों में खपाया जा सकता है, के आधार पर एक विस्तृत व चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाए।
- (9) विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगे बंधुआ मजदूरों की शिनाख्त करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ किया जाए तथा श्रम मंत्रालय द्वारा उपलब्ध की गई धनराशि, राज्य योजनाओं में निर्धारित की गई राशि तथा विशेष केंद्रीय सहायता से इनके लिए बहुआयामीय पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किए जाएं।
- (10) बहुत-सी विमुक्त जातियां रोजमर्रा के संकट में जी रही हैं। सातवीं योजना में इन जातियों पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- (11) अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को भी अनुसूचित जनजातियों की तरह समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन 50% की दर से सहायता दी जाए।
- (12) जिन गांवों में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं उन सब में 7वीं योजना के दौरान स्वच्छ पेय-जल उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक जिले में रह रहे ऐसे समुदायों को पेय-जल, पथ-प्रकाश, सम्पर्कमार्ग, सफाई इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए मास्टर योजनाएं तैयार की जाएं तथा सातवीं योजना में इन सुविधाओं में व्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से विस्तार किया जाए।
- (13) अनुसूचित जातियों की प्राथमिक शिक्षा देने के लिए सातवीं योजना में विशेष धन की व्यवस्था की जाए। अनुसूचित जाति के बच्चों, विशेष कर लड़कियों को छात्रवृत्ति, बर्दी इत्यादि देकर प्रोत्साहित किया जाए ताकि विद्यालय में अधिक से अधिक बच्चे नाम दर्ज करा सकें और बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों को भी रोका जा सके।

- (14) अनुसूचित जाति के लोगों को आवास स्थल आवंटित करते समय उनके परिवार, मवेशियों और आर्थिक कार्यकलाप की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।
- (15) आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समन्वय समितियां होने के बावजूद भी विशेष संघटक योजना की समीक्षा नियमित रूप से नहीं की जा रही है । समीक्षा नियमित रूप से की जानी चाहिए तथा इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि जो उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, क्या वे वित्तीय खर्च के अनुरूप हैं ।
- (16) जिला व राज्य स्तरों पर एक सम्पूर्ण निगरानी प्रकोष्ठ की आवश्यकता है ताकि उनके माध्यम से उच्च स्तर तक समुचित

सूचना पहुंच सके । अनुसूचित जाति कल्याण निदेशालय में निगरानी कार्य की देखभाल करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति करके निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ।

- (17) विशेष संघटक योजना के कार्यक्रमों को लागू करने में स्वयं-सेवी संगठनों का अधिक से अधिक सहयोग लेने की आवश्यकता है । इस कार्य में अनुसूचित जातियों के एक "रिप्रेजेंटेटिव क्रॉस सेक्शन" को भी भागीदार बनाए जाने की बहुत आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुसूचित जाति के अधिक बाक्युट और प्रभावशाली लोग विकास का सारा फायदा स्वयं न उठा सकें ।

अनुलग्नक 2

अनु० जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये)

क्र.० सं०	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	छठी योजना (1980-85) के दौरान मुक्त की गयी धनराशि	छठी योजना (1980-85) के दौरान उपभोग की गई धनराशि
1	आन्ध्र प्रदेश	4842.35	4734.00
2	असम	575.82	575.91
3	बिहार	5659.11	2927.14
4	गुजरात	1251.24	1251.24
5	हरियाणा	1237.95	1237.24
6	हिमाचल प्रदेश	616.39	616.39
7	जम्मू व कश्मीर	127.13	89.30
8	कर्नाटक	3554.60	3537.30
9	केरल	1395.39	1395.39
10	मध्य प्रदेश	3824.85	3462.68
11	महाराष्ट्र	3562.43	3348.58
12	मणिपुर	13.46	13.46
13	उड़ीसा	2487.93	2487.93
14	पंजाब	2425.85	2312.02
15	राजस्थान	3263.41	2410.98
16	सिक्किम	6.74	4.26
17	तमिलनाडु	4900.65	4548.00
18	त्रिपुरा	147.58	133.57
19	उत्तर प्रदेश	14055.23	14055.23
20	प० बंगाल	5629.74	5502.61
21	दिल्ली	351.70	351.05
22	चंडीगढ़	10.83	6.23
23	पांडिचेरी	54.28	9.41
24	गोवा, दमन व दीव	5.34	2.76
	जोड़	60000.00	55313.42

अनुलग्नक 3

1984-85 के दौरान अनु० जाति विकास निगमों की भौतिक और वित्तीय उपलब्धि

क्रम सं०	राज्य का नाम	शामिल किए गए परिवारों की संख्या	बांटी गयी सीमांत धनराशि	बांटी गई बैंक ऋण राशि	बांटी गई सहायता की राशि
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	2,21,818	11,87,33,000	37,51,64,000	--
2	असम	2,068	38,22,964	11,60,490	--
3	बिहार	11,762	83,49,000	2,50,47,000	--\$
4	चंडीगढ़	585	4,81,650	6,52,350	1,26,840
5	दिल्ली	2,552	19,22,500	57,67,500	--
6	गुजरात	50,000	2,90,73,000	13,44,99,000	3,73,13,000
7	हरियाणा	20,118	41,19,000	6,21,85,000	2,71,07,000
8	हिमाचल प्रदेश	17,985	1,54,11,000	4,83,06,000	--
9	केरल	14,166	29,20,000	6,08,58,000	1,67,73,000
10	महाराष्ट्र	73,405	48,99,000	6,07,48,000	6,69,51,000
11	मध्य प्रदेश	13,525	60,54,029	4,60,19,107	83,85,121
12	उड़ीसा	11,644	72,83,000	1,58,84,000	44,46,000
13	पंजाब	24,542	47,41,000*	7,39,98,000@	3,57,16,000
14	राजस्थान	3,799	4,44,000	88,80,000	--
15	त्रिपुरा	1,201	8,91,600	27,71,000	10,90,000
16	तमिलनाडु	17,000	85,79,000	उ०न०	--
17	उत्तर प्रदेश	48,592	1,17,06,000	22,13,84,000	--
18	प० बंगाल	1,06,820	5,24,31,146	8,19,59,578	12,68,08,921
19	कर्नाटक	35,019	2,50,67,000	7,68,63,000	--
		6,76,601	30,19,27,889	130,19,46,025	32,47,16,882

\$कढ़ाई और सिलाई में अनु० जाति की लड़कियों के प्रशिक्षण पर खर्च होने वाले 32,000 रुपये शामिल हैं।

*प्रत्यक्ष ऋण

@प्रतिबन्धित बैंक ऋण

अनुलग्नक 4

छठी योजना और 1984-85 के दौरान राज्यों के लिए राज्य योजना परिव्यय, जनजातीय उपयोजना के लिए दी गयी राशि तथा मुक्त की गई विशेष केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य/सं० रा० क्षेत्र	1971 की जनगणना के अनुसार अनु० जनजाति जन संख्या का प्रतिशत	राज्य योजना	जनजातीय उप-योजना को दी गई राशि	कालम 4 में से कालम 5 का प्रतिशत	व्यय	विशेष केन्द्रीय सहायता	राज्य योजना	1984-85 जनजातीय उप-योजना को दी गई राशि	कालम 9 में कालम 10 का प्रतिशत	व्यय	विशेष केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आन्ध्र प्रदेश	5.12	310000.00	13946.00	4.50	10911.01	2243.55	97831.00	2837.00	2.90	3020.00	583.40
2	असम	10.99	111500.00	12015.00	10.78	13189.65	2107.92	19008.00	4380.00	23.04	4255.00	533.58
3	बिहार	8.75	322500.00	62525.00	19.39	53211.68	6925.90	75100.00	15594.00	20.76	15137.00	1823.47
4	गुजरात	14.07	368000.00	48440.00	13.16	41496.62	4072.04	93500.00	11649.00	12.46	10446.00	1078.62
5	हिमाचल प्रदेश	4.10	56000.00	4491.00	8.48	25492.09	700.14	16500.00	1647.00	9.98	1482.00	198.51
6	कर्नाटक	0.89	226500.00	2380.00	1.05	1871.55	345.26	65029.00	494.00	0.76	494.00	121.11
7	केरल	0.90	155000.00	1935.00	1.25	2362.58	286.02	35500.00	562.00	1.58	471.00	62.51
8	मध्य प्रदेश	23.56	380000.00	62903.67	16.55	83973.69	13743.54	106000.00	22642.00	21.36	22642.00	3624.52
9	महाराष्ट्र	7.62	617500.00	29885.46	4.84	33364.98	3319.91	165000.00	3568.00	2.16	2013.00	792.33
10	मणिपुर	31.13	24000.00	7637.18	31.82	8539.05	6.08	6100.00	7852.00	128.72	8226.00	234.94
11	उड़ीसा	23.13	150000.00	53318.85	35.55	51970.75	6631.63	25770.00	16862.00	65.43	12456.00	1738.45
12	राजस्थान	12.17	202500.00	20266.48	10.01	22949.13	3299.47	80897.00	8292.00	10.13	5530.00	833.30
13	सिक्किम	24.53	12200.00	1505.70	12.34	1265.04	122.35	3110.00	491.00	15.78	491.00	36.17
14	तमिलनाडु	1.09	315000.00	1698.00	0.54	2304.09	535.66	92700.00	545.00	0.59	687.00	132.91
15	त्रिपुरा	28.98	24500.00	6523.00	28.40	7697.55	808.84	4431.00	2939.00	66.33	3074.00	195.34
16	उत्तर प्रदेश	0.23	585000.00	349.27	0.06	469.89	101.58	160100.00	213.00	0.13	216.00	25.50
17	प० बंगाल	5.87	350000.00	18033.25	5.15	9304.52	2173.26	25966.00	2633.00	10.14	2718.00	511.60
18	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	15.65	9680.00	1548.05	16.02	1546.88	230.75	1822.00	392.00	21.51	344.00	3.00
19	गोवा व दमन दीव	0.82	19200.00	122.65	0.64	112.83	37.00	14240.00	38.00	0.27	39.00	7.00
जोड़		7.58	4239060.00	349523.56	8.25	372033.58	48550.00	1088604.00	103520.00	9.51	93740.00	12536.26

अनुलग्नक 5

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में निर्धारित राशि के बारे में स्थिति

(लाख रुपये)

मंत्रालय/विभाग का नाम	छठी योजना 1980-85		1984-85	
	कुल परिव्यय	जनजातीय उप-योजना के लिए निर्धारित धनराशि	कुल परिव्यय	जनजातीय उप-योजना के लिए निर्धारित धनराशि
1	2	3	4	5
1. कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	83095.10	8069.10 (9.07)	27185.21	1765.97 (6.5)
2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	36695.21	3745.48 (10.20)	13854.50	1160.93 (8.3)
3. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	24033.00	2028.69 (8.44)	9640.00	541.59 (5.44)
4. नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय	78850.00	12303.00 (9.50)	182.50.00	2334.00 (12.78)
5. शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय	55872.00	3662.26 (6.55)	13983.54	1533.40 (10.97)
6. श्रम मंत्रालय (महिला शिक्षा)	200.00	9.45 (4.8)	70.00	14.91 (21.3)
7. वाणिज्य मंत्रालय	--	--	--	--
8. औद्योगिक विकास मंत्रालय	11600.00	930.00 (8.00)	16900.50	2813.70 (16.65)
9. संचार मंत्रालय	281000.00	16000.00 (5.70)	84550.00	4640.00 (5.49)
10. सिंचाई मंत्रालय	--	--	--	--
11. ग्रामीण विकास मंत्रालय	176000.00	33800.00† (19.20)	--	--
12. नागरिक आपूर्ति विभाग	3500.00	500.00 (5.71)	680.00	150.00 (22.10)
13. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग)	--	--	5500.00	345.00 (6.3)
14. पुनर्वास विभाग	--	--	--	--
15. समाज कल्याण मंत्रालय	--	--	--	--
16. आईसीडीएस (जनजातीय बहुल क्षेत्र के लिए)	--	9885.00	--	3600.00
2. एफएलएडब्ल्यू	--	237.00	--	540.00
	750645.31	91169.98 (12.10)	190613.75	19439.50 (10.20)

(कोष्ठक में दिये गये आंकड़े कुल परिव्यय में से जनजातीय उपयोजना के लिए निर्धारित धनराशि के प्रतिशत को बतलाते हैं)

† अनु० जातियों और अनु० जनजातियों के संयुक्त आंकड़े शामिल हैं।

अनुलग्नक 6

सातवीं योजना के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अपनाई जाने वाली नीति के संबंध में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की प्रमुख सिफारिशें

- (1) सातवीं योजना के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक अंतः मंत्रालयीय कार्यकारी दल का गठन किया जाए ताकि सभी संबंधित मंत्रालयों द्वारा धनराशि का ठीक-ठीक निर्धारण किया जा सके।
- (2) वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों को यह निर्देश दिया कि जनजातीय उप योजना के लिए पृथक बजट शीर्ष खोला जाए। इन निर्देशों का मसूदा से पालन किया जाना चाहिए तथा जनजातीय उप योजना के अधीन उपलब्धियों पर नजर रखने के लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा व्यवस्था की जाए।
- (3) केंद्रीय क्षेत्र तथा केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में से जनजातीय उपयोजना के लिए खर्च की जाने वाली राशि प्रत्येक मंत्रालय द्वारा स्पष्ट रूप से निश्चित की जाए।
- (4) सातवीं योजना के अंतर्गत जनजातीय उप योजना में केवल बुनियादी क्षेत्र (भूमि सुधार, लघु सिंचाई, भूमि और जल संरक्षण तथा सहकारिता), सामाजिक सेवा क्षेत्र (सामान्य शिक्षा, कला और संस्कृति, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य, जल पूर्ति, आवास, पोषाहार तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण) और परिवार को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों को ही शामिल किया जाना चाहिए।
- (5) जनजातीय क्षेत्र अल्प विकसित हैं और पिछली योजनाओं से इन्हें बहुत कम लाभ मिला है। इसलिए इन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और जनजातीय उप योजना के लिए इनके पिछड़ेपन के अनुपात से अधिक धनराशि नियत की जानी चाहिए।
- (6) विशेष केंद्रीय सहायता के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धन का आवंटन करने के लिए वर्तमान तीन घटकीय फार्मूला के साथ "उपलब्धियों की प्राप्ति" की चौथी शर्त सातवीं योजना में शामिल न की जाए क्योंकि यह उन पिछड़े राज्यों के लिए अधिक हानिकारक होगा जहां जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासनिक स्तर और बुनियादी ढांचा अपेक्षाकृत संतोषजनक नहीं है।
- (7) जनजातीय उप योजना (राज्य योजना) में दर्शायी गई राशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किये बिना समस्त केंद्रीय सहायता खर्च करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए।
- (8) विशेष केंद्रीय सहायता के टुकड़ों में बांट कर बहुत सारी योजनाओं पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे उन्हीं महत्वपूर्ण योजनाओं पर खर्च किया जाना चाहिए जिनके लिए जनजातीय उप योजना के अंतर्गत पथर्त धनराशि उपलब्ध नहीं की गई है।
- (9) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की सहमति लेने के बाद ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केंद्रीय सहायता दी जानी चाहिए।
- (10) सातवीं योजना में "माडा" परियोजना के लिए 10,000 की न्यूनतम जनसंख्या का मानवेंड घटा कर 5,000 कर दिया जाए तथा आदिवासी ग्राम समूहों के लिए लघु परियोजनाएं आरम्भ की जाएं और इनके लिए विस्तार अधिकारी अलग से नियुक्त किये जाएं।
- (11) सातवीं योजना में आदिम जनजातियों के लिए "माइक्रो परियोजनाएं" जारी रखी जाएं और इनके लिए अधिक धन उपलब्ध किया जाए। जो समूह छटी योजना में छूट गए थे उनका पता लगाया जाए और सातवीं योजना के दौरान उन्हें भी लाभ पहुंचाया जाए।
- (12) जिन आदिम जनजातियों के अस्तित्व को खतरा है उनकी समस्याओं का गहुराई से अध्ययन किया जाए। उनके अस्तित्व को बनाए रखने व उनकी वृद्धि सुनिश्चित करने तथा उनके लिए पेय-जल पोषाहार, रिहायशी झोपड़ियां इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु सर्वप्रथम बहु-विषयी कार्य योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।
- (13) जनजातीय उप योजना क्षेत्रों से बाहर रह रहे आदिवासी परिवारों का सातवीं योजना के प्रथम वर्ष तक एक बैंच-मार्क सर्वेक्षण करवाया जाना चाहिए। जो आदिवासी परिवार गरीबी की रेखा के नीचे गूजर-बसर कर रहे हैं उनकी सहायता करने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए।
- (14) जनजातीय उप योजना क्षेत्रों के बाहर रह रहे गरीब आदिवासी परिवारों में से कम-से-कम 50% परिवारों का वास्तविक लक्ष्य सातवीं योजना में निर्धारित किया जाए। इन आदिवासी परिवारों के विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया जाए। यदि आवश्यक हुआ तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए एक ही प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया जा सकता है जो कारगर ढंग में काम कर सके।
- (15) प्रत्येक राज्य में जनजाति कल्याण/विकास विभाग को सलाह देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी की सेवाएं उपलब्ध की जानी चाहिए ताकि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने के मामलों में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों के काम-काज में समन्वय स्थापित कर सके।
- (16) जनजातीय उप योजना के लिए ब्लाक स्तर पर योजना तैयार करना आवश्यक है। ब्लाक स्तर की योजना में उन क्षेत्रों पर जोर दिया जाना चाहिए जिनमें परिवार-उन्मुख योजनाओं, मानव संसाधनों तथा बुनियादी सुविधाओं को शामिल किया गया हो।
- (17) समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टें पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष तक अवश्य तैयार कर कर दी जानी चाहिए। यदि इन रिपोर्टों को पंचवर्षीय योजना के अंत में प्रस्तुत किया जाता है तो इन्हें परियोजना रिपोर्ट नहीं कहा जा सकता। गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सातवीं योजना के लिए समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टें तैयार करके 1985-86 के आरम्भ में ही प्रस्तुत कर दी जाएं।
- (18) बेहतर योजनाएं तैयार करने और इनके सही कार्यान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों की निर्धारित धनराशि को एकजुट किया जाना चाहिए। इसके बाद समन्वित जनजातीय विकास परियोजना द्वारा सम्मिलित परिव्यय के आधार पर तथा स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक साधक और समेकित योजना तैयार की जानी चाहिए।
- (19) अविभाज्य बुनियादी संरचना को अलग करने के पश्चात् प्रत्येक विभाग द्वारा अपनी राज्य योजना से जनजातीय उप योजना के लिए धनराशि निर्धारित की जानी चाहिए तथा राज्य स्तर पर नोडल विभाग को जनजातीय उप योजना के हिस्से की राशि सौंप दी जानी चाहिए। नोडल विभाग अर्थात् जनजातीय कल्याण/विकास विभाग को जनजातीय उप योजना तैयार करने व उसे अंतिम रूप देने का अधिकार सौंपा जाना चाहिए।

- (20) जनजातीय उप योजना की कम-से-कम 50% राशि सातवीं योजना में परिवारोन्मुख योजनाओं पर खर्च की जानी चाहिए। यह जरूरी है कि 1985-86 से पहले बैच-मार्क सर्वेक्षण का काम पूरा कर दिया जाए ताकि सातवीं योजना में जिन आदिवासी परिवारों को मदद पहुंचाई जानी है उनको जितना संभव हो सके पहले की जा सके और विभिन्न क्षेत्रों व विभिन्न आदिवासी समूहों के लिए आय उत्पन्न करने वाली राक्षम योजनाएं तैयार की जा सकें।
- (21) यह उचित होगा कि सातवीं योजना में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्कीमों की संख्या कम कर दी जाए और इसके बदले संसाधनों को एकजुट कर दिया जाए ताकि आदिवासियों की कम-से-कम कुछ बुनियादी और अधिक जरूरी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उदाहरण के लिए सातवीं योजना में आदिवासी क्षेत्रों के सभी समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है। आदिवासी किसानों को लघु भिन्दाई अथवा अन्य योजनाओं में शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- (22) जनजातीय उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम-से-कम एक होस्टल होना चाहिए तथा ऐसे होस्टलों का निर्माण कम लागत पर किया जाना चाहिए।
- (23) उन जिलों/तहसीलों का पता लगाया जाए जहां आदिवासियों की साक्षरता दर कम है। शिक्षा के मामले में इन क्षेत्रों को राज्य स्तर के बराबर लाने के लिए विशेष पैकेज सेवाएं तैयार की जानी चाहिए।
- (24) आदिवासियों की भूमि को गैर-आदिवासियों के हाथ में जाने से रोकने के लिए सातवीं योजना में कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। राज्य सरकारों द्वारा इस समस्या की तत्काल समीक्षा की जाए तथा यदि आवश्यकता पड़ी तो संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन विशेष वित्तीय व्यवस्था की जाए ताकि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को प्रभावी बनाया जा सके।
- (25) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन लोगों को जमीन देते समय इग बात का ध्यान रखा जाए कि हमेशा की तरह उन्हें बेकार भूमि न मिले। आवंटित भूमि का विकास करने के लिए उन्हें समुचित सहायता भी दी जाए।
- (26) आदिवासी क्षेत्रों में अधिक से अधिक परिवोजनाएं स्थापित की जा रही हैं इसलिए भारत सरकार द्वारा विस्थापित परिवारों की पुनर्वास नीति की स्पष्ट व्याख्या की जाए तथा इसे सख्ती से लागू किया जाय।
- (27) (1) समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का कार्यभार एक बरिष्ठ अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए जो या तो प्रशासनिक सेवा का हो या ऐसे तकनीकी विभाग से आया हो जिसका आदिवासी जीवन से निकट का सम्पर्क हो। समन्वित जनजातीय विकास परियोजना के अधिकारी को वन संरक्षक, अधीक्षक अभियन्ता, संयुक्त निदेशक इत्यादि जैसे प्रभागीय/जिला स्तरीय तकनीकी अधिकारियों के अधिकार दिये जाने चाहिए।
- (2) खंड विकास अधिकारी और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों को समन्वित जनजाति विकास परियोजना अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। उन्हें समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाओं में विभिन्न विकास विभागों के विस्तार अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें लिखने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए।
- (28) ब्लाक स्तर पर भी इसी प्रकार का प्रशासनिक नियंत्रण होना चाहिए तथा ब्लाक में सैनात विभिन्न विकास विभागों के तकनीकी अधिकारियों के ऊपर खंड विकास अधिकारी का नियंत्रण होना चाहिए।
- (29) जनजातीय उप योजना के कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ग्राम सेवकों की संख्या में वृद्धि करनी होगी।
- (30) सबसे निचले स्तर (ग्राम सेवक बी ए एम, फार्मसिस्ट, अद्ययापक स्टॉक-मैन, वन रक्षक इत्यादि) से लेकर ब्लाक, समन्वित जनजातीय विकास परियोजना, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक निगरानी तंत्र को सुबुद्ध करना होगा। विश्वव्यापी आंकड़े प्राप्त करने के लिए निगरानी कार्यप्रणाली को मजल बनाना होगा।
- (31) जनजातीय उप योजना के अधीन किये गये पर्याप्त पूंजी निवेश से आदिवासी लोगों को मिले फायदों का मूल्यांकन स्वायत्तशासी अनुसंधान संगठनों से करवाया जाए।

केंद्रीय/राज्य परियोजनाओं की स्थापना के कारण आदिवासियों का विस्थापन

भारत आर्थिक रूप से गरीब और पिछड़ा देश रहा है। विकास की दृष्टि से आज उसकी गिनती विश्व के 12 प्रमुख औद्योगिक देशों में की जाती है। आज भारत के पास सिंचाई, बिजली, औद्योगिक (इस्पात और खान सहित) और अन्य परियोजनाओं की एक लम्बी श्रृंखला है जिनमें से कुछ परियोजनाएं बहुत विशाल हैं। इस प्रक्रिया में खाद्यान की चिरकालीन कमी से उभर कर भारत आत्मनिर्भरता की स्थिति में पहुंच गया है। देश के पास निरंतर बढ़ रही सिंचाई क्षमता, बिजली उत्पादन तथा सुदृढ़ कृषि और औद्योगिक आधार है। तथापि इन सबके कारण कुछ बड़ी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं जिनका प्रभाव देश की आदिवासी जनसंख्या पर पड़ रहा है। लगभग सभी बड़ी विकास परियोजनाएं उन क्षेत्रों में स्थापित की गई जहां आदिवासी लोग रहते हैं। परिणामस्वरूप वहां रह रहे आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बिहार में कुटक परियोजना के अंतर्गत 17 गांव डूबे और 6,000 आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ा। (कुटकू सबमर्जेन्स एरिया लिबरेशन कमेटी द्वारा बताए गये आंकड़ों के अनुसार 30 गांव डूबे और 12,000 आदिवासी विस्थापित हुए) जिला बस्तर (म० प्र०) में "इन्दिरा सरोवर हाइडल प्रोजेक्ट" से 5704 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के डूबने और 25,000 परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में इंचम्पल्ली बांध से 70,000 लोग विस्थापित हो जायेंगे जिनमें 40,000 लोग मारियागोड आदिवासी समुदाय के होंगे। देश के विभिन्न भागों में पूरी की जा चुकी अथवा पूरी की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की स्थापना से विस्थापित हुए आदिवासियों और उनके गांवों व वन क्षेत्रों को पानी में डूबने के संबंध में ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी आयोग ने 43 परियोजनाओं के आंकड़े एकत्र करने का प्रयास किया है। इन आंकड़ों से पता चला कि 7.72 लाख आदिवासी विस्थापित हुए हैं।

6.2 आदिवासी लोग सरल और अंतरमुखी होते हैं तथा पीढ़ियों पुरानी जीवन शैली से चिपके हुए हैं। उनको अपने प्राकृतिक वास से हटाने पर न केवल उनकी जीवन शैली में बाधा पहुंचती है बल्कि उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक परम्पराएं भी नष्ट होने लगती हैं। आदिवासी क्षेत्रों में पन-बिजली परियोजनाएं, बायोमास और कृषि आधारित उद्योग, मूल विनिर्माणकारी इकाइयों, खनन परियोजनायें स्थापित करने से अनेक अवांछनीय परिणाम निकले हैं :-

— आदिवासी क्षेत्रों का जनांकिकीय पार्श्वदृश्य ही बदल गया है। सरल व अंतरमुखी आदिवासी लोगों को अपने घरों से हटकर औद्योगिक परिसरों के आस-पास तथा शहरों की गंदी बस्तियों में अस्वस्थकर परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है।

— आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित अनेक विद्युत परियोजनाओं से निकट के कस्बों और दूर-बराज के शहरी क्षेत्रों को बिजली और आराम मिला है। लेकिन इस प्रक्रिया में बघर हुए आदिवासी के अभी भी अपने घास-फूस की झोपड़ियों में रह कर जीवन-संचर्ष कर रहे हैं। सच तो यह है कि उनकी आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई है।

— यद्यपि नई परियोजनाएं लगने से हजारों लोगों को रोजगार मिला है लेकिन विस्थापित आदिवासियों को रोजगार के इन अवसरों से कोई लाभ नहीं पहुंचा क्योंकि इनके पास तकनीकी अथवा अर्द्ध-तकनीकी हुनर और प्रशिक्षण नहीं है। उदाहरण के लिए, उड़ीसा में "बालकों" की प्रस्तावित बाक्साइड खनन परियोजनाओं से इस समय 10,000 आदिवासी परिवार पल रहे हैं। लेकिन जैसे ही यह परियोजना शुरू होगी इसमें केवल 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और उनमें भी अधिकांश लोग गैर-आदिवासी होंगे।

— परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए आदिवासियों को भूमि के बदले भूमि अथवा उसके बदले समुचित मुआवजा आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं से अभी तक नहीं मिला है। इस बारे में यह दलील दी जाती है कि आदिवासी लोग सरकारी भूमि पर खेती करते थे जिस पर उन्हें किसी प्रकार का मालिकाना हक नहीं मिला था। इसलिए परियोजनाओं के लिए ग्रहण की गई भूमि के बदले वे किसी प्रकार की भूमि लेने का दावा नहीं कर सकते। कुटकू बांध से विस्थापित हुए आदिवासियों को रहने के लिए केवल दस डेसिमल भूमि दी जा रही है जबकि उन्हें पूर्ण रूप से बसाने के लिए कृषि भूमि की भी आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि नगद मुआवजा तथा आवास के लिए भूमि का एक बहुत छोटा टुकड़ा देकर आदिवासियों को बसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे केवल भूमिहीन श्रमिकों और और गैर-भूमि आधारित कामगारों की ही जरूरत पूरी हो सकती है। इसके अलावा भूमि के बदले समुचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है क्योंकि यह मुआवजा निकटवर्ती गैर-आदिवासी बस्तियों में विद्यमान मार्किट मूल्यों के आधार पर नहीं है।

— कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण होने के कारण बिहार में हजारों स्थानीय लोग, जिनमें अधिकांश आदिवासी हैं, नौकरियों से हटा दिए गए और उनका स्थान बाहर के लोगों ने ले लिया। इन क्षेत्रों में ठेकेदारों और माफिया ग्रुपों की हुकूमत चलती

है। आदिवासी लोग अपनी मिट रही संस्कृति को बचाने में असमर्थ हो रहे हैं। उनमें विभिन्न प्रकार की मनोग्रन्थियां उत्पन्न हो गई हैं और वे धीरे-धीरे अपनी परम्परागत कला, दस्तकारी, रीति-रिवाज, नृत्य इत्यादि छोड़ते जा रहे हैं। यह भी देखने में आया कि वे प्रमुख धार्मिक वर्गों जैसे हिंदुओं और क्रिश्चियनों के उपनाम अपने नाम के आगे लगाने लगे हैं। देशज लोगों के प्रति घृणा की प्रवृत्ति के कारण आदिवासियों में उनकी सांस्कृतिक पहचान मिटती जा रही है।

- इन परियोजनाओं से भूमि हस्तांतरण की समस्या भी काफी प्रबल हो गई है। सार्वजनिक और निजी कम्पनियों तथा सहकारी समितियों उद्योग स्थापित करने व रिहायशी बस्तियां बनाने के लिए आदिवासियों की भूमि प्राप्त करते रहते हैं। अपने संगठन का फायदा उठा कर तथा सरकारी सहायता मिलने के कारण ये कम्पनियां व सहकारी समितियां, खनन परियोजनाएं, औद्योगिक परिसर, बांध, रिहायशी बस्तियां, वन्य जीवन परियोजनाएं स्थापित करने व अन्य कार्यों के लिए आदिवासियों की भूमि प्राप्त करने में सफल हो जाती हैं। यही कारण है कि देश में असम, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब इत्यादि में आदिवासियों को बाध्य होकर मजदूरी कमाने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ा है। अपने नए परिवेश में विचौलियों ने इनका शोषण किया है। कुछ आदिवासी समुदाय अपनी-अपनी बस्तियों को छोड़कर चले गए क्योंकि नए औद्योगिक और शहरी संस्कृति में वे न तो अपने को खपा पाए और न ही इनका मुकाबला कर पाए। कहीं-कहीं अपने नए परिवेश में वे उन उग्रवादी तत्वों की शरण में चले गए जिन्होंने भूमि, वन, और न्यूनतम मजदूरी के लिए उनके वैधानिक अधिकारों का समर्थन किया है। इस संबंध में उड़ीसा की सामंत जनजाति का उदाहरण दिया जा सकता है। इस जनजाति के लोग विशाखापत्तनम में आकर बसे जहां उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया। फलस्वरूप वे उग्रवादी बलों की मदद से पेड़ काटने लगे। इसी प्रकार उड़ीसा के कोरापुट जिले में अपर कोलाब परियोजना स्थापित होने पर परजा आदिवासी परिवार पहाड़ों की चोटियों पर चले गए क्योंकि वे नए अपरिचित परिवेश में नहीं रहना चाहते थे।

- परियोजनाओं की स्थापना से प्रतिकूल पारिस्थितिक परिस्थितियां और अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं जैसे वनों का विनाश, वट्टानों का टूटना, भूकम्प आना, पानी से उत्पन्न बीमारियां तथा पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ना। इन परियोजनाओं के आसपास रहने के कारण आदिवासी लोग इन समस्याओं से सबसे अधिक पीड़ित हैं। जनसंख्या पर दबाव पड़ने, बड़े पैमाने पर खानों की खूदाई तथा वनों का नाश होने और प्रतिकूल आर्थिक विकास के कारण आदिवासी क्षेत्रों का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गया है। हरे-भरे क्षेत्र शुष्क रेगिस्तान

में बदल रहे हैं। सारे देश में, विशेष कर हिमाचल क्षेत्र में पर्यावरण की हानि हो रही है।

- सिंचाई, बिजली और दूसरी बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के कारण कई आदिवासी गांव पानी में डूब गए या लुप्त हो गए हैं। इस प्रक्रिया में न केवल मूल्यवान वन क्षेत्र लुप्त हुआ बल्कि उन दुर्लभ और महत्वपूर्ण पेड़-पौधों की प्रजातियां भी समाप्त हो गई हैं जिनका उपयोग आदिवासियों द्वारा औषधि के रूप में किया जाता था। निर्माण कार्य के लिए इमारती लकड़ी तथा परियोजना कार्य में लगे कामगारों के लिए जलाऊ लकड़ी की बढ़ रही मांग के कारण स्थिति और गम्भीर हो गई है। फलस्वरूप बड़े पैमाने पर वन समाप्त हो रहे हैं और भू-संखलन बढ़ने लगे हैं। इसी कारण जल-संरक्षण में प्रतिकूल परिवर्तन हो रहा है और वर्षा का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। अपने मूल परिवेश में रहते हुए आदिवासी लोग बेकारी के महीनों में जंगलों में आखेट और कंद-मूल फलों से अपनी आजीविका चला लेते थे। लेकिन जंगलों की व्यापक कटाई के कारण लगभग सभी आदिवासी जिलों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उदाहरण के लिए किसी समय उड़ीसा के कालाहांडी जिले में हरे-भरे जंगल और बहुत से जंगली जानवर हुआ करते थे, जो आज बांस के शुष्क जंगलों में बदल गये हैं। वनों का इस कवरनाश किया गया कि पहाड़ों की चोटियों तक नहीं छोड़ी गई। उक्त क्षेत्र में विदेशी प्रजाति के पौधे लगाने से एक नई समस्या और उत्पन्न हो गई है। कर्नाटक के कोलार जिले का अध्ययन करने से पता चला है कि प्रत्येक हेक्टेयर, जिस पर अनाज की बजाय "युकलिप्टस" उगाए गए, प्रतिवर्ष 250 मानव दिवसों की हानि होती है। यह भी साबित हुआ है कि चारा और खाद्यान जैसी मूल आवश्यकताओं के लिए "युकलिप्टस" की कोई उपयोगिता नहीं है तथा भूमि और जल-संरक्षण के मामले में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। युकलिप्टस के पेड़ लगाने के विरुद्ध आदिवासी क्षेत्रों में आंदोलन भी हुए हैं।

- भारत में 14 "टाइगर रिजर्व" और 284 राष्ट्रीय उद्यान व मृग वन हैं। वन्य जीवन अधिनियम 1972 के उपबंधों के अनुसार टाइगर रिजर्वों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में किसी प्रकार की मानव बस्ती नहीं हो सकती। इस अधिनियम के तहत बाहरी लोगों को इन क्षेत्रों में प्रवेश करने की रोक लगाई गई है। जिन आदिवासियों का वनों के साथ सहजीवी संबंध है उन्हें अब इन क्षेत्रों में प्रवेश करने की मनाही है। उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार उन्हें इन क्षेत्रों से हटा कर अन्य स्थानों में बसाया जाना है। इस प्रकार उन्हें अपने प्राकृतिक निवास स्थान से हटाकर दूसरे अपरिचित स्थानों में बसाने की अपेक्षा की गई है। इस अधिनियम को लागू करने पर उन्हें लघु वन उपज, कंद-मूल फल, आखेट, जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी इत्यादि से भी वंचित

कर दिया जाएगा। दूसरी जोर जो आदिवासी जब भी राष्ट्रीय उद्यानों और टाइगर रिजर्वों में रह रहे हैं उन्हें जंगली जानवरों के आक्रमण का खतरा है। उदाहरण के लिए एक वर्ष में सुंदर वन बाग परियोजना क्षेत्र में रह रहे 22 लोग मारे गए या अपंग कर दिए गए। परियोजना के क्षेत्र में रह रहे वनवासी इससे इतने उत्तजित हो गए कि उन्होंने बाघों से बेहतर सुरक्षा पाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया।

- कुछ ऐसी भी परियोजनाएं हैं जिनके कारण भी कुछ राज्यों में आदिवासी लोग विस्थापित हुए हैं। ये परियोजनाएं राष्ट्रीय रक्षा की दृष्टि से स्थापित की गई हैं जैसे "राकेट टेस्टिंग रेंज साइट", अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, परमाणु विद्युत केंद्र इत्यादि। स्थानीय लोगों, जिनमें आदिवासी भी शामिल हैं, ने जिला बालसोर (उड़ीसा) के अंतर्गत बलियापाल में "राकेट टेस्टिंग रेंज साइट" बनाने के विरुद्ध सख्त विरोध किया है। इस परियोजना के अंतर्गत 170 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल किए जाने की संभावना है तथा बालासोर जिले और मयूर भंज आदिवासी जिले के 10 लाख लोगों के विस्थापित होने की संभावना है। रिपोर्टों में बताया गया है कि इस क्षेत्र में 7 करोड़ रुपये की वृषि वस्तुएं— जैसे पान के पत्ते, नारियल, काजू, तिलहन, पटसन, चावल, गेहूं और मछलियां पैदा की जाती हैं। परियोजना आरम्भ होने पर यह समृद्धशाली क्षेत्र महस्थल में बदल जाएगा। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के कारण बड़ी संख्या में आदिवासी लोग विस्थापित हुए हैं।

6.3 उपर्युक्त समस्याओं को देखते हुए बाध्य होकर यह कहना पड़ रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी परियोजनाएं स्थापित करने का क्या औचित्य है जबकि इनके कारण आदिवासियों को सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं और साथ ही पारिस्थितिक संतुलन भयंकर रूप से बिगड़ जाता है।

6.4 आदिवासियों के विस्थापन और पुनर्वास की समस्या वास्तव में बहुत जटिल है और सभी ओर से इस समस्या से निपटने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समय-समय पर इस संबंध में मार्गदर्शी निर्देश (अनुलग्नक) जारी किए हैं। इन मार्गदर्शी निर्देशों में जिन बातों पर सबसे अधिक जोर दिया गया है वे इस प्रकार हैं (1) आदिवासियों को भूमि के बदले भूमि दी जानी चाहिए और वह भी मुख्यतः सिंचाई क्षेत्र में (2) पूर्व मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की वजह से अब सरकार ने यह निर्णय किया है कि विस्थापित परिवारों के लिए उपयोगी व्यवसायों का प्रबंध करने और उसके लिए धनराशि की व्यवस्था करने में परियोजना अधिकारी संबंधित राज्य सरकारों की मदद करेंगे, (3) पुनर्वास की लागत परियोजना की लागत में ही शामिल की जानी चाहिए।

6.5 तथापि, व्यवहार में जो तस्वीर सामने आती है वह बिल्कुल भिन्न होती है। परियोजनाओं की रूपरेखा तयार करते हुए और उन्हें लागू करते समय पुनर्वास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन प्रायः इस बात की उपेक्षा कर दी जाती है और इसे सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है।

6.6 इस बात से संतोष हुआ कि इस्पात और खान मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय के अधीन रेल विभाग, सतही परिवहन विभाग और नागरिक विमानन विभाग इत्यादि जैसे मंत्रालय/विभाग पर्यावरण की रक्षा करने तथा प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों पर नियंत्रण रखने के कार्य को उच्च प्राथमिकता देने लगे हैं फिर भी आयोग निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें करना चाहता है :

1. आदिवासी क्षेत्रों में खनन परियोजनाओं, इस्पात कारखानों इत्यादि की स्थापना करने से आदिवासी अपने इलाकों में ही अल्पसंख्यक हो गए हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में आदिवासियों के दुखद अनुभव को देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिंचाई, बिजली, खनन, वन्य जीवन सुरक्षा इत्यादि की बड़ी परियोजनाएं आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित करने के प्रस्ताव कल्याण मंत्रालय की सहमति के लिए भेजे जाएं ताकि विस्थापित होने वाले आदिवासियों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करने की दृष्टि से उन प्रस्तावों पर विचार किया जा सके।
2. विस्थापित आदिवासियों को बसाने के तरीकों तथा परियोजना के वास्तविक निर्माण से पूर्व पुनर्वास कार्य आरम्भ करने के बारे में जो मार्गदर्शी निर्देश जारी किए गए उनका कोई अनुपालन नहीं किया गया है। इन बातों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। कुछ केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों ने विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास के लिए समुचित मार्गदर्शी निर्देश जारी नहीं किए हैं। विस्तृत मार्गदर्शी निर्देश जारी करने तथा पुनर्वास कार्यक्रम को तेजी से लागू करने के लिए प्रशासनिक तंत्र स्थापित करने के अत्यंत आवश्यकता है।
3. यह देखने में आया कि केंद्रीय/राज्य परियोजनाओं के अंतर्गत आवास और तत्संबंधी सुविधाओं अर्थात् सहायक सुविधाओं का निर्माण करने से इनमें विस्तार करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में पहले से अनुमानित विस्थापन की अपेक्षा आदिवासियों को अधिक संख्या में विस्थापित होना पड़ता है जिसके फलस्वरूप विस्थापित आदिवासियों की पुनर्वास समस्या और भी जटिल हो जाती है। ऐसे मामलों में आदिवासियों का विस्थापन एक गौण मुद्दा बनकर रह जाता है और इसके दुखद परिणाम सामने आने लगते हैं। ऐसे मामलों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। भूमि ग्रहण करने में अनुशासन बरता जाना चाहिए और बड़े पैमाने पर आदिवासियों को विस्थापित करने की कार्यवाही रोकनी जानी चाहिए।

4. कुछ आदिवासी क्षेत्रों में केवल छोटे और कम लागत वाली परियोजनाएं स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसा करने से विस्थापन रोका जा सकेगा और उन्हें नए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
5. "भूमि के बदले भूमि" देने के सिद्धान्त का सामान्यतः पालन नहीं किया गया है। कुछ राज्यों से अपने मूल स्थान से हटाए गए आदिवासियों को मुआवजा बिल्कुल नहीं दिया गया और कुछ अन्य राज्यों में बहुत कम मुआवजा दिया गया। इस पृष्ठभूमि में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने अथवा आदिवासियों का आर्थिक जीवन बेहतर बनाने और उनके सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित आदिवासियों के लिए व्यापक पुनर्वास योजना तैयार करने की आवश्यकता है।
6. औद्योगिक विकास की दृष्टि से कुछ जिलों को पिछड़ा घोषित किया गया, जिनके लिए केंद्रीय सरकार पूंजी निवेश और सबसिडी के माध्यम से सहायता देती है। यह परिकल्पना कि सभी जिलों में उद्योग अवश्य लगाए जाने चाहिए, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से सही नहीं है। कुछ जिलों का विकास कृषि की दृष्टि से किया जा सकता है तथा उनमें कृषि आधारित छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करके उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। औद्योगिकीकरण तथा सिंचाई, विद्युत और खनन परियोजनाएं स्थापित करने की वर्तमान नीति से न केवल आदिवासियों के और अधिक संख्या में विस्थापित होने का खतरा है बल्कि इससे औद्योगिक और कृषि विकास के बीच पारिस्थितिक संतुलन को भी खतरा है। औद्योगिक विकास के प्रयास में हमें अधिक सतर्क रहना होगा।
7. (क) अत्यधिक खनन कार्य, थर्मल पावर स्टेशनों द्वारा छोड़ी जाने वाली राख और औद्योगिक कचरे के कारण भूमि की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चूंकि विस्थापित आदिवासी लोग बहुत कम पढ़े-लिखे होते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग ठीक प्रकार नहीं कर पाते, इसलिए यह वांछनीय है कि आदिवासी क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के मामलों में पर्यावरण प्रदूषण कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए।
- (ख) पर्यावरण प्रदूषण का एक अन्य हानिप्रद प्रभाव है—परियोजनाओं के अधिक निकट रह रहे आदिवासियों में संक्रामक रोगों, श्वास संबंधी रोगों और अन्य प्रकार के रोगों का निरंतर बढ़ना। ये बीमारियां आदिवासी क्षेत्रों के लिए असाधारण हैं। चिकित्सा और अर्द्ध-चिकित्सा व्यवस्था का सुदृढ़ करके तथा पर्यावरण प्रदूषण कानूनों को सख्ती से लागू करके उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है।
- (ग) देश की प्रमुख खानें छोटा नागपुर क्षेत्र, बस्तर जिला, भारतीय प्रायद्वीप, पश्चिमी और पूर्वी घाट इत्यादि में हैं। अतः इन क्षेत्रों के युवकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए शैक्षिक पाठ्यचर्या में पर्यावरण विज्ञान का विषय शामिल करने की अत्यन्त आवश्यकता है।
- (घ) चूंकि बहुत से खान क्षेत्रों में आदिवासी रहते हैं, इसलिए सभी वर्तमान खनन कार्यों की पर्यावरण की दृष्टि से समीक्षा करने की आवश्यकता है। इस संबंध में समय-समय पर पर्यावरण की जांच-पड़ताल की जा सकती है।
8. जो आदिवासी पहले मृग वनों के निकट रह रहे थे वे लघु वन उपज एकत्र करने, शिकार खेलने, मछली पकड़ने इत्यादि के लिए आसानी से वनों के जंवर आ-जा सकते थे लेकिन अब वन्य जीवन (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनों में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वन उपज एकत्र करने, धार्मिक अवसरों पर शिकार करने, मछली पकड़ने इत्यादि जैसे वैध प्रयोजनों के लिए प्रतिबन्धित वन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की अनुमति देने की आवश्यकता है।
9. वनों का प्रबंध करने में आदिवासियों को एक साझेदार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। शुरुआत के लिए आदिवासियों का पूर्ण सहयोग लेकर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने से न केवल वन उमंगे बल्कि इनसे मनुष्य, पशु और बायो-मास के लिए भी पारिस्थितिक संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। कुछ क्षेत्रों में विस्थापित आदिवासियों के लिए दोहरा वानिकी पर्यावरण तैयार करना भी संभव हो सकेगा जो आदिवासियों के पुनर्वास का एक अच्छा तरीका मानित होगा। गुजरात और महाराष्ट्र की तरह आदिवासियों को वृक्षों पर भोगाधिकार दिया जाना चाहिए। संक्षेप में वनों का सबसे बढ़िया बीमा है—उनका प्रबंध आदिवासियों को सौंप देना जिनके लिए वन एक जीवन पद्धति है।
10. समर्पित स्थानीय कार्यकर्ताओं को विस्थापित आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास कार्यक्रमों में शामिल करने से परियोजना अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा पुनर्वास कार्यक्रम अधिक सार्थक हो सकता है। इससे स्थानीय लोगों में से अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता तैयार हो सकेंगे और उनका सक्रिय महयोग लिया जा सकेगा।
11. रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्थापना का विरोध करने का आयोग का कोई इरादा नहीं है। फिर भी आयोग यह अनुभव करता है कि इन परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए आदिवासियों को उनके मूल वातावरण में बसाने की आवश्यकता है।
12. जल और वायु प्रदूषण रोकने की दृष्टि से आदिवासी क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में केंद्रीय तथा राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा पर्यावरण के मानदंडों को कठोरता से लागू किया जाए।

अनुलग्नक

विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी निर्देश

1. गृह मंत्रालय

1982 में जो मार्गदर्शी निर्देश जारी किए गये उनमें जिन बातों का उल्लेख किया गया वे इस प्रकार हैं—हटाये गए आदिवासियों को मुआवजा दिया जाए, भूमि के बदले भूमि दी जाए वह भी विशेष सिंचाई क्षेत्रों में, बेदखल किये गए आदिवासी परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को परियोजना में नौकरी दी जाए, छोटे उद्योग-धन्धे स्थापित करने के लिए आदिवासियों को प्रशिक्षण और समुचित सहायता दी जाए, नई आदिवासी बस्तियों में पेय-जल, निशुल्क आवास स्थल और शैक्षिक व चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

2. जल संसाधन मंत्रालय

विस्थापित आदिवासियों को बसाने के लिए 1980 में मंत्रालय ने यह सुझाव दिया था कि सिंचाई क्षेत्रों में सरकारी बंजर भूमि आदिवासियों को दी जाए तथा सिंचाई-क्षेत्र में बड़े जमींदारों पर इस बात के लिए जोर डाला जाए कि आदिवासियों को बसाने के लिए वे अपनी कुछ जमीन छोड़ दें। राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया कि कमान-क्षेत्रों में आदिवासियों को बसाने के लिए कानून बनाए जाएं। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया कि इस प्रकार की योजनाओं को मंजूरी देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा हो।

3. पर्यावरण और वन मंत्रालय

पर्यावरण और वन मंत्रालय के पत्र के उत्तर में योजना आयोग ने अपने विभिन्न प्रभागों के लिए यह आवश्यक कर दिया है कि जिन परियोजनाओं पर योजना आयोग की सहमति मांगी जाती है उन्हें वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अधीन केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेने के बाद ही मंजूर किया जाए।

4. उद्योग मंत्रालय (सार्वजनिक उद्यम विभाग)

समस्या को गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने बड़ी परियोजनाओं के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, ग्रहण की गई भूमि के बदले मुआवजे का भुगतान, विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास आदि के लिए उद्योग मंत्रालय (सार्वजनिक उद्यम विभाग) ने अपने कार्यालय शा० सं० 15/13/84-बीपीई(ओ), दिनांक 3-2-1986 में विस्तृत मार्गदर्शी निर्देश जारी किए हैं। इन मार्गदर्शी निर्देशों का अवलोकन करने से पता चलता है कि गृह मंत्रालय के मार्गदर्शी निर्देशों की ही तरह प्रत्येक विस्थापित परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को रोजगार देने के लिए पहले जो निर्देश जारी किया गया था—उसे वापस ले लिया गया है क्योंकि यह अनुभव किया गया है कि नौकरी के लिए अनुपयुक्त बहुत सारे लोगों को नौकरी पर लगाने से उद्यमों की व्यावसायिक कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतः परियोजना अधिकारियों से यह अनुरोध किया गया है कि विस्थापित आदिवासियों के लिए मुर्गी पालन, पशुपालन इत्यादि जैत उपयोगी व्यवसायों की व्यवस्था करने और उनके लिए धनराशि उपलब्ध करने में संबंधित राज्य सरकारों की मदद करें।

भूमि और वनों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिये कानूनी सुरक्षा

किसी भी विकास योजना को तैयार करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखना पड़ता है। ये दोनों समुदाय देश की कुल जनसंख्या के एक चौथाई के बराबर हैं। चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकांश परिवार अपनी आजीविका खेती-बाड़ी से कमाते हैं, अतः आर्थिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में कृषि क्षेत्र का विकास एक प्रमुख स्थान रखता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भूमि और वनों के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों ने बड़ी संख्या में कानूनी सुरक्षा की व्यवस्था की है, लेकिन इसके बावजूद भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को धीरे-धीरे उनकी भूमि और वनों से बेदखल किया जा रहा है।

7.2 अब तक 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आदिवासियों की भूमि का हस्तांतरण रोकने के लिए वर्तमान कानूनों में विशेष संशोधन किये हैं या नए कानून पास किये हैं। आंध्र प्रदेश (अनुसूचित क्षेत्र) भूमि हस्तांतरण विनियम, 1959 तथा आंध्र प्रदेश (अनुसूचित क्षेत्र) भूमि हस्तांतरण (संशोधन) विनियम 1970, 1971 तथा 1978 के अधीन अनुसूचित क्षेत्र की भूमि गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी गई है चाहे उस भूमि का मालिक आदिवासी हो अथवा गैर-आदिवासी। यदि भूमि का आदिवासी खरीददार नहीं मिलता है तो ऐसे मामलों में सरकार को भूमि प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। असम भूमि एवं राजस्व विनियम, 1886 के अधीन आदिवासी विकास खंडों में भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई है। इसी प्रकार छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, संथाल परगना काश्तकारी (अनुपूरक उपबंध) अधिनियम, 1959 तथा बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के अधीन भी आदिवासियों की भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई है। इस विनियम में आदिवासियों की हस्तांतरित भूमि को बहाल करने की भी व्यवस्था है। गुजरात में 1901 में कुछ सुरक्षा के उपाय किये गये थे (तब यह बंबई प्रेसीडेंसी का एक अंग था)। इसके लिए बंबई भूमि राजस्व संहिता 1879 में संशोधन करके धारा 73-ए और 79-ए जोड़ी गईं जिनके अधीन उन अनुसूचित गांवों में कलक्टर की अनुमति के बिना भूमि हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई जिन में सर्वेक्षण और बंदोबस्त नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश भूमि हस्तांतरण (विनियम) अधिनियम, 1968 तथा कर्नाटक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (कतिपय भूमि के हस्तांतरण पर रोक) अधिनियम 1978 के तहत भी आदिवासियों की भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। केरल में अनुसूचित जनजाति (भूमि हस्तांतरण का निषेध तथा हस्तांतरित भूमि की बहाली)

अधिनियम 1978 के अधीन भी अनुसूचित जनजाति के लोगों को दी गई भूमि के हस्तांतरण पर रोक है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक यह कानून लागू नहीं किया है। मध्य प्रदेश राजस्व भूमि संहिता, 1959 के अधीन भूमि के हस्तांतरण पर रोक है। मणिपुर भू-राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 के अधीन मणिपुर में डिप्टी कमिश्नर और जिला परिषद की अनुमति के बिना अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को किया गया भूमि हस्तांतरण बंध नहीं है। महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता एवं काश्तकारी कानून (संशोधन) अधिनियम 1974 तथा महाराष्ट्र (अनुसूचित जनजातियों को भूमि की बहाली) अधिनियम 1974 के अधीन भूमि हस्तांतरण पर रोक है तथा हस्तांतरित भूमि को बहाल करने की भी व्यवस्था है। उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में इसी प्रकार के कानून लागू हैं जिनके अधीन भूमि के हस्तांतरण पर रोक है तथा हस्तांतरित भूमि को वापस करने की भी व्यवस्था है। तमिलनाडु में राजस्व बोर्ड के स्थायी आदेशों के अधीन विशिष्ट पर्वतीय आदिवासियों को दी गई भूमि डिवीजनल आफिसर की अनुमति के बिना उन लोगों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती जो उसी वर्ग के नहीं हैं। उत्तर प्रदेश जमींदार हस्तांतरण एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 157 और 211 में उत्तर प्रदेश भूमि कानून (संशोधन और अध्यादेश) 1981 द्वारा संशोधन किया गया, के अधीन कलक्टर की अनुमति लिए बिना उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि गैर-अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1973, जो अब नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, के अधीन भी इसी प्रकार की सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, मेघालय तथा अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह में भूमि के मामले में आदिवासियों के हितों की रक्षा करने लिए कानून लागू किये गये हैं।

7.3 तथापि, कानूनी रक्षोपायों के प्रभाव के अध्ययन से यह पता चलता है कि इन कानूनों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भूमि हस्तांतरण को कुछ सीमा तक रोकना गया है और इनके परिणामस्वरूप कुछ हस्तांतरित भूमि वापस भी मिली है। परंतु इनसे अभी तक समस्या का कोई पूर्ण हल नहीं निकला है। इस बात के कई उदाहरण देखने में आये हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अभी भी अपनी भूमि से बेदखल किया जा रहा है, इसलिए यह अनुभव किया गया कि इस प्रकार के मामलों को निबटाने में भूमि बहाली की कठोर पद्धति, देरी के लिए जिम्मेदार हो सकती है। आयोग का मत है कि सर्वेक्षण न किया जाना और भूमि के रिकार्ड को उचित रूप से न रखना, बेनामी लेन-देन

का होना, विद्यमान और नये बनाये गये कानूनों और विनियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा न करना, जांच तंत्र का अपर्याप्त होना, बनाये गये कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की कमी इत्यादि विभिन्न कारण हैं जो इस संबंध में पूर्ववर्ती स्थिति को बनाये हुए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भूमि आवंटित करने/बांटने के लिए अनेक राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ इस बात के प्रयास करने की भी आवश्यकता है कि भूमिहीनों को बांटी गयी भूमि की सुरक्षा के लिए सरकारी तंत्र उस भूमि को हस्तांतरित किये जाने से रोके। इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोग यह सिफारिश करता है कि राज्यों द्वारा हस्तांतरण के विरुद्ध कानूनों की समीक्षा की जाए और कमियों को दूर किया जाए, प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ किया जाए, सर्वेक्षण तथा निबटान कार्य यथाशीघ्र पूरे किए जाएं और प्रथागत कानूनों एवं रीति-रिवाजों के अनुसार भूमि पर जनजातीय लोगों के स्वामित्व का सही प्रकार से रिकार्ड दर्ज किया जाए। जहाँ कहीं भी भूमि सरकार ने ले ली है वहाँ "भूमि के बदले भूमि" के सिद्धांत के आधार प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए अथवा बारी-बारी से उन्हें पुनः पूर्ण-रूपेण बसाया जाना चाहिए। आयोग यह भी अनुभव करता है कि राज्यों के पास ऐसे बहुत से कानून हैं जिनका मूल उद्देश्य जमीन के हस्तांतरण को रोकना और हस्तांतरित भूमि को वापस दिलाना है। लेकिन इनके बदले एक संपूर्ण कानून बनाना अधिक कारगर होगा जिसे लागू करना अधिक आसान होगा।

7.4 यह देखा गया है कि भूमि हस्तांतरण का मुख्य कारण है—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कमजोर आर्थिक स्थिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य को जो आय उसकी जमीन से प्राप्त होती है उससे वह अपने परिवार का पालन-पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाता है जिसके परिणामस्वरूप उसे एक खेतिहर मजदूर के रूप में कार्य करना पड़ता है। संकट के समय अथवा अपनी सामाजिक या धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे प्रायः अपनी परि-सम्पत्तियां बचनी पड़ जाती हैं। इसलिए आयोग यह अनुभव करता है कि केवल कानून ही समस्या को हल नहीं कर सकता बल्कि उनकी सामान्य आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए संयुक्त प्रयास करने होंगे और ग्रामीण ऋण के आसान श्रोत भी उपलब्ध कराने होंगे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उन कानूनों से भी अवगत कराना होगा जो उनके हितों की रक्षा करने के लिए लागू हैं। इसलिए शिक्षा ही वर्तमान स्थिति में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

वन और जनजातीय लोग

7.5 जनजातीय अर्थव्यवस्था मूल रूप से भूमि और वनों पर निर्भर है। जनजातीय लोगों द्वारा एकत्र की गई लघु वन उपज की बिक्री से प्राप्त आय उनकी घरेलू आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इस बात का अनुभव करते हुए आंध्र प्रदेश, विहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु,

उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसी कुछ राज्य सरकारों ने लघु वन उपज एकत्र करने, घरेलू खपत के लिए इंधन की लकड़ी, मवनों/मकानों की मरम्मत के लिए लट्टे तथा चरागाह के लिए भूमि इत्यादि के मामले में जनजाति के लोगों को रियायतें दे रखी हैं। फिर भी, वनों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान समय में कोई विशिष्ट कानूनी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि वन अधिनियम और वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के उपबंधों में वनों के साथ आदिवासियों के बहुत पुराने संबंधों को भी कोई स्थान नहीं दिया गया है। वन संरक्षण अधिनियम बनते समय आदिवासियों के केवल उन्हीं अधिकारों को मान्यता दी गयी जो या तो पंजीकृत थे या रिकार्ड किए हुए थे। लेकिन ऐसा करते हुए इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया कि वनों का उपयोग और दोहन करना आदिवासियों की एक परम्परागत गतिविधि है जो राजस्व भूमि की तरह लेखबद्ध नहीं है। अतः वनों में आदिवासियों के हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए व्यापक और सुस्पष्ट कानून बनाना आवश्यक है। आयोग यह अनुभव करता है कि उस योजना को सही नहीं माना जा सकता जिसमें लोगों का सक्रिय योगदान न हो तथा जिसमें वे भागीदार न हों। अतः यह आशा की जाती है कि वनों के संरक्षण/विस्तार/विकास के लिए जब योजना बनाई जाए तब योजनाकारों को आदिवासी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता को अनदेखा नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के ढांचे में आदिवासियों को लघु वन उपज और इंधन एकत्रित करने के लिए वनों में जाने की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उन्हें लकड़ी, बांस और बल्लियां आदि उनके गांवों के नजदीकी भण्डारों से रियायती दरों पर दी जानी चाहिए। वन विकास में उन्हें हिस्सेदार बनाया जाए तथा सामाजिक वानिकी के ठोस कार्यक्रमों को खाली भूमि पर आरम्भ करना चाहिए जिनसे उन्हें उनके आर्थिक लाभों का हिस्सा मिल सके। नई वन नीति में यह निश्चित करना होगा कि कुल भूमि में से 1/3 भूमि पर वन लगाने के लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करना है तथा ऐसा करते समय इस प्रकार के वनों पर आदिवासियों को प्रथागत भौगोलिक क्षेत्रों की गारण्टी प्रदान करनी होगी।

7.6 सभी मन गांवों को रियायतवारी अथवा राजस्व गांवों में बदला जाए तथा कोई भी जमीन जो उन्हें दी जाती है वह वंशागत आधार पर पट्टे पर दी जाए न कि हस्तांतरणीय अधिकारों के आधार पर। जहां केंद्रीय सरकार की स्वीकृति अनिवार्य है उसे शीघ्रता से प्राप्त कर लिया जाए। वन में रहने वालों को सुनियोजित आर्थिक विकास के माध्यम से मुख्यधारा से जोड़ने के लिए चरणबद्ध ढंग से परिवर्तन किया जाए ताकि आंतरिक क्षेत्रों और आदिवासियों के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप हो।

7.7 अतीत में आदिवासी अर्थव्यवस्था में धन की भूमिका बहुत ही सीमित थी। आदिवासियों के बहुत दिनों से चले आ रहे एकाकीपन के कारण साहूकार ही उनकी ऋण और बाजारी आवश्यकताओं को पूरा किया करते थे। एकाधिकार की इस स्थिति के परिणामस्वरूप पूरी आदिवासी अर्थव्यवस्था को अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ प्रभावशाली लोगों (साहूकारों) ने अपने पक्ष में कर

लिया। तथापि, आदिवासी क्षेत्रों को सुनियोजित विकास कार्यक्रम के अधीन लाने के बाद साहूकारों की हानिकर गतिविधियों को रोकने के लिए एक कारगर विकल्प के रूप में सहकारी प्रयास करने की कल्पना की गयी। “लार्ज-साइज्ड मल्टीपरपज को-आपरेटिव सोसाइटी” (लैम्पस) ने लघु वन उपज खरीदने और सभी उसके विपणन के लिए जनजातीय उप योजना वाले सभी राज्यों में इन कार्यों का अपने मुख्य कार्यों के रूप में आयोजन किया है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने “लैम्पस” को एकाधिकार प्रदान किए हैं। कुछ राज्यों ने आदिवासियों के लिए उचित मूल्य निश्चित करने के उद्देश्य से लघु वन उपज की खरीद का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया है। फिर भी, राज्य सरकारों द्वारा किए गये प्रयासों से अभी तक मनोवांछित परिणाम नहीं निकले हैं। बहुत से स्थानों पर “लैम्पस” ने कारगर कार्य करना आरम्भ नहीं किया है क्योंकि पर्याप्त धनराशि और पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था नहीं की गयी है। यद्यपि अनेक राज्यों में वन निगमों की स्थापना हो चुकी है लेकिन आदिवासी अभी भी लघु वन उपज एकत्रित करते हैं तथा “कैज्युअल लेबर” के रूप में भुगतान प्राप्त करते हैं, चाहे वह निगमों के एजेंटों से प्राप्त करते हों अथवा सीधे विभागों से। लघु वन उपज के लिए आदिवासियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले भुगतान और उसके बाजार भाव के बीच अभी भी काफी बड़ा अंतर है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि देश की समग्र प्रगति में आदिवासियों को उचित हिस्सा प्रदान करना है तो ऋण और विपणन जैसी दो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए “लैम्पस” कारगर और सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करें।

7.8 अनेक कार्यों में से एक कार्य यह भी होगा कि आदिवासी क्षेत्रों में भविष्य के लिए एक औद्योगिक आधार तैयार किया जाए। भूमि पर दबाव को समाप्त करना आवश्यक होगा। फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखना होगा कि उद्योगों को कृषि और वन क्षेत्रों पर आश्रित रखा जाए ताकि इन सभी क्षेत्रों का विकास एक साथ हो सके तथा आदिवासियों को इन उद्योगों से पूरी तरह से अलग-अलग भी न रखा जाए। आदिवासियों के व्यावसायिक ढांचे को बदलने की दृष्टि से आदिवासी क्षेत्रों में उपयुक्त नीतियों और कार्यक्रमों

को शुरु करने से पहले एक वातावरण तैयार करने के लिए जनशक्ति योजना तैयार करनी चाहिए जो औद्योगीकरण के लिए सहायक सिद्ध होगी। अन्यथा, बाहरी लोगों द्वारा आदिवासियों का जबर्दस्त शोषण किया जायेगा तथा वे औद्योगीकरण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किए गये अवसरों को हथियाने में भी नहीं हिचकेंगे।

अनुसूचित जातियां

7.9 भूमि हस्तांतरण की समस्या अनुसूचित जातियों में आज भी एक विकट रूप धारण किए हुए है क्योंकि विशेषकर, इनमें अधिकतर वे लोग हैं जिनको अभी हाल ही में अधिकतम सीमा के अतिरिक्त जमीन आवंटित की गयी है जिसे शक्तिशाली भूस्वामी आज भी अपने आधिपत्य में बनाये रखना चाहते हैं। अनुसूचित जातियों से भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिए कर्नाटक, उड़ीसा, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा कानून तो बनाये गये हैं परंतु ये कानून अभी कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं। इसलिए आयोग का यह मत है कि भूमि हस्तांतरण की समस्या पर काबू पाने के लिए केवल कानून बना देना ही काफी नहीं है बल्कि एक ऐसे कारगर तंत्र का गठन करने का भी आवश्यकता है जिसके पीछे सुदृढ़ राजनैतिक प्रेरणा हो। कुल मिलाकर भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए वर्तमान कानून अपर्याप्त नहीं है बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि कार्यान्वयन तंत्र को शक्तिशाली और सुदृढ़ बनाया जाए ताकि वह इस कार्य को ठीक प्रकार से कर सके। इस संबंध में वर्तमान कानूनों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को हस्तांतरित भूमि वापस दिलाने के लिए विशेष और संगठित अभियान चलाने के लिए केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों से कहे। भूमि हस्तांतरण का यह “फिनामिना” ऐसे लोगों के हाथों में केंद्रित है जो भली भांति साधन संपन्न हैं और संख्या में बहुत कम है तथा खासकर ग्रामीण शक्ति के ढांचे से जुड़े हुए हैं और शेष अधिकांश लोग गरीब एवं पद दलित भूमिहीन हैं जिनमें अधिकतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। देश के ग्रामीण अंचल से इस बीमारी को दूर करने के लिए सुदृढ़ और अडिग राजनैतिक इच्छाशक्ति, कारगर व प्रेरित अफसरशाही, समर्पित और आक्रमक सामाजिक कार्रवाई की आवश्यकता है।

अध्याय 8

सिफारिशें

क्रम सं०	सिफारिश	संदर्भ	
		पैरा सं०	पृष्ठ सं०
1	2	3	4
संवैधानिक दर्जा प्रदान करना			
1.	संवैधानिक दर्जा न मिलने के कारण अपने कर्तव्यों का कारगर ढंग से निर्वाह करने में आयोग को बहुत पड़ी बाधा का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि अपालन और अवहेलना के मामलों में आयोग प्रायः एक असहाय दर्शक बन कर रह जाता है। आगे और समय बर्बाद किए बिना इस स्थिति को ठीक करने की आवश्यकता है। आयोग ने अपनी पिछली रिपोर्टों में भी संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए बार-बार जोर दिया है। अतः एक बार फिर पुरजोर अनुरोध किया जाता है कि आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के मामले पर भारत सरकार शीघ्र विचार करे। (कार्रवाई : कल्याण मंत्रालय)	1. 6	1
जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन शक्तियां प्रदान करना			
2.	अत्याचारों की स्थिति पर निश्चित प्रभाव डालने तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त संवैधानिक रक्षोपायों की सार्थक रक्षा करने के लिए आयोग को 1952 के अधिनियम के अधीन जांच आयोग की शक्तियां प्रदान की जाएं। (कार्रवाई : कल्याण मंत्रालय)	1. 7	1
नीति, नियोजन और कार्यान्वयन में आयोग को सम्मिलित करना			
3.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कार्यक्रमों से संबंधित नीति, नियोजन और कार्यान्वयन के सभी मामलों में आयोग को केवल दिखावे के लिए ही शामिल न किया जाए बल्कि अंदरूनी तौर से भी शामिल किया जाए। राज्यों की जनजातीय उप-योजना और विशेष संघटक योजना को अंतिम रूप देने तथा इस संबंध में राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता की राशि निर्धारित करने का कार्य आयोग को सौंपने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। (कार्रवाई : कल्याण मंत्रालय/योजना आयोग)	1. 8	2
आरक्षण			
4.	भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में श्रेणी "क", "ख" और "ग" पदों पर आरक्षण का निर्धारित कोटा पूरा नहीं हुआ है। श्रेणी "ग" में तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्तियों में 1-1-83 से कमी आई है। इस कमी का कोई संतोषजनक कारण नहीं दिखाई देता। इसलिए आयोग इस बात पर जोर देना चाहेगा कि केंद्रीय सरकार के स्तर पर सभी विभागों द्वारा विशेष कदम उठाये जाने की आवश्यकता है ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की निर्धारित प्रतिनिधित्व दिया जाना सुनिश्चित किया जा सके और राज्य सरकारों व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पथ प्रदर्शन किया जा सके। (कार्रवाई : केंद्रीय सरकार के सभी विभाग)	2. 3	5

1	2	3	
झूठे जाति प्रमाण-पत्र			
5.	आयोग के पास इस आशय की शिकायतें आई हैं कि गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग झूठा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के असली उम्मीदवारों द्वारा ही आरक्षण का लाभ उठाया जाना सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ता अधिकारी द्वारा इस प्रकार के प्रमाण पत्रों की पूरी जांच-पड़ताल की जाए। जिन मामलों में संदेह हो उन्हें सत्यापन के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को भेजा जाए। आयोग यह सिफारिश करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों में प्रशासनिक स्तर पर इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों की जांच-पड़ताल करने के लिए एक विशेष तथा "फूलप्रूफ" कार्य-प्रणाली लागू की जाए। चूंकि झूठे प्रमाण-पत्रों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं इसलिए सरकारी उद्यम ब्यूरो, बैंकिंग विभाग, कार्मिक विभाग और कल्याण मंत्रालय के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस मामले पर तुरंत-ध्यान दें और आरक्षण नीति का दुरुपयोग रोकने के लिए कारगर तरीका अपनाएं। (कार्रवाई : कल्याण मंत्रालय, कार्मिक विभाग, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो और बैंकिंग विभाग)	2. 8	6
सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में अपर्याप्त आरक्षण			
6.	सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा एक के बाद एक दृढ़ कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को समुचित आरक्षण देने में, विशेषकर श्रेणी "क" और "ख" पदों पर, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम सरकारी निर्देशों को अधिक गम्भीरता से लागू कर सकें। (कार्रवाई : सरकारी उद्यम ब्यूरो)	2. 12	7
विशेष भर्ती अभियान			
7.	आयोग सिफारिश करता है कि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में अधिकारी और लिपिक प्रेडों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की असंतोषजनक भर्तियों को देखते हुए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड द्वारा विशेष भर्ती अभियान चलाये जाए। इंटरव्यू बोर्डों द्वारा जनजाती बहुल क्षेत्रों में ही उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाए ताकि जनजाति के अधिक से अधिक उम्मीदवार नियुक्त किए जा सकें। (कार्रवाई : बैंकिंग विभाग)	2. 16	7
भर्तियों के लिए विशेष उपाय			
8.	अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की भर्तियों में सुधार करने के लिए केरल और कर्नाटक जैसी कुछ राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये विशेष कदमों की सराहना करते हुए आयोग अन्य राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से भी जोरदार शब्दों में आग्रह करता है कि वे भी इसी प्रकार की कार्रवाई करें ताकि सभी श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति में पर्याप्त तथाशीघ्र सुधार किया जा सके। (कार्रवाई : सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र—केरल और कर्नाटक को छोड़ कर)	2. 19	8
जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण			
9.	आयोग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में (सिफारिश संख्या 432) राज्य सरकारों के इस कदम की सराहना की थी कि उन्होंने प्रत्येक जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार श्रेणी "ग" और "घ" पदों पर उनको आरक्षण दिया है। आयोग भारत सरकार और राज्य सरकारों पर पुनः इस बात के लिए जोर डालना चाहेगा कि उक्त सिफारिश पर विचार किया जाए ताकि अनुसूचित जनजातियों को प्रत्येक जिले में श्रेणी "ग" और "घ" पदों पर उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण दिया जा सके। (कार्रवाई : कल्याण मंत्रालय/सभी राज्य सरकारें)	2. 20	8

1	2	3	4
---	---	---	---

योग्यता के आधार पर चयन

10. केरल और तमिलनाडु में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार सामान्य योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं उनकी नियुक्ति आरक्षित पदों पर न करके सामान्य पदों पर की जाती है जिसके कारण आरक्षित रिक्त पदों की संख्या उतनी ही बनी रहती है। आयोग के विचार से यह एक सही दृष्टिकोण है और यह सिफारिश करता है कि भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों द्वारा केरल और तमिलनाडु का अनुकरण किया जाए ताकि प्रतियोगिता में सामान्य उम्मीदवारों के साथ योग्यता के आधार पर चुने गये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्त पदों में समायोजित न किया जा सके।

(कार्रवाई : कल्याण मंत्रालय/सभी राज्य सरकारें-तमिलनाडु और केरल की छोड़ कर)

सफाई कर्मचारियों और मेहतरों के लिए कम लागत वाले मकान

11. मेहतरों और सफाई कर्मचारियों के रहन-सहन और काम-काज की परिस्थितियों का अध्ययन करने से आयोग को पता चला कि बहुत सारे मेहतरों और सफाई कर्मचारियों की रहने के लिए क्वार्टर नहीं दिये गये हैं। जहाँ क्वार्टर दिये भी गये वहाँ उन क्वार्टरों में आमतौर पर जगह कम पायी गयी। इन क्वार्टरों का रख-रखाव ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है क्योंकि अक्सर यह होता है कि सेवा निवृत्त होने पर उन्हें क्वार्टर खाली करने पड़ेंगे। इस स्थिति से बचने के लिए आयोग सिफारिश करता है कि कम लागत वाली विशेष आवास योजनाएं आरम्भ की जाएं ताकि मेहतर और सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त होने पर उन्हीं क्वार्टरों के मालिक बने रहें जो उन्हें सेवा के दौरान दिये गए थे। ऐसा करने पर इस गरीब और उपेक्षित वर्ग के कर्मचारियों को अपेक्षित राहत तो मिलेगी ही साथ ही इस प्रकार के क्वार्टरों का सही रख-रखाव भी हो सकेगा।

(कार्रवाई : कल्याण मंत्रालय)

सफाई कर्मचारियों/मेहतरों की बस्तियों में समन्वित बाल विकास सेवा और बालवाड़ियों की व्यवस्था

12. आयोग का सुझाव है कि समन्वित बाल विकास परियोजनाएं, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, महिला समाज, बालवाड़ी इत्यादि खोलने के लिए राज्यों के हरिजन कल्याण विभागों द्वारा मेहतरों और सफाई कर्मचारियों की बस्तियों को प्राथमिकता दी जाए।

(कार्रवाई : महिला कल्याण मंत्रालय/सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)

सेवा संबंधी रक्षोपायों का कार्यान्वयन

13. आयोग भारत सरकार और राज्य सरकारों से पुरजोर सिफारिश करता है कि सेवा संबंधी रक्षोपायों को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाए तथा जो पदाधिकारी जानबूझ कर संविधान और राष्ट्रपति के निर्देशों की अवहेलना करते हैं उनके लिए प्रभावी दण्डात्मक उपाय किए जाएं।

(कार्रवाई : कार्मिक विभाग)

न्यायालयों में अस्पृश्यता के मामलों पर निगरानी रखना

14. आयोग सिफारिश करता है कि न्यायालयों में छुआ-छुत के मामलों के असफल हो जाने के कारणों की राज्य सरकारों द्वारा उचित स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा की जाए। पुलिस अथवा अभियोजन पक्ष के कर्मचारियों की लापरवाही अथवा उदासीनता के कारण यदि न्यायालय में मामला दोषमुक्त में समाप्त होता है तो सरकार द्वारा दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरी ओर जिन अधिकारियों का काम अच्छा पाया जाता है उन्हें उचित प्रोत्साहन देकर सम्मानित किया जाए।

(कार्रवाई : सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)

अस्पृश्यता निवारण के लिए सामूहिक प्रयास करना

15. जिन क्षेत्रों में हट्टिवादी धार्मिक मान्यताएं व रीति-रिवाज प्रचलित हैं वहां अस्पृश्यता का चलन अब भी बरकरार है और इसमें कोई कमी नहीं आई है। इस कुप्रथा पर चारों तरफ से प्रहार करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों को चाहिए कि स्वयंसेवी संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं, सांस्कृतिक संगठनों आदि के माध्यम से कुशल और कारगर उपाय सुनिश्चित करें।
(कार्रवाई : भारत सरकार/सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)

कानूनी सहायता प्राप्त करने की पात्रता के लिए आय की अधिकतम सीमा न रखना

16. आयोग सिफारिश करता है कि अनुसूचित जातियों के मामले में राज्य सरकारों द्वारा आय की अधिकतम सीमा हटा दी जाए और कानूनी सहायता योजना का अधिक से अधिक प्रचार भी किया जाए ताकि अस्पृश्यता व अन्य प्रकार की नियोग्यताओं से पीड़ित अधिक से अधिक लोग इस योजना से लाभ उठा सकें।
(कार्रवाई : सभी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मुकदमों का मूल्यांकन

17. आयोग के ध्यान में यह बात आई कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के मामलों में मुकदमा चलाने अथवा उस पर निगरानी रखने के लिए अनेक राज्यों ने अधिकारी नियुक्त किए हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इन अधिकारियों के कार्य का आवधिक मूल्यांकन करने के लिए कोई आंतरिक व्यवस्था नहीं है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उपचारात्मक उपाय किए जा सकें। आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकारें सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के अधीन उनके द्वारा की गयी व्यवस्था का आवधिक मूल्यांकन करें।
(कार्रवाई : सभी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)

विशेष चल न्यायालय

18. आयोग अपनी पिछली सिफारिश पर पुनः जोर देता है कि छः राज्यों में जो विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं उन्हें संचल बनाया जाए ताकि वे कारगर और उद्देश्यपूर्ण साबित हो सकें। आयोग यह सिफारिश भी करता है कि शेष राज्यों, विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जहां अस्पृश्यता और अत्याचार के मामलों की संख्या बहुत अधिक है, में स्थिति की समीक्षा की जाए और यथाशीघ्र संचल न्यायालय स्थापित किए जाएं।
(कार्रवाई : संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)

सिविल अधिकार संरक्षण समितियां

19. यद्यपि बहुत से राज्यों ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में समितियों का गठन कर दिया है लेकिन उनकी बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही हैं। इससे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती जिस उद्देश्य के लिए ये समितियां बनाई गई हैं। आयोग यह सिफारिश करता है कि राज्य सरकारों द्वारा इन समितियों की नियमित बैठकें सुनिश्चित की जाएं।
(कार्रवाई : सभी संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)

अस्पृश्यता-प्रवृत्त क्षेत्र

20. जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में छुआछूत की समस्या अधिक प्रबल है आयोग उनसे विशेष अनुरोध करता है कि वे अस्पृश्यता उन्मुख क्षेत्रों का अविलम्ब पता लगायें ताकि ऐसे क्षेत्रों में अस्पृश्यता दूर करने की ओर वे अपना ध्यान केंद्रित कर सकें।
(कार्रवाई : सभी संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)

1	2	3	4
<u>अत्याचार के मामलों की सूचना देना</u>			
21.	आयोग पुनः सिफारिश करता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए गए अपराधों के आंकड़ों का ठीक-ठीक संकलन करने के मामले पर राज्यों को गम्भीरता से विचार करना चाहिए तथा भारत सरकार और इस आयोग की सही आवधिक विवरणियाँ/रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करने के लिए एक "फूल प्रूफ" तरीका अपनाना चाहिए। (कार्रवाई : सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)	4. 6	24
<u>न्यायालयों में मामलों का शीघ्र निपटान</u>			
22.	न्यायालयों में मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए आयोग यह सिफारिश करता है कि न्यायालयों में उपस्थित होने वाले अभियोजन पक्ष के गवाहों को सुनवाई की तारीख को काम से गैर-हाजिर रहने के बदले उस दिन की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा बस/रेल का किराया दिया जाए चाहे उस दिन गवाही दर्ज हुई हो अथवा नहीं। इससे निर्धारित तिथियों पर गवाह न्यायालय में आने के लिए प्रोत्साहित होंगे तथा मुकदमें शीघ्र निपटारे जा सकेंगे। आयोग यह सिफारिश भी करता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों को निपटाने में प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकारों द्वारा जिला और निचली अदालतों को उपयुक्त निर्देश दिए जाएं। इस प्रकार के मामलों का रिकार्ड अलग रखने के लिए न्यायालयों द्वारा आवश्यक कदम भी उठाये जाएं। (कार्रवाई : सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)	4. 11 व 4. 12	24
<u>अत्याचार प्रवृत्त क्षेत्रों का पता लगाना</u>			
23.	यह सुझाव दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों द्वारा अनुसूचित जातियों के बारे में अत्याचार प्रवृत्त क्षेत्रों/जिलों का पता लगाया जाए तथा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात द्वारा अनुसूचित जनजातियों के बारे में ऐसे क्षेत्रों/जिलों का पता लगाया जाए। (कार्रवाई : उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात की राज्य सरकारें)	4. 13	24
<u>अत्याचार पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता</u>			
24.	आयोग अपनी पिछली सिफारिश पर पुनः जोर देता है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशेषकर असम, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जिन्होंने अभी तक आयोग द्वारा सुझायी गयी आर्थिक सहायता योजना स्वीकार नहीं की है, उसे शीघ्र स्वीकार करें। (कार्रवाई : असम, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें)	4. 16	25
<u>बंधुआ मजदूरों का पता लगाने के कार्य में स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लेना</u>			
25.	आयोग राज्य सरकारों से यह सिफारिश करता है कि बंधुआ मजदूरों को शिनाख्त करने के लिए पूर्णतया अपने प्रशासनिक तंत्र पर निर्भर रहने की बजाय स्वयंसेवी एजेंसियों और सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाए ताकि ये संस्थाएं बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास को व्यवस्था करने की दिशा में सही कदम उठा सकें। (कार्रवाई : सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)	4. 19	25
<u>सतर्कता समितियां</u>			
26.	आयोग अपनी इस सिफारिश पर पुनः जोर देता है कि बंधक मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक राज्य द्वारा जिला और सब डिवीजन स्तरों पर सतर्कता समितियों का गठन किया जाए। निष्क्रिय सतर्कता समितियों को भी सक्रिय बनाने की आवश्यकता है। (कार्रवाई : सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)	4. 22	26

1	2	3	4
मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के लिए दस्तकारी पर आधारित कार्यक्रम चलाना			
27.	आयोग पहले की गई अपनी इस सिफारिश की पुनः दोहराना चाहेगा कि बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास कार्यक्रम को एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी०पी० तथा आई०आर० डी० पी० जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से जोड़ दिया जाए। आयोग राज्य सरकारों से यह अनुरोध भी करना चाहेगा कि मुक्त किए गए मजदूर को शीघ्र निर्वाह भत्ता दिया जाए ताकि उसे पुनः बंधुआ मजदूर बनने से रोका जा सके। शिनाख्त किए गए अधिकांश बंधुआ मजदूर अनपढ़ होते हैं तथा उन्हें किसी दस्तकारी का ज्ञान और हुनर भी नहीं होता। अतः आयोग यह सिफारिश भी करता है कि उनके लिए सबसे निकट के प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में हुनर/दस्तकारी पर आधारित कार्यक्रमों का विशेष प्रबंध किया जाए। (कार्रवाई : सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)	4.25	27
न्यूनतम मजदूरी का भुगतान			
28.	आयोग यह सिफारिश करता है कि न्यूनतम मजदूरी पूर्णतया नगद दी जाए न कि वस्तु के रूप में। इससे मजदूर खुले बाजार से अपनी जहरत की चीजें खरीदने में स्वतंत्र होगा। (कार्रवाई : भारत सरकार/श्रम मंत्रालय तथा सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)	4.31	28
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन			
29.	आयोग सिफारिश करता है कि खेतिहर मजदूरों जिनमें अधिकांश लोग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं, की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निरीक्षण तंत्र को पर्याप्त रूप से सुदृढ़, प्रशिक्षित और प्रेरित करना होगा तथा निरीक्षण कार्य बार-बार और अधिक कारगर ढंग से करवाने होंगे। (कार्रवाई : भारत सरकार/श्रम मंत्रालय तथा सभी राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)	4.32	28
न्यूनतम मजदूरी के दरों में संशोधन			
30.	मूद्रास्फीति की वर्तमान प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आयोग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध करता है कि न्यूनतम मजदूरी के पैमाने में यथासमय संशोधन किया जाए। जिन राज्यों ने केंद्रीय सरकार की तुलना में न्यूनतम मजदूरी की दर कम निर्धारित की है वे कम से कम केंद्रीय सरकार के बराबर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करें। (कार्रवाई : सभी संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)	4.33	28
विशेष संघटक योजना के लिए योजनागत परिव्ययों का निर्धारण			
31.	आयोग बार-बार इस बात पर जोर देता आ रहा है कि राज्य योजनाओं से विशेष संघटक योजनाओं के लिए दी जाने वाली धनराशि कम से कम उस अनुपात से दी जानी चाहिए जिस अनुपात में राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है। लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इस प्रकार से धनराशि का निर्धारण नहीं किया जा रहा है। राज्यों का मानना है कि बिजली, सिंचाई और संचार इत्यादि जैसे क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ पहुंचाते हैं तथा इस प्रकार उनके विकास पर खर्च होने वाली राशि वास्तव में उस राशि में अधिक होती है जो विशेष संघटक योजना के अंतर्गत उपलब्ध की जाती है। बुनियादी सुविधाओं के विकास की आवश्यकता अनुभव करते हुए आयोग किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर विशेष संघटक योजना के लिए योजनागत व्यय निर्धारित करने के महत्त्व पर अधिक जोर देता है। (कार्रवाई : सभी संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)	5.3	42

1	2	3	4
	<u>अनुसूचित जातियों को भूमि का वितरण</u>		
32.	केरल और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ ही राज्यों ने जमीन खरीद कर अनुसूचित जातियों में बांटी है। यह एक अच्छा कार्यक्रम है और आयोग सभी राज्यों से इसे अपनाने की सिफारिश करता है। आयोग यह भी सिफारिश करता है कि राज्य सरकारों द्वारा कृषि जोत भूमि की अधिकतम सीमा के सम्पूर्ण प्रश्न की समीक्षा की जाए तथा राष्ट्रीय मार्गदर्शी निर्देशों के अनुरूप अधिकतम भूमि सीमा कानून बनाए जाएं। (कार्रवाई : सभी संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)	5.5	42
	<u>गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों</u>		
33.	आयोग का दृढ़ मत है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर जिस अनुपात से पूंजी खर्च की गई उस अनुपात में प्रगति नहीं हुई है। अनुवर्ती कार्रवाई, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। यही कारण है कि अनुसूचित जातियों की आर्थिक दशा में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ प्रतीत नहीं होता। आयोग जोरदार शब्दों में यह सिफारिश करता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में आमूल-मूल परिवर्तन किया जाए क्योंकि अब तक किए गए मामूली परिवर्तनों से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। (कार्रवाई : सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)	5.9	43
	<u>अनुसूचित जाति विकास निगम और बैंक</u>		
34.	आयोग के ध्यान में यह बात भी आई कि निगमों और बैंकों के बीच पारस्परिक सम्पर्क नहीं है। यही कारण है कि मूलतः एक ही उद्देश्य के लिए प्रयत्नशील इन दोनों संस्थाओं के मन में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना घर कर गई है। आयोग का मत है कि बैंकों को अपना कार्यान्वयन तंत्र सुस्त बनाना है तथा क्षेत्रीय स्तर के अपने कर्मचारियों को ग्रामीण लोगों को ऋण देने के लिए प्रेरित करना है। इसी प्रकार निगमों को भी सरल और कारगर कार्यप्रणाली तैयार करने तथा अपने कार्यकलापों को अधिक व्यावसायिक तरीके से संचालित करने की आवश्यकता है। (कार्रवाई : भारत सरकार (बैंकिंग विभाग) तथा सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)	5.21	46
	<u>जनजातीय उप योजना</u>		
35.	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश राज्य और संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन व दीव द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के विभाज्य साधनों से अधिक धनराशि जुटाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाएं तथा केंद्रीय सरकार के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुरूप जनजातीय उपयोजना के लिए धनराशि बढ़ाई जाए। (कार्रवाई : मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश राज्य सरकारें और गोवा, दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन)	5.28	47
	<u>जनजातीय कल्याण के लिए धनराशि का निर्धारण</u>		
36.	केन्द्रीय सरकार के कृषि और सहकारिता, शिक्षा और संस्कृति, संचार, खाद्य तथा नागरी-पूति (खाद्य विभाग) मंत्रालयों ने 1984-85 के दौरान देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात को तुलना में बहुत कम राशि निर्धारित की है। इन मंत्रालयों तथा अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों, जिन्होंने अभी तक देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में धनराशि निर्धारित नहीं की है, को इस संबंध में मार्गदर्शी निर्देशों का भी पालन करना चाहिए। (कार्रवाई : कृषि और सहकारिता मंत्रालय, शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय, संचार मंत्रालय, खाद्य व नागरी-पूति मंत्रालय इत्यादि)	5.29	47

1	2	3	4
<u>केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में देना</u>			
37.	सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्टों में एक पृथक अध्याय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व विकास के लिए चलाए गए कार्यक्रमों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। (कार्रवाई : भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग)	5. 31	47
<u>झूम खेती को व्यवस्थित खेती में बदलना</u>			
38.	झूम खेती की प्रथा समाप्त की जा सकती है। इसके लिए सूक्ष्मस्तरीय संगठनों की सेवा प्राप्त करनी होगी तथा सुनियोजित विस्तार कार्य करना होगा ताकि झूम खेती को व्यवस्थित खेती में सुचारु रूप से बदलने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा सके। (कार्रवाई : सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)	5. 33	47
<u>सामाजिक सुरक्षा वृक्षारोपण</u>			
39.	आयोग सिफारिश करता है कि आदिवासी जनसंख्या वाले सभी राज्यों द्वारा गुजरात के तरीके पर सामाजिक सुरक्षा वृक्षारोपण योजना लागू की जाए जिसके अंतर्गत लाभ भोगियों की वृक्षारोपण स्थल के निकट झोपड़ियां बनाने के लिए लकड़ी दी जाती है। वृक्षों पर फल लगने की अवधि तक आदिवासियों की कम से कम राज्यों में खेतिहर मजदूरों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी के बराबर मजदूरी दी जानी चाहिए ताकि आदिवासी परिवार अपनी आजीविका ठीक प्रकार से चला सकें। (कार्रवाई : सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)	5. 39	48
<u>आधुनिक कृषि तकनीक का प्रसार</u>			
40.	(क) छोटे और सीमान्त किसान, जिनके पास बहुत कम परिसम्पत्तियां होती हैं, तकनालोजी और संस्थागत ऋण का फायदा नहीं उठा पाते। अतः वर्षा-आधारित और शुष्क भूमि में पैदावार बढ़ाने के लिए ऐसे किसानों को उपयुक्त तकनालोजी की जानकारी कराना आवश्यक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अधिक प्रदर्शन-आत्मक प्रभाव वाले नाजुक क्षेत्रों में प्रचालन अनुसंधान तथा "प्रयोगशाला से खेत तक" जैसे कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाए जाएं। (ख) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यप्रणाली को सरल बनाया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थानीय विकास एजेंसियों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की साज-सामान की विशेष जरूरतें पर्याप्त रूप से पूरी की जाएं। लाभभोगियों को साज-सामान और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बार-बार ब्लाक कार्यालय और बैंकों के चक्कर नहीं लगाने देने चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छोटे और सीमान्त किसानों की ऋण मंजूर करने के लिए ग्रामीण बैंकों को पर्याप्त अधिकार दिये जाने चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर दूर-दराज के क्षेत्रों की जरूरतें पूरी करने के लिए इन बैंकों की अधिक शाखाएं खोली जानी चाहिए। (ग) समुचित विस्तार सेवाएं प्रदान करने में कृषि विज्ञान केंद्रों की विशेष भूमिका है। अतः यह आवश्यक है कि इन सेवाओं को उद्देश्यपूर्ण और व्यापक बनाया जाए। (कार्रवाई : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, स्थानीय विकास एजेंसियां तथा कृषि विज्ञान केंद्र)	5. 41	49
<u>अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का प्रचार करना</u>			
41.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति-बहुत क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम लागू करने के लिए समुचित उपाय किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थी उन स्कीमों के बारे में सही सूचना प्राप्त कर सकें जो स्कीमों उन्हें गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने के लिए बनाई गई हैं। ब्लाक और क्षेत्रीय स्तरों पर विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच सही तालमेल स्थापित करने के लिए वर्तमान कार्यपद्धति को सरल और कारगर बनाया जाए। इसके अतिरिक्त वित्तीय संस्थाओं के नियमों की भी सरल बनाया जाए। (कार्रवाई : सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)	5. 44	50

1	2	3	4
परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण			
42.	आयोग सिफारिश करता है कि उन्हीं परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता दी जाए जो प्रशिक्षण का वांछित स्तर बनाए रखते हैं। यदि प्राथमिक शिक्षा स्तर से ही शिक्षा और प्रशिक्षण की समस्या पर ध्यान दिया जाए तो अधिक लाभप्रद होगा। आयोग आगे यह सिफारिश करता है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर आवासीय स्कूल खोले जाएं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में विज्ञान और गणित इत्यादि जैसे विषयों को लोकप्रिय बनाया जाए। तकनीकी संस्थाओं में रोजगार उन्मुख अवसर प्रदान किए जाएं। इस संबंध में तकनीकी शिक्षा और रोजगार अवसरों के स्वरूप को एक अन्तः मंत्रालयीय दल द्वारा समीक्षा की जाए। (कार्रवाई : कल्याण मंत्रालय)	5. 45	50
समन्वित बाल विकास योजना केंद्रों का संचालन			
43.	आयोग द्वारा किए गये अध्ययनों से यह पता चला है कि आदिवासी क्षेत्रों में समन्वित बाल-विकास सेवाएं बहुत कम हैं। कई केंद्रों में कर्मचारियों की व्यवस्था, भवनों की दशा और उपकरण अपेक्षित स्तर के नहीं पाये गये। अतः प्रशिक्षित व उत्साही कर्मचारियों को वहां तैनात करने तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषाहार के लिए अच्छी किस्म की सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। (कार्रवाई : कल्याण मंत्रालय)	5. 46	50
जनजातीय क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्थापना			
44.	आदिवासी क्षेत्रों में खनन परियोजनाओं, इस्पात कारखानों इत्यादि की स्थापना करने से आदिवासी अपने इलाकों में ही अल्पसंख्यक हो गए हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में आदिवासियों के दुःखद अनुभव को देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिंचाई, बिजली, खनन, वन्य जीवन सुरक्षा इत्यादि की बड़ी परियोजनाएं आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित करने के प्रस्ताव कल्याण मंत्रालय की सहमति के लिए भेजे जाएं ताकि विस्थापित होने वाले आदिवासियों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करने के दृष्टि से उन प्रस्तावों पर विचार किया जा सके। (कार्रवाई : सभी संबंधित मंत्रालय/विभाग)	6. 6	61
विस्थापित आदिवासियों का पुनर्वास			
45.	विस्थापित आदिवासियों की बसाने के तरीकों तथा परियोजना के वास्तविक निर्माण से पूर्व पुनर्वास कार्य आरम्भ करने के बारे में जो मार्गदर्शी निर्देश जारी किए गए उनका कोई अनुपालन नहीं किया गया है। इन बातों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। कुछ केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों ने विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास के लिए समुचित मार्गदर्शी निर्देश जारी नहीं किए हैं। विस्तृत मार्गदर्शी निर्देश जारी करने तथा पुनर्वास कार्यक्रम को तेजी से लागू करने के लिए प्रशासनिक तंत्र स्थापित करने की अत्यन्त आवश्यकता है। (कार्रवाई : कल्याण मंत्रालय)	6. 6	61
परियोजना अधिकारियों द्वारा भूमि अधिग्रहण की सीमाओं को लागू करना			
46.	यह देखने में आया है कि केंद्रीय/राज्य परियोजनाओं के अंतर्गत आवास और तत्संबंधी सुविधाओं या सहायक सुविधाओं का निर्माण कराने से इनमें विस्तार करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में पहले से अनुमानित विस्थापन की अपेक्षा आदिवासियों को अधिक संख्या में विस्थापित होना पड़ता है जिसके फलस्वरूप विस्थापित आदिवासियों की पुनर्वास समस्या और भी जटिल हो जाती है। ऐसे मामलों में आदिवासियों का विस्थापन एक गौण मुद्दा बन कर रह जाता है और इसके दुःखद परिणाम सामने आने लगते हैं। ऐसे मामलों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है ताकि भूमि अधिग्रहण करने में अनुशासन बरता जा सके और बड़े पैमाने पर आदिवासियों को विस्थापित करने की कार्रवाई रोकी जा सके। (कार्रवाई : सभी संबंधित मंत्रालय)	6. 6	61

1	2	3	4
जनजातीय क्षेत्रों में छोटी और कम लागत वाली परियोजनाएं स्थापित करना			
47.	कुछ आदिवासी क्षेत्रों में केवल छोटी और कम लागत वाली परियोजनाएं स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसा करने से विस्थापन रोका जा सकता है और उन्हें नये रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराये जा सकते हैं। (कार्रवाई : सभी संबंधित मंत्रालय/राज्य सरकारें/मंच राज्य क्षेत्र के प्रशासन);	6. 6	62
आदिवासियों को बसाने के लिए राष्ट्रीय नीति			
48.	“भूमि के बदले भूमि” देने के सिद्धान्त का सामान्यतः पालन नहीं किया गया है। कुछ राज्यों में अपने मूल स्थान से हटाये गए आदिवासियों की मुआवजा बिल्कुल नहीं दिया गया और कुछ अन्य राज्यों में बहुत कम मुआवजा दिया गया। इस पृष्ठभूमि में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने अथवा आदिवासियों का आर्थिक जीवन बेहतर बनाने और उनके सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित आदिवासियों के लिए व्यापक पुनर्वास योजना तैयार करने की आवश्यकता है। (कार्रवाई : कल्याण मंत्रालय)	6. 6	62
पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास			
49.	औद्योगिक विकास की दृष्टि से कुछ जिलों को पिछड़ा घोषित किया गया है जिनके लिए केंद्रीय सरकार पूंजी निवेश और सबसिडी के माध्यम से सहायता देती है। सभी जिलों में उद्योगों की स्थापना करने का तर्क आर्थिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। कुछ जिलों को खेती बाड़ी की दृष्टि से तथा वहां कृषि आधारित लघु उद्योगों की स्थापना करके विकसित किया जा सकता है। औद्योगिकीकरण तथा सिंचाई, विद्युत और खनन परियोजनाएं स्थापित करने की वर्तमान नीति से न केवल जनजातीय क्षेत्रों और जिलों में आदिवासियों के और अधिक संख्या में विस्थापित होने का खतरा है बल्कि औद्योगिक और कृषि विकास के बीच पारिस्थितिक संतुलन को भी खतरा है। औद्योगिक विकास के प्रयास में अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। (कार्रवाई : औद्योगिक विकास मंत्रालय)	6. 6	62
पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध कानून लागू करना			
50.	(क) अत्यधिक खनन कार्य, थर्मल पावर स्टेशनों द्वारा छोड़ी जाने वाली राख और औद्योगिक कचरे के कारण भूमि की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चूंकि विस्थापित आदिवासी बहुत कम पढ़े-लिखे होते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, इसलिए यह वांछनीय होगा कि जनजातीय क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं में पर्यावरण प्रदूषण विषयक कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। (कार्रवाई : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय)	6. 6	62
जनजातीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण से उत्पन्न बीमारियों			
	(ख) पर्यावरण प्रदूषण का एक अन्य हासिप्रद प्रभाव है—परियोजनाओं के अधिक निकट रह रहे आदिवासियों में संक्रामक रोगों, श्वास संबंधी रोगों और अन्य प्रकार की बीमारियों का निरन्तर बढ़ना। ये बीमारियां आदिवासी क्षेत्रों के लिए असाधारण हैं। चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करके तथा पर्यावरण प्रदूषण कानूनों को सख्ती से लागू करके उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है। (कार्रवाई : कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और पर्यावरण और वन मंत्रालय)	6. 6	62
शैक्षिक पाठ्यक्रमों में पर्यावरण विज्ञान का विषय शामिल करना			
	(ग) छोटा नागपुर क्षेत्र, बस्तर जिला, भारतीय प्रायद्वीप, पश्चिमी और पूर्वी घाट इत्यादि जैसे जनजातीय क्षेत्रों में देश की प्रमुख खानें हैं। अतः इन क्षेत्रों की युवा-पीढ़ी में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रमों में पर्यावरण विज्ञान को एक विषय के रूप में शामिल करने की अत्यन्त आवश्यकता है। (कार्रवाई : शिक्षा मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय)	6. 6	62

1	2	3	4
पर्यावरण की जांच-पड़ताल :			
	(घ) चूंकि बहुत से खान क्षेत्रों में आदिवासी रहते हैं इसलिए सभी वर्तमान खनन कार्यों की पर्यावरण की दृष्टि से समीक्षा करने की आवश्यकता है। इस संबंध में पर्यावरण की जांच-पड़ताल आवधिक रूप से की जा सकती है।	6.6	62
(कार्रवाई : पर्यावरण और वन मंत्रालय)			
प्रतिबन्धित वन क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति देना			
51.	मृग वनों के निकट रह रहे जनजातीय लोग लघु वन उपज एकत्र करने, शिकार खेलने, मछली पकड़ने इत्यादि के लिए पहले ब-रोक-टोक वनों में जाया करते थे। लेकिन अब वन्य जीवन (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनों में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है। वन उपज एकत्र करने, धार्मिक अवसरों पर शिकार करने, मछली पकड़ने इत्यादि जैसे वैध प्रयोजनों के लिए सुरक्षित वन क्षेत्रों में इन्हें प्रवेश की अनुमति देने की आवश्यकता है।	6.6	62
(कार्रवाई : पर्यावरण और वन मंत्रालय)			
वनों के प्रबंध और उन्हें पुनर्जीवित करने में आदिवासियों को भागीदार बनाना			
52.	वनों का प्रबंध करने में आदिवासियों को एक साझेदार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। शुरूआत के लिए आदिवासियों का पूर्ण सहयोग लेकर ऐसे पेड़-पौधे लगाने का कार्यक्रम चलाया जाए जिनसे वे अच्छी तरह परिचित हैं। इस प्रकार के दृष्टिकोण से न केवल वन फिर से आबाद होंगे बल्कि इनसे मनुष्य, पशु और बायोमास घटकों में पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखने में भी मदद मिलेगी। कुछ क्षेत्रों में विस्थापित आदिवासियों के लिए दोहरा वानिकी वातावरण तैयार करना भी सम्भव हो सकेगा जो आदिवासियों के पुनर्वास के लिए एक अच्छा तरीका साबित होगा। गुजरात और महाराष्ट्र की तरह आदिवासियों को वृक्षों पर भोगाधिकार दिया जाना चाहिए। संक्षेप में वनों का सबसे बढ़िया बीमा है—उनका प्रबंध आदिवासियों को सौंप देना जिनके लिए वन जीवन का एक आधार है।	6.6	62
(कार्रवाई : पर्यावरण और वन मंत्रालय)			
पुनर्वास कार्यों के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग लेना			
53.	सर्म्पित स्थानीय कार्यकर्ताओं की विस्थापित आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के कार्यक्रमों में शामिल करने से परियोजना अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा पुनर्वास कार्यक्रम अधिक सार्थक हो सकता है। इससे स्थानीय लोगों में से अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता तैयार हो सकेंगे और उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त हो सकेगा।	6.6	62
(कार्रवाई : सभी मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)			
आदिवासियों के समग्र पुनर्वास की आवश्यकता			
54.	रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्य सामरिक योजनाओं की स्थापना का विरोध करने का आयोग का कोई इरादा नहीं है। फिर भी आयोग यह अनुभव करता है कि इन परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए आदिवासियों को उनके मूल वातावरण में समग्र रूप से बसाने की आवश्यकता है।	6.6	62
(कार्रवाई : रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग)			
जनजातीय क्षेत्रों में पर्यावरण के मानदंडों को लागू करना			
55.	जल और वायु प्रदूषण रोकने की दृष्टि से आदिवासी क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में केंद्रीय तथा राज्य जल प्रदूषण बोर्डों द्वारा पर्यावरण के मानदंडों की कठोरता से लागू किया जाए।	6.6	62
(कार्रवाई : जल संसाधन मंत्रालय)			

1	2	3	4
<u>आदिवासियों में भूमि का वितरण</u>			
56.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भूमि का आवंटन/वितरण करने के लिए अनेक राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ यह प्रयास करने की भी आवश्यकता है कि वितरित की गई भूमि की सरकारी तंत्र हस्तांतरित होने से रोके। इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोग यह सिफारिश करता है कि राज्यों द्वारा हस्तांतरण पर रोक लगाने वाले कानूनों की समीक्षा की जाए तथा कमियों को दूर किया जाए। प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाए; सर्वेक्षण तथा निबटान कार्य यथाशीघ्र पूरे किए जाएं तथा प्रथागत कानूनों एवं रीति-रिवाजों के अनुसार भूमि पर आदिवासियों के स्वामित्व को ठीक प्रकार से दर्ज किया जाए। (कार्रवाई : सभी संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)	7.3	64
<u>ग्रामीण ऋण</u>			
57.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अपनी जमीन से जो आय प्राप्त होती है उससे वह अपने परिवार का पालन-पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाता है। इसके परिणामस्वरूप उसे कृषि मजदूर के रूप में कार्य करना पड़ता है। संकट के समय अथवा सामाजिक या धार्मिक अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए उसे प्रायः अपनी परिसम्पत्तियां बेचनी पड़ जाती हैं। इसलिए आयोग यह अनुभव करता है कि मात्र कानून बना देने से ही समस्या हल नहीं की जा सकती बल्कि इनकी सामान्य आर्थिक दशा सुधारने के लिए संयुक्त प्रयास करने होंगे तथा ग्रामीण ऋण के आसान स्रोत भी उपलब्ध कराने होंगे। (कार्रवाई : भारत सरकार तथा सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)	7.4	65
<u>भूमि हस्तान्तरण रोकने के लिए कारगर तंत्र</u>			
58.	अनुसूचित जातियों की भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिए कर्नाटक, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने कानून तो बनाये ह परंतु ये कानून अभी तक कारगर सिद्ध नहीं हुए। इसलिए आयोग का मत है कि भूमि हस्तांतरण की समस्या पर काबू पाने के लिए केवल कानून बना देना ही काफी नहीं है बल्कि एक ऐसे कारगर तंत्र के गठन की भी आवश्यकता है जिसके पीछे सुदृढ़ राजनैतिक प्रेरणा हो। (कार्रवाई : सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन)	7.9	66

NIEPA DC



D08757

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE

National Institute of Educational
Planning and Administration.

17-B, Sri Aurobindo Marg,

New Delhi-110016

DOC, No.....D-8757

Date.....20-7-95